रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33001/95

REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11, 1995 (माघ 22, 1916)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11, 1995 (MAGHA 22, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इंस्टीटियूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 02 जनवरी 1995

नं० 13-सी. ए. (परीक्षा)/एम/95—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार दि कौंसिल आफ दि इंस्टीटियूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया को नोटिफाइ करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम) और फाइनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होंगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित होते हैं।

फाउन्डेशन परीक्षा—6, 8, 9 और 10 मई, 1995

इंटरमीडिएट परीक्षा—(नया पाठ्यक्रम-चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस रेगुलेशन 1988 के शैड्यूल "बी" और अनुच्छेद "2 ए" के अनुसार)

ग्रुप 1 : 2, 3 और 4 मई, 1995

ग्रुप 2 : 5, 6 और 8 मई, 1995

फाइनल परीक्षा :

ग्रुप 1 : 2, 3, 4 और 5 मई, 1995

ग्रुप 2 : 6, 8, 9 और 10 मई, 1995

परीक्षा केन्द्र :

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. अम्बाला
5. बंगलौर
6. बड़ौदा
7. बेलगांव
8. भोपाल
9. बम्बई
10. कलकत्ता

11. कालीकट
12. चण्डीगढ़
13. कोयम्बटूर
14. कटक
15. दिल्ली/नई दिल्ली
16. इरनाकुलम
17. गोहाटी
18. गाजियाबाद
19. हैदराबाद
20. इंदौर
21. जयपुर
22. जम्मू
23. जोधपुर
24. कानपुर
25. काठमांडू (नेपाल)
26. कोट्टायाम
27. लखनऊ
28. लुधियाना
29. मद्रास
30. मदुराई
31. मंगलौर
32. मेरठ
33. मस्कट
34. मैसूर
35. नागपुर
36. नासिक
37. पटना
38. पूना
39. रायपुर
40. राजकोट
41. सेलम
42. सूरत
43. तिरुचिरापल्ली
44. त्रिचूर
45. त्रिवेन्द्रम
46. उदयपुर
47. विजयवाड़ा
48. विशाखापटनम
49. यमुनानगर

केवल इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं काठमांडू (नेपाल) और मस्कट केन्द्रों पर होंगी।

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही दिया जाना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया के वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 5 रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने उपर्युक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमान्ड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 3-3-1995 तक पहुंच जाय। आवेदन पत्र वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा) के दिल्ली कार्यालय में 3-3-1995 के बाद 10-3-1995 तक 50/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किए जाएंगे। 10-3-1995 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है या रीजनल काउंसिलों के बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर तथा ब्रांच अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और पूना के कार्यालयों में 3-3-1995 तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :—

फाउन्डेशन परीक्षा

शुल्क	रु० 250/-

इंटरमीडिएट परीक्षा

दोनों ग्रुपों के लिए	रु० 350/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रु० 200/-
"इकाई यूनिट एक	रु० 200/-
"इकाई यूनिट दो	रु० 200/-
"इकाई यूनिट तीन	रु० 150/-
"इकाई यूनिट चार	रु० 200/-

"इकाई यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों (कैंडीडेटस) को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद 2 "अ" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है, और पास करना है।

फाइनल परीक्षा

केवल एक ग्रुप के लिए	रु० 225/-
दोनों ग्रुपों के लिए	रु० 400/-
विशेष वर्ग (केवल पर्चा 4 या 5)	रु० 100/-
विशेष वर्ग (केवल पर्चा 4 और 5)	रु० 175/-

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षार्थियों को रु० 500/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा शुल्क

अदा करना पड़ेगा चाहे वे इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा के एक पेपर एक ग्रुप, एक यूनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हैं।

मस्कट केन्द्र से बैठने वाले इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा परीक्षार्थियों का क्रमश $ 30 और $ 40 या इसके सम मूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा के एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई (यूनिट) या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद, वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 27 जनवरी 1995

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

सं० 1-सीए० (7)/28/95—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम, 1988 को संशोधित करने हेतु, कुछ विनियमों में संशोधन का निम्नलिखित मसविदा, जिन्हें कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया की परिषद्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) जिसे कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1949 (1949 की 38वां) की धारा 30 की उपधारा (2) के क्लाज (जे) के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु, प्रस्तावित करती है एवं कथित अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि कथित मसविदे को, राजकीय राजपत्र, जिसमें कि ये अधिसूचना छपी है कि प्रतियां आम जनता को उपलब्ध होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि के समाप्त होने पर अथवा उसके बाद विचार हेतु किया जायेगा।

इस तरह निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व, कथित विनियमों के मसविदे से संबंधित, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति अथवा सुझाव पर, कथित परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें, सचिव, दि इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, पोस्ट बॉक्स संख्या 7100, इन्द्रप्रस्था मार्ग, नई दिल्ली-110002 को प्रेषित किये जायें।

विनियमों का मसविदा

1. इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस (संशोधन) विनियम, 1995 कहा जायेगा।

2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस विनियम 1988 में—

(1) विनियम 48 में, उप विनियम (1) को निम्नलिखित से बदल दिया जायेगा, नामतः

"(1) प्रत्येक नियोक्ता जो कि एक आर्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त करता है, ऐसे क्लर्क को आर्टिकल्ड का सामान्य कार्य स्थान जहां स्थित है, उस स्थान के अनुसार प्रत्येक माह, निम्न निर्धारित दरों पर, न्यूनतम मासिक वृत्तिका देगा :—

आर्टिकल्ड क्लर्क के कार्य के स्थान का विवरण	प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान	शेष अवधि के प्रशिक्षण के दौरान
(अ) 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले शहर/कस्बे	रू० 300/-	रू० 450/-	रू० 600/-
(ब) 20 लाख से कम तथा 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	रू० 200/-	रू० 300/-	रू० 450/-
(स) 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/कस्बे	रू० 150/-	रू० 250/-	रू० 350/-

बशर्ते कि, आर्टिकल्ड क्लर्क को इन विनियमों के तहत उसके इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने पर, शहरों/कस्बों के संदर्भ में वृत्तिका की दरों का उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा, परीक्षा परिणाम के घोषित होने की तिथि के अगले महीने के प्रथम दिन से 200/- रुपये प्रति माह की दर से अतिरिक्त वृत्तिका देनी होगी।

बशर्ते यह भी कि, इस विनियम के बावजूद भी, एक आर्टिकल्ड क्लर्क अतिरिक्त लिये गये अवकाश के लिये, इस विनियम के अंतर्गत किसी भी वृत्तिका के लिये हकदार नहीं होगा।

व्याख्या 1 : इस विनयम के अन्तर्गत, वृत्तिका किस दर से देय होगी, इसके निर्धारण के उद्देश्य हेतु, विद्यार्थी द्वारा किसी पूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं के अधीन प्राप्त आर्टिकल्ड प्रशिक्षण की अवधि को (ऐसी कोई अवधि 1 जुलाई, 1973 से पूर्व की नहीं होनी चाहिये) भी ध्यान में लिया जायेगा।

व्याख्या 2 : इस विनियम के उद्देश्य के लिये जनसंख्या की संख्या, पिछली प्रकाशित भारत की सेन्सस रिपोर्ट के अनुसार ली जायेगी।"

(2) विनियम 68 में, उपविनियम (5) को निम्नलिखित से बदल दिया जायेगा :—

"(5) एक सदस्य, एक व्यक्ति को, निम्न रूप से निर्धारित, न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक की शर्तों पर, जिसका निर्धारण आडिट क्लर्क के सामान्य कार्य स्थान जहां कि वह स्थित है के आधार पर किया जायेगा, तभी आडिट क्लर्क के रूप में ले सकता है जबकि ऐसा व्यक्ति था तो उसके अधीन अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की एक फर्म जिसमें की वह सदस्य भी एक भागीदार है, के अधीन कम से कम एक साल की अवधि से वैतनिक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा हो :—

(क) ऐसे शहर/कस्बे जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो 1000/- रु प्रति माह

(ख) ऐसे शहर/कस्बे जिनकी आबादी 10 लाख से कम हो 700/- रू० प्रति माह

व्याख्या :—इस विनियम के उद्देश्य के लिये, जनसंख्या की संख्या, पिछली प्रकाशित भारत की सेन्सस रिपोर्ट के अनुसार ली जायेगी।

ए० के० मजूमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा

भुवनेश्वर-751007, दिनांक 4 जनवरी 1995

सं० 44-सी-34/12/36/89-हितलाभ—एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि क० रा० बी० (साधारण) विनियम 1950 के विनियम-10-ए(1)(डी) के अन्तर्गत सम-संख्यक अधिसूचना दिनांक 22-7-94 जो कि भारत सरकार के गजट दिनांक 20-8-94, भाग-3 में प्रकाशित की गई थी उसके मद 4(3) में अध्यक्ष क्षेत्रीय पार्षद क० रा० बी० निगम उड़ीसा के द्वारा श्री के. सी. दास, उप प्रबंधक कार्मिक मैसर्स ईस्ट कोस्ट ब्रूवेरीज एन्ड डिस्टलरीज लिमिटेड पाराद्वीप के नौकरी छोड़ने के कारण रिक्त स्थान पर श्री मनोरंजन नायक कार्मिक अधिकारी मैसर्स ईस्ट कोस्ट ब्रूवेरीज एन्ड डिस्टलरीज लिमिटेड को नामित किया जाता है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

ए० के० सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

केन्द्रीय कार्यालय

नई दिल्ली-110001 दिनांक 10 जनवरी, 1995

सं० 2/1995/डी. एल आई./एक्जाम/89/भाग-1/40—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, के० एस० सरमा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम, का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, के. एस. सरमा, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गोवा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अधिसूचना-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० केनरा फन फूड्स इंडिया, न्यू बंगलो भवन, दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा—403001	गोवा/10171	1-11-87 से 31-10-90 और 1-11-90 से 31-3-93	4/1/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०

1	2	3	4	5
2.	मै० इन्डो स्वीस जैवल्स लि०, 1 और 1 ए तिविम, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोवा–403521 ।	गोवा/10171	1–8–89 से 31–7–92 और 1–8–92 से 31–3–93	2/2/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
3.	मै० सिक्सीन पैकिजिंग प्रा० लि०, केमी भवन, डा० दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा–403001 ।	गोवा/10246	1–2–92 से 31–3–93	2/3/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
4.	मै० बाबाटाईल कारपोरेशन पोस्ट बेटिम, बोलेम्ट गोवा–403101 ।	गोवा/10126	1–9–91 से 31–3–93	2/4/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
5.	मै० मानिक टाइल्स प्रा० लि०, पी० बेटिम, बीलेम्ट गोवा–403101 ।	गोवा/10304	1–9–91 से 31–3–93	2/5/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
6.	मै० गामा मैग्नीज कैमीकल्स कामर्स सेन्टर 4, मंजिल डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नीयर सीने वास्को, वास्को डीगामा गोवा–403802 ।	गोवा/10352	1–1–92 से 31–3–93	2/6/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
7.	मै० एन० के० नाईक एसोसिएट्स वदीबेलूकर रोड, पो० आ० 125, मारगोआ, गोवा–403601 ।	गोवा/10127–ए	1–1–88 से 31–12–90 और 1–1–91 से 31–3–93	2/7/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
8.	मै० चौगले एण्ड कं० लि० चौगले हाऊस, मोरेगांव, हारवोर, गोवा ।	गोवा/9729	1–12–87 से 30–11–90 और 1–12–90 से 31–3–93	2/8/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
9.	मै० डीनो फारमैस्यूटिक्स लि०, फारमस्यूटिकल्स कम्पलैक्स करसवाडा मेपुसा गोवा–403507 ।	गोवा/10038	1–7–90 से 31–3–93	2/9/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
10.	मै० वरोगारिया सलकेट कोरे हाऊस, नजदीक मैं ग्रोपोले सिनेमा, पो० आ० बाक्स नं० 42 मार्गो, गोवा–403601 ।	गोवा/9778	1–1–88 से 31–12–90 और 1–1–91 से 31–3–93	2/11/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
11.	मै० सोसाईटिडे डी फोमन्टो इण्ड० लि० पो० बा० 31, मार्गो गोवा	गोवा/9781	1–12–89 से 30–11–92 और 1–12–92 से 31–3–93	2/13/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
12	मै० एक्युरियस प्रा० लि०, सी–2 डी कोसम्बी बिल्डिंग, स्वतन्त्रता पथ, वास्कोडीगामा, गोवा	गोवा/9992	1–12–89 से 30–11–92 और 1–12–92 से 31–3–93	2/14/गोवा/94/ ई० डी० एल० आई०
13.	मै० टोयो लेबोरेट्रीज प्रा० लि०, चम्पाबी, मैन संस प्रथम मंजिल मेन रोड, पौंडा, गोवा–403401	गोवा/10275	1–1–91 से 31–3–93	2/4366/92/ ई० डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एस. सरमा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 12 जनवरी 1995

सं० ई-3-10(15)/94/एम एच—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त एतद्‌द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत मैं, के० एस० सरमा, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त मैसर्स एलीफीलस्टोन स्पाइनींग एवं वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड, सेनापति बापत मार्ग, बम्बई-400013 की स्वीकृत छूट को 1-1-1995 से रद्द करता हूं जिसे अधिसूचना संख्या एसआरओ 3416 दिनांक 17-10-1957 से क्रम संख्या 122 पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी किया गया और भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 26-10-1957 को प्रकाशित किया गया ।

के० एस० सरमा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

छावनी परिषद

कानपुर, दिनांक 10 जनवरी 1995

शुद्धि-पत्र

का० नि० आ० संख्या 53/4/सी/डीई/94—जो भारत के राजपत्र संख्या 49 (भाग 3, खण्ड 4) दिनांक 3 दिसम्बर, 1994 के पृष्ठ संख्या 4743 पर प्रकाशित हुआ है, की अनुसूची में निम्न शुद्धियां की जाती हैं :—

"रुपये 50001 से 10,000 तक" के स्थान पर पढ़ें "रुपये 5001 से 10,000 तक"

"रुपये 20,001 से अधिक" के स्थान पर पढ़ें "रुपये 20,001 और उससे अधिक"

हरीश प्रसाद
छावनी अधिशासी अधिकारी, कानपुर

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई-40020 दिनांक 10 जनवरी 1995

सं० यूटी/डीबीडीएम/680-ए/एसपीडी 74-सी/94-95—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19(1)(8)(सी) के अन्तर्गत बनाए गए मास्टर ईक्विटी प्लान 1995 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की

धारा 21 के अन्तर्गत बनायी गयी ईक्विटी लिक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना 1995 के प्रावधान, जो दिनांक 21 नवंबर 1994, को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किये हैं तथा 19 दिसम्बर 1994 की बैठक में संशोधित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

एस० के० दासगुप्ता
संयुक्त महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

ईक्विटी लिक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना—1995

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 और उक्त अधिनियम की धारा 19(1)(8)(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके द्वारा ईक्विटी लिक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना—1995 और इस यूनिट योजना से संबंधित मास्टर ईक्विटी प्लान 1995 निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाता है :

ईक्विटी लिक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना—1995 के प्रावधान

(ईएलएसएस' 95)

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारंभ :

(1) यह योजना ईक्विटी लिंक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना—1995 (ईएलएसएस-95) कही जाएगी ।

(2) यह 26 दिसम्बर 1994 से प्रभावी होगी और इस योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री दिनांक 31 मार्च 1995 तक की जाएगी । लेकिन फिर भी योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री किसी भी समय प्रमुख अखबारों में या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी अन्य रीति से 7 दिन की पूर्व सूचना देकर स्थगित[1] की जा सकती है ।

(3) ईक्विटी लिक्ड सेविंग्ज योजना—1992 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में यह योजना बनायी गयी है । इस योजना के अंतर्गत बनायी गयी मास्टर ईक्विटी योजना—1995 में हिस्सा लेनेवाले बचतकर्ताओं को यह योजना लागू होगी ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक विषयवस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 है ।

(ख) "स्वीकृति तिथि" ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री के लिए ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ है उक्त तिथि जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों को स्वीकार करता है कि यह सही है ।

(ग) योजना के अन्तर्गत "आवेदक" का अर्थ है उन सभी वर्गों के लोग जो प्लान के प्रावधानों के खण्ड 2 में विशेष रूप से वर्णित हैं ।

(घ) "सूचीबद्ध" का अर्थ है ऐसे शेयर बाजारों में व्यापार करने के प्रयोजन से यूनिटों को सूचीबद्ध किया जाना जो फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्य हैं ।

(ङ) "अवरुद्ध अवधि" का अर्थ है योजना के अंतर्गत यूनिटों के आवंटन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि जिसके दौरान आवेदक को यूनिटें अपने पास रखनी होंगी और पुनर्खरीद के लिए प्रेषित नहीं करनी होगी ।

(च) "निर्गमाधीन यूनिटों की संख्या" का अर्थ है बिक्री किये गये और शेष यूनिटों की कुल संख्या ।

(छ) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ है ऐसा शेयर बाजार जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत तत्समय मान्यता प्राप्त है ।

(ज) "विनियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(झ) "बिक्री अवधि" का अर्थ है उक्त अवधि जिसके दौरान ट्रस्ट खण्ड 1 के उप खण्ड (2) के अनुसार प्रति यूनिट 10 रुपये (दस रुपये) के अंकित मूल्य पर बिक्री करेगा ।

(ञ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित किया गया ।

(ट) "व्यापार" का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के जरिए खरीद कर या बेचकर लेन-देन करना ।

(ठ) "यूनिट" का अर्थ है इस योजना की यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर ।

(ड) "यूनिट प्रमाणपत्र" निवेशक के मास्टर इक्विटी प्लान 1995 के सदस्य होने का तथा उस योजना के अंतर्गत उसे आवंटित किये गये यूनिटों के स्वामित्व का प्रमाण होगा ।

(ढ) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम/विनियम/ प्लान में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम/विनियम/प्लान में दिए गए हैं ।

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) मूल्यांकन की तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा । जो प्रतिभूतियां बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी उनका मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा । यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व एक माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूतियों का व्यवसाय नहीं किया गया हो तो ऐसी प्रतिभूति के मूल्यांकन की विधि ट्रस्ट जैसा उचित प्रतीत हो, तय की जाएगी ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य दर्शाया जा सके ।

---

1. शब्द "बकायी" को 19-12-94 को निकाल दिया गया ।

(ख) मुद्रा बाजार लिखत तथा डिबेंचर सहित अन्य नियत आय वाली लिखतों का मूल्यांकन वर्तमान आय और समतुल्य लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा ट्रस्ट जैसा उचित समझे उस तरीके से किया जाएगा।

(ग) उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य में, नियम आयवाली प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्त ब्याज और ईक्विटी शेयर के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश तथा ट्रस्ट को ऐसी अन्य प्राप्तियां जो प्रोद्भूत हुई हों अथवा प्रोद्भूत होने योग्य हों, जोड़ी जाएगी।

(घ) अन्य सभी आस्तियां जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाएगा और यदि वह उपलब्ध न हो तो ट्रस्ट द्वारा उचित समझी गई विधि से किया जाएगा।

(ङ) जो प्रतिभूतियां सूचीबद्ध न हों उनका मूल्यांकन बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

4 योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

5 यूनिटों का अंतरण :

यूनिटों के आवंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के बाद इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन की अनुमति दी जाएगी। अवरुद्ध अवधि के दौरान अथवा उसके बाद किन्तु योजना समाप्त होने के पूर्व एच. यू. एफ., ए.ओ.पी., बी. ओ. 1आई. से संबंधित यूनिट धारक के विभाजन और अथवा विघटन की स्थिति में इसमें ऊपर उल्लिखित कुछ भी कथित विभाजन अथवा विघटन के संदर्भ में तत्संबंधी कानून को लागू करने में बाधक नहीं होगा बशर्ते अथवा विनिर्दिष्ट रूप से सहमति प्रकट की गई हो अथवा उल्लेख किया गया हो और जो कथित कानून, यदि कोई हो, के विरुद्ध न हो। एच यू एफ, ए.ओ.पी., बी.ओ.आई. के सदस्यों में आय वितरण और यूनिटों का विभाजन, समय-समय पर प्रचलित तत्संबंधी कानून, यदि कोई हो, के अनुसार नियंत्रित होगा।

6. जारी करने के बाद यूनिटों का अंतरण :

इस योजना के अंतर्गत जारी किये तथा बकाया सभी यूनिट, आवंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के बाद निम्न शर्तों के अधीन, मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाण-पत्र परक्राम्य रहेगा और जैसा कि इस योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के प्रावधानों के खण्ड 2 में उल्लेख किया गया है व्यक्तिगत, व्यस्क या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

अंतरण दस्तावेज की स्वीकृति और अंतरिती का सदस्य के रूप में प्रवेश पूर्णतः ट्रस्ट के विवेकानुसार होगा।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखने वाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाण पत्र और योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के सहित अंतरण दस्तावेज, इस कार्य हेतु नियुक्त किये गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण पत्र नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किये जाएंगे।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक है समझा जाएगा।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगें।

(छ) यदि यूनिट प्रमाण-पत्र खो गया हो/चुराया गया हो/नष्ट हो गया हो तो कुछ आवश्यकताओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे, की पूर्ति करने के बाद मूल यूनिट प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी दस्तावेज और यूनिट प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्रों का अंतरण और जारी करने के संबंध में देय अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाण-पत्र अंतरिती को जारी करेंगे।

(ञ) यदि अंतरिती विधि के परिचालन से या आधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण जिसे वे पर्याप्त समझें, के अधीन रजिस्ट्रार अंतरण लागू करेगा।

(ट) [1]उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाण पत्र दाखिल करने की तिथि से

1 19-12-94 को शामिल किया गया।

30 दिनों के भीतर अंतरिती को अंतरण संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ यूनिट प्रमाण-पत्र वापस करेगा।]

7. **सूचीबद्ध करना :**

2[आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के बाद योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों को अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जायगा।]

8. **योजना के अंतर्गत निधियों का निवेश :**

(क) योजना के अंतर्गत संगृहित निधियों को कम्पनियों के ईक्विटी, संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयरों और पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों और बांडों में निवेश किया जायगा। अंशतः परिवर्तनीय निर्गमों के डिबेंचरों और बांडों, जिसमें राइट्स के आधार पर जारी बांडें और डिबेंचरों का भी समावेश होगा, में इस शर्त के अधीन निवेश किये जा सकते हैं कि यथासंभव इस रूप में अर्जित या अभिदत्त डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश 12 माह की अवधि के अंदर वापस ले लिया जायगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जायगा कि योजना की निधियां खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कम से कम 80% की सीमा तक निवेशित की जायेंगी। ट्रस्ट उपर्युक्त वर्णित तरीके से निधियों को यूनिटों की बिक्री की बंदी की तारीख से छः माह के अन्दर निवेशित करने का प्रयास करेगा। असाधारण परिस्थिति में इस आवश्यकता को ट्रस्ट छोड़ सकता है ताकि सदस्यों के हित सुरक्षित रह सकें।

(ग) उपर्युक्त वांछित तरीके से यदि निधियों का निवेश लम्बित रहता है तो ट्रस्ट अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में या अन्य नकदी लिखतों में या दोनों में निवेश करेगा।

(घ) यूनिटों के आवंटन की तारीख के तीन वर्षों के बाद ट्रस्ट योजना की शुद्ध आस्तियों का 20% तक अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में और अन्य नकदी लिखतों में धारित कर सकता है ताकि वे उन सदस्यों की यूनिटों की पुनर्खरीद कर सकें जो पुनर्खरीद के लिए यूनिटों को जमा करना चाहते हैं।

9. **निवेश की सीमा :**

1 सभी ऋण लिखतों जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, का निवेश श्रेणी के रूप में दर्जा निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते यदि ऋण लिखत का दर्जा निर्धारण नहीं किया गया है तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा विशेष अनुमोदन लिया जाएगा।

2 इस योजना के अंतर्गत कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा।

3. निजी डिबेंचरों प्रतिभूमि ऋणों और अन्य कोट न किए गए ऋण लिखतों में निवेश, योजना की कुल आस्तियों का 10% से अधिक नहीं होगा।

4. किसी भी एक कम्पनी शेयरों में योजना की निधि का 5% से अधिक भाग का निवेश नहीं किया जाएगा।

5. इस योजना की निधियां सीधे यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक भाग का किसी एक कम्पनी के शेयर, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

6. इस योजना की निधियां सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक भाग को किसी एक उद्योग के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा।

बशर्ते उस योजना के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा जिसे एक या अधिक निर्धारित उद्योगों में निवेश के लिए चालू किया गया है और इस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई हो।

7. 1[इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में निवेशों का अंतरण केवल तब ही किया जाएगा जब—

(क) स्पाट आधार पर कोट किए गए लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के अनुरूप होनी चाहिए जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।]

8. ट्रस्ट के अन्य किसी योजना/प्लान में यह योजना निवेश नहीं करेगी या उसे उधार नहीं देगी।

9. यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी।

10. **विकास प्रारक्षित निधि (डी आर एफ) में अंशदान :**

पूंजी का 0.25% ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि में प्रति वर्ष 0.05% की दर से इस योजना के पहले पांच वर्षों में अंशदान के रूप में वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके बाद प्रतिवर्ष अंशदान शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.05% की दर से होगा।

11. **लेखों का प्रकाशन :**

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत इसके प्लान के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट सेबी को विधिवत रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ-हानि लेखा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही

---

1. "ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार निवेशों का अंतरण इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में किया जाएगा" के स्थान पर 19-12-94 को शामिल किया गया।

2. "यदि सेबी द्वारा यूनिट ट्रस्ट को विशेष छूट नहीं दी जाती तो आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के बाद योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों को अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा" के स्थान पर 19-12-94 को शामिल किया गया।

पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिस का सूचित किया जाना आवश्यक हो ।

ट्रस्ट सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

योजना के प्रावधानों पर आधारित पेशकश दस्तावेज में संशोधन कार्यकारिणी समिति तथा सेबी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके किया जा सकता है ।

13. योजना की समाप्ति :

(क) 31 मार्च 2005 को अर्थात योजना के अंतर्गत यूनिटों के आवंटन के वर्ष से दस वर्ष बाद यह योजना समाप्त की जाएगी ।

(ख) यदि योजना के अंतर्गत जारी यूनिट में से 90% से अधिक यूनिट की दस वर्ष पूरे होने से पहले ही पुनर्खरीद की जाती है तो ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यह योजना दस वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले भी समाप्त कर सकता है और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर बकाया यूनिटों को मुक्त कर सकता है ।

जहां पर योजना ऊपर के उप खण्ड (ख) के अधीन समाप्त की जाती है वहां ट्रस्ट सेबी को इसके बारे में सूचित करेगा और समाप्ति-तिथि के एक सप्ताह पहले अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय समाचार पत्र में सूचना देगा ।

14. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की प्रतिलिपि सभी संशोधनों सहित पूरे कार्य-समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और किसी भी व्यक्ति को उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

15. उपबन्धों के अर्थ लगाने का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा । इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाए ।

16. उपबंधों में ढील/परिवर्तन/संशोधन :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है, परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

17. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो ।

18. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, आरक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों ।

मास्टर ईक्विटी प्लान—1995 के उपबंध

ईक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना 1995 (ईक्विटी लिंक्ड सेविंग्ज यूनिट स्कीम) के अन्तर्गत जारी यूनिटों के लिए यह प्लान लागू होगा ।

भूमिका :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अनुसार करदाता, जो एक व्यक्ति हो सकता है, हिंदू अविभक्त परिवार या व्यक्तियों का संघ हो सकता है, द्वारा किए गए निवेश पर आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड 23 (डी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी म्यूच्युअल फण्ड की यूनिटों में जैसा विनिर्दिष्ट हो या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की किसी योजना के अंतर्गत कोई योजना जिसे केंद्रीय सरकार किसी सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकतम 10 000 रु० की निवेश की गई राशि पर 20% की छूट प्रदान कर सकती है । अन्य शब्दों में निवेशक द्वारा निवेशित राशि का 20% अधिकतम 10 000/- रु० तक की राशि देय कर में घटायी जा सकती है ।

यह प्लान आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के प्रावधानों के अनुसरण में और ईक्विटी लिंक्ड सेविंग्ज यूनिट योजना 1995 के अनुसार ईक्विटी लिंक्ड सेविंग्ज योजना 1992 के साथ पढ़ते हुए बनाया गया है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

1. परिभाषाएं :

प्लान में शब्द परिभाषित नहीं है और योजना और अधिनियम/विनियमन में परिभाषित शब्दों का वही अर्थ हो जो योजना/अधिनियम/विनियमन में दिया गया है।

2. सहभागिता के लिए पात्रता :

निर्धारिती—

(क) निवासी वयस्क व्यक्ति एकल रूप में होगा यदि योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटें शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं, तो संयुक्त आधार पर 3 व्यक्तियों तक के लिए अनुमति है।

(ख) निवासी नाबालिग की ओर से माता-पिता/सौतेले माता-पिता या वैध अभिभावक।

(ग) हिन्दू अविभक्त परिवार, या

(घ) व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे और जो गोवा राज्य और संघशासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव इन क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक या सार्वजनिक प्रणाली से निर्मित है।

(ङ) नाबालिग के कोई वयस्क जो माता-पिता, सौतेले माता-पिता या वैध अभिभावक हैं वे यूनिटों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस प्लान तथा अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार तथा उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक यूनिटों के संबंध में व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा वयस्क, यूनिटों के लिए आवेदन करते समय, ट्रस्ट को नाबालिग की आयु का साक्ष्य और नाबालिग की ओर से यूनिटों का धारण करने और व्यवहार करने की अपनी सक्षमता को ऐसी रीति में प्रस्तुत करना होगा जैसा निश्चय किया जाएगा।

बशर्ते कि ट्रस्ट को, बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन पत्र में ऐसे वयस्क द्वारा दिये गये विवरणों पर कार्यवाही/कार्यवाई करने का स्वत्वाधिकार होगा। उपर वर्णित कोई निर्धारिती या योजना के अंतर्गत निर्धारित आवेदक का उल्लेख नीचे "सदस्य" किया जाएगा।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा/यथानुमोदित प्रपत्र में होगा।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

4 निवेश की न्यूनतम राशि :

आवेदन न्यूनतम 50 यूनिटों के लिए किया जाएगा और इसके बाद 50 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

5 एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपये है। यदि लक्ष्य राशि के 60% का अभिदान नहीं हो जो, ट्रस्ट को योजना के अंतर्गत एकत्र की गई पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताह के भीतर आवेदक के खाते में चेक/वापसी आदेश द्वारा वापस करना होगा।

[1][यदि उपरोक्त नियत अवधि के भीतर राशि वापस नहीं की जाती है तो यूनिटों की बिक्री बंद होने की तारीख से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदकों को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।]

6. व्ययों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा। आरंभिक निर्गम व्यय को छोड़कर योजना का कुल व्यय किसी भी लेखा वर्ष में औसत एनएवी के 3% से अधिक नहीं होगा।

7 भुगतान विधि :

(1) 1. किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जहां आवेदन यूटीआई के कार्यालयों में जमा किये जाएं, वहां चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर स्थित कार्यालय में आवेदन किया जाए। लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान पर आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है।

2. यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संगृहण केंद्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या संगृहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवेदित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिट के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे।

1. 19-12-94 को शामिल किया गया।

उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(3) ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था अथवा निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगी।

(2) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक पर योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिये आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी। गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण के लिए जिम्मेदार होगा और उसका नाम सदस्यों की पूंजी से काट दिया जाएगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में यथानिर्णित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करें और शेष वापस कर दे। पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. **यूनिटों की बिक्री :**

योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की पेशकश 96 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी जो 26 दिसम्बर 1994 से 31 मार्च 1995 तक रहेगी। दोनों दिन सम्मिलित होंगे।

ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 31 मार्च 1995 को कारोबार का समय समाप्त होने के बाद और उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को अवैध माना जाएगा और उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों का बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा।

यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को यूनिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रेषित यूनिट प्रमाण पत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलीवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा। ट्रस्ट को प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाण पत्र भेजने का प्रयास करना होगा। 1[ ]

9. शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन :

प्लान में शामिल होने की तिथि के अनुसार निवेशक को निम्नलिखित रूप में प्रोत्साहन राशि अदा की जाएगी :

26-12-1994 से 20-01-1995— 1.5%
21-01-1995 से 20-02-1995—1%

प्रोत्साहन राशि का चैक यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा।

2[इस प्रोत्साहन राशि की अदायगी अंशतः निधि से और अंशतः आय से की जाएगी। इसे आरंभिक निर्गम व्यय के रूप में माना जाएगा।]

10. यूनिटों का आवंटन :

31 मार्च 1995 को यूनिटों का आवंटन किया जाएगा।

आवेदन पत्रों के संबंध में 2000 यूनिटों का (अर्थात 20,000/- रु०) पक्का आवंटन किया जाएगा और उसके बाद पूरे अंशदान को ध्यान में रखते हुए आवंटन पूर्णतः ट्रस्ट के विवेकानुसार होगा। 3[और ऐसे आधार पर जिसे ट्रस्ट सही और उचित मानेगा।]

11. अवरुद्ध अवधि :

प्लान के अंतर्गत सदस्य द्वारा किये गये निवेश को आवंटन की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह 3 वर्ष की अवधि "अवरुद्ध अवधि" कही जाएगी। इन 3 वर्षों की अवधि के दौरान यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन 3 वर्षों की अवधि के बाद सदस्य को यूनिट ट्रस्ट को पुनर्खरीद के लिए यूनिटें प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, उक्त सदस्य को यूनिटें आवंटित की गयी तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने के बाद, वैध उत्तराधिकारी या योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नामित व्यक्ति, मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों की पुनर्खरीद कर सकता है। एक वर्ष की अवधि के बाद और इस संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वैध उत्तराधिकारी/नामिती व्यक्ति को मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का भुगतान किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद मूल्य घोषित किया जाएगा।

---

1. "या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णित सेबी से परामर्श कर अवधि बढ़ायेगा" को 19-12-94 को निकाल दिया गया।
2. 19-12-94 को शामिल किया गया।
3. 19-12-94 को शामिल किया गया।

12. यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य :

(1) ट्रस्ट यूनिटों की आवटन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद और उसके बाद अर्ध वार्षिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा ।

(2) आवटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद जब यूनिटों की पुनर्खरीद प्रारम्भ होगी, ट्रस्ट योजना में दिये गये आधार पर प्रत्येक महीने, जैसा भी निश्चित किया गया हो, पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा ।

(3) पुनर्खरीद मूल्य जिस पर यूनिटें खरीदी जायेंगी उसे समय-समय पर घोषित एनएवी के आधार पर परिकलित किया जाएगा । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रशासनिक लागत और अन्य प्रभार जो औसत एनएवी के 5% प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होगा काटने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें सन्दर्भित आवंटन की तिथि 31 मार्च 1995 होगी ।

(6) ट्रस्ट पुनर्खरीद/अंतिम पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित करने के बाद यथाशीघ्र इस प्रकार यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्रकाशित करेगा जिसे वह उचित समझेगा ।

13. यूनिटों की पुनर्खरीद :

जहां आवेदक द्वारा यूनिट प्रमाण पत्र के साथ यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र ट्रस्ट द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ट्रस्ट जल्द-से-जल्द इसके बाद पावती भेजेगा और आवेदक द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूर्ण की गई समझी जाएगी । यूनिटों की पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को प्रचलित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी । पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के लिए अदायगी ट्रस्ट द्वारा यथासम्भव जल्द-से-जल्द स्वीकृति तिथि के बाद उस तरीके से की जाएगी जैसा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा सूचित किया गया हो । आवेदक को देय राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा, और ट्रस्ट द्वारा भेजे गये चेक या ड्राफ्ट की वसूली और प्रेषण की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी ।

14. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद संबंधी पेशकश पर प्रतिबंध:

इसमें ऊपर किसी भी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिवस पर, जो कार्यदिवस नहीं हो और

(2) ऐसी अवधि के दौरान जब बही और लेखे की वार्षिक बंदी (ट्रस्ट द्वारा यथासूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बंद हो ।

स्पष्टीकरण—इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही (2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

15 अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

योजना और इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान की समाप्ति पर जैसा कि योजना के प्रावधानों के खण्ड 13 में दिया गया है, ट्रस्ट जल्द-से-जल्द अंतिम पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित करने के बाद ऐसे पद्धति से प्रकाशित करेगा जैसा ट्रस्ट सही समझेगा ।

16. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण :

प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के आस्तियों के मूल्य का निर्धारण करते हुए और प्रोद्भवन और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति यूनिट का परिकलन प्लान के एनएवी को यूनिटों की जारी कुल संख्या और उस तिथि का बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित कर, किया जाएगा । इस एनएवी का प्रकाशन कम-से-कम दो दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे अंतराल पर एक माह से अधिक नहीं हो या ऐसे अंतराल पर किया जो सेबी द्वारा अनुमोदित हो, किया जाएगा । एनएवी का परिकलन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा ।

17. योजना की अवधि :

इस योजना के उपबंध केवल विशिष्ट रूप से अंकित अपवादों को छोड़कर 26 दिसम्बर 1994 से लागू माने जायेंगे और यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2005 तक होगी ।

18. कर विधि का लागू होना :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत एस ई पी-95 के यूनिटों में निवेश की गई राशि के 20% पर (अधिकतम 10,000/- रु० तक) कर की छूट होगी । अन्य शब्दों में, निवेश की गई राशि का 20% (अधिकतम 10,000/- रु० तक) निवेशक द्वारा देय कर से घटा दिया जाएगा ।

यूनिटों से प्राप्त अन्य पूंजी लाभ पर प्रचलित कर विधि के अनुसार कर की वसूली की जाएगी ।

योजना में निवेश का मूल्य धन कर से पूर्णतः मुक्त होगा । ट्रस्ट द्वारा यदि लाभांश का भुगतान किया जा रहा है तो एकल सदस्यों के मामले में स्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी ।

19. यूनिट प्रमाण पत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाण पत्र इसके साथ संबद्ध किए गए फार्म ए के प्रारूप में अथवा ऐसे फार्म प्रारूप में होंगे जिसे योजना के सुचारु रूप से परिचालन हेतु अनुमोदित किया गया हो । प्रत्येक यूनिट प्रमाण पत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा सदस्य के नाम का उल्लेख होगा ।

20. यूनिट प्रमाण पत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लाया गया होगा। जब तक यूनिट प्रमाण पत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले किसी व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो। किंतु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाण पत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाण पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण पत्र भी वैध होंगे।

21. जब यूनिट प्रमाण पत्र का विनिमय और उसके कटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक सदस्य अपना कोई एक या सभी यूनिट प्रमाण पत्रों को अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी मूल्यवर्ग के एक या अधिक यूनिट प्रमाण पत्रों के साथ, जो यूनिटों की समान कुल संख्या दर्शाते हों, विनिमय करने का हकदार रहेगा। उक्त विनिमय के लिए आवेदन करते समय सदस्य ट्रस्ट को विनिमय किये जाने वाला यूनिट प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्रों को अभ्यर्पित करेगा और नया यूनिट प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों के निर्गम के सम्बन्ध में सभी मुद्राएं (यदि कोई देय हो) ट्रस्ट को अदा करेगा।

(2) यदि कोई यूनिट प्रमाण पत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जिस के यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित प्रमाण पत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाण पत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। कोई नया यूनिट प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता,

(2) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता,

(3) कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता; और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं करता। इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

(3) इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर 1/- रु० का भुगतान करे। साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार स्टाम्प ड्यूटी यदि कोई है, के लिए पर्याप्त धन राशि या अन्य खर्च या डाक पंजीकरण खर्च सहित कर, जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा। बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में कोई शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी या डाक पंजीकरण खर्च यूनिट प्रमाणपत्र के उक्त निर्गम के संबंध में देय नहीं होगा—उदाहरणार्थ :

(1) जब किसी आवेदक को या अंतरिती को जारी यूनिट प्रमाणपत्र पहली बार उप विभाजन के लिए प्रस्तुत किया जाता है,

(2) जब यूनिट प्रमाण पत्रों का समेकन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित होता है और उक्त सुझाव सदस्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

22. सदस्य का रजिस्टर :

सदस्यों के पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित उपबंध किये जाएंगे :—

(1) ट्रस्ट द्वारा एक सदस्य पंजी रखी जाएगी और जिसमें निम्न प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी।

(क) सदस्यों के नाम और पते,

(ख) प्रमाणपत्रों की विभेदक संख्या और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या, और

(ग) जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट है उसके धारक बनने की तिथि।

(2) (क) सदस्य के रूप में पंजीकरण के लिए कोई आवेदन पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन पत्र में पचास के गुणज में यूनिट की संख्या नहीं दी गयी हो।

परन्तु किसी सदस्य की मृत्यु होने पर कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी पचास के गुणज में न रहने वाले यूनिट की संख्या का हकदार बनता है, योजना के प्रावधानों के अधीन सदस्य के रूप में उक्त यूनिटों की संख्या के सम्बन्ध में पंजीकृत किया जा सकता है :

(3) किसी सदस्य के अपने नाम और पते में हुए परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किये जाने पर पंजी में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

(4) पंजियों की बंदी अवधि को छोड़कर इसमें इसके पश्चात इस संबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, किंतु प्रत्येक कार्य-दिवस को कम-से-कम दो घंटे निरीक्षण) के लिए खुली रहेंगी। सदस्य के निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेंगी।

(5) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधि के लिए बंद पंजी रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में यह [1]45] दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। ट्रस्ट ऐसी बंदी की सूचना जैसा बोर्ड निर्देश देगा, विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

(6) किसी यूनिट के संबंध में पंजी में कोई ट्रस्ट अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना अंकित नहीं की जाएगी।

23. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

प्रमाण पत्र में अंकित यूनिटों के संबंध में सदस्य को भुगतान की गयी राशि के लिए उसकी रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन (गुड डिस्चार्ज) माना जाएगा।

24. आय का वितरण :

यदि योजना के आस्तियों से आय, खर्चों को पूरा करने के बाद उचित लाभांश घोषित करने के लिए पर्याप्त हो तब योजना के अंतर्गत ट्रस्ट लाभांश की घोषणा कर सकता है तथा भुगतान कर सकता है।

25. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(क) एक व्यक्ति के रूप में कोई सदस्य नामांकन करने या रद्द करने के अधिकार का प्रयोग विनियमों में दी गई सीमा तक कर सकता है। यह सुविधा तथापि, अंतरिती को यूनिटों के अंतरण होने पर उपलब्ध नहीं होगी।

बशर्ते इसके आगे हिन्दू अविभक्त परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के कथित संघ को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

(ख) रजिस्ट्रार योजना के उपबंधों और समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार और इसमें विहित उप खण्ड (क) के अधीन नामांकन निर्धारित प्रारूप में स्वीकार करेगा और उसे पंजीकृत करेगा। वे ऐसे निर्देशों के अंतर्गत किए गए नामांकन में अंतर, संशोधन या परिवर्तन की अनुमति भी दे सकते हैं और उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं।

26. सदस्य की मृत्यु :

(क) किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में योजना के अंतर्गत, नामित व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा मान्य व्यक्ति होगा जो मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों के संबंध में देय राशि का हकदार होगा।

(ख) वैध नामांकन के अभाव में मृत सदस्य का प्रशासक या कार्यपालक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 59) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का धारक ही केवल ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका यूनिटों में कोई अधिकार है ऐसा ट्रस्ट द्वारा माना जाएगा।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु होने के कारण किसी व्यक्ति के यूनिटों का स्वत्वाधिकारी होने पर तथा उसके स्वत्वाधिकारी होने के साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझता है, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों की (यूनिटों के आवंटन के एक वर्ष बाद) पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान, दावेदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन करने पर ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

यूनिटों की पुनर्खरीद करने के लिए आवेदन पत्र
मास्टर ईक्विटी प्लान, 1995

दिनांक :————

प्रति,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

————————————

————————————

————————————

मैं——————————मास्टर ईक्विटी प्लान—1995 की————यूनिट का पंजीकृत सदस्य/नामिति/मृत सदस्य का विधिक उत्तराधिकारी हूं और स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को बेचना चाहता हूं।

(1) प्रमाणपत्र में समाविष्ट सभी यूनिट।

(2) प्रमाणपत्र में समाविष्ट————————यूनिटों में से *——————यूनिट और बकाया यूनिटों, यदि हों, के लिए 50 यूनिटों के गुणजों में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

1 "60" दिनों के स्थान पर 19-12-94 को शामिल किया गया।

मुझे यूनिटों के मूल्य का भुगतान ** चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाए ।

साक्षी का हस्ताक्षर

सदस्य/नामिति/विधिक उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर

नाम :

पता :

नाम :

पता :

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्वीकृति तिथि

*50 यूनिटों के गुणकों में—

**लागू न होने वाले शब्द काट दें ।

फार्म ए

— चिन्ह —

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मास्टर ईक्विटी प्लान, 1995

यूनिट प्रमाणपत्र

(खण्ड 19)

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) के उपबंधों के अधीन बनायी गयी विनियमावली और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अधीन बनाये गये मास्टर ईक्विटी प्लान, 1995 (एमईपी-95) के अन्तर्गत, इस प्रमाणपत्र में नामांकन व्यक्ति मास्टर ईक्विटी प्लान—1995 का सदस्य है और इसमें उल्लिखित यूनिटों, जिसका प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रु० का पंजीकृत धारक है ।

यूनिट प्रमाणपत्र सं०

यूनिटों की संख्या (अंकित मूल्य रु० 10/- प्रति यूनिट)

सदस्य का नाम

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अध्यक्ष न्यासी

स्थान :

दिनांक :

सं० यूटी/डीबीडीएम/680ए/एसपीडी 185/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाये गये पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस 1992) के प्रावधानों के संशोधन जो 19 दिसम्बर 94 हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये इसके नीचे प्रकाशित किए गए हैं ।

एस० के० दासगुप्ता

संयुक्त महाप्रबन्धक

व्यवसाय विकास और विपणन विभाग

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस 1992) के प्रावधानों में संशोधन "यूनिटों की बिक्री" के खण्ड 8 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है :

—

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा को स्वीकृति तिथि को समाप्त हुआ समझा जाएगा । बिक्री के लिए संविदा की ऐसी समाप्ति के बाद, ट्रस्ट या इसके एजेन्ट, जैसा भी मामला हो, इसके बाद जितना जल्दी हो सके, आवेदक को एक पावती भेजेंगे । इसके बाद जल्द से जल्द ट्रस्ट आवेदक को 100 यूनिटों के विपणन योग्य लाट में अधिकतम 20 प्रमाणपत्र जारी करेगा और इससे अधिक के निवेश के लिए उन्हें दिये गए शेष यूनिटों के एक समेकित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । यह समेकित प्रमाणपत्र यूनिट धारक के अनुरोध पर एक बार बिना किसी लागत के विभाजित किया जाएगा ।

तथापि, यूनिट धारक के लिखित अनुरोध पर ट्रस्ट अपने विवेकानुसार और आवश्यक परिचालन और क्रियाविधि संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने पर विपणन योग्य लाटों में जारी किए गए ऐसे प्रमाण-पत्रों को प्रत्येक 10,000 यूनिटों के मूल्य वर्ग में समेकित करेगा। शेष यूनिट, प्रत्येक 100 यूनिटों के लाटों में जारी किए जाएंगे। 10,000 यूनिटों के मूल्य वर्ग में जारी यूनिट प्रमाण-पत्रों को यूनिट धारक के अनुरोध पर एक बार, बिना किसी लागत के 100 यूनिटों के गुणकों में विभाजित कर दिया जाएगा। पुनर्खरीद/अंतरण/प्रेषण/जमा प्रमाण-पत्र में सम्मिलित यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट/यूनिट धारक अपेक्षित क्रियाविधिक/परिचालन संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन करेंगे।

"यूनिट प्रमाण-पत्र का फार्म" के खण्ड 18 को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है।

100 यूनिटों के विपणन योग्य लाटों में जारी यूनिट प्रमाण-पत्र संलग्न फार्म ए के अनुसार होंगे और 10,000 यूनिटों के मूल्य वर्ग में जारी प्रमाण-पत्र संलग्न में फार्म बी के अनुसार होंगे। प्रत्येक यूनिट प्रमाण-पत्र में विभेदक संख्या (संख्याएं), प्रमाण-पत्र में सम्मिलित यूनिटों की संख्या और यूनिट धारक के नाम होंगे।

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अधीन निर्मित)

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना – 1992 (मास्टरगेन– 92)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में नामांकित व्यक्ति भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (63का 52) उसके अधीन बनाये गये विनियमों और पूंजी वृद्धि यूनिट योजना (1992) (मास्टरगेन - 92) के अधीन निम्नलिखित यूनिटों का/के पंजीकृत धारक है / हैं प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये है।

रजि० फोलियो सं० एम० जी.　　　　यूनिट प्रमाणपत्र क्रमांक

धारकों का/के नाम

यूनिटों की संख्या　　दस हजार केवल　　(***10,000)

विभेदक संख्या (संख्याएं) संलग्न के अनुसार (संलग्न प्रमाणपत्र का एक अभिन्न भाग है।

समेकित स्टाम्प शुल्क अदा किया गया　　　　कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

जारी करने की तारीख

स्थान

कार्यपालक न्यासी　　　　अध्यक्ष

पीछे दिए गए मास्टरगेन – 92 के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण का ज्ञापन

दिनांक	अंतरण सं०	रजि फोलियो सं०	अंतरिती (यों) का/के नाम	लघु हस्ताक्षर	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मास्टरगेन –92 के अन्तर्गत सभी यूनिटों का पुनर्खरीद फार्म

तारीख

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं / हम———————————————————————————————

इस प्रमाणपत्र में शासित मास्टरगेन – 92 के अन्तर्गत सभी यूनिटों की स्वीकृत तिथि को पुनर्खरीद के मूल्य पर पुनर्खरीद का प्रस्ताव करता हूं / करते हैं पुनर्खरीद की राशि का मूल्य मुझे / एवं अपने खर्च पर चैक / बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाए।

धारक (धारकों) का/के हस्ताक्षर

साक्षी का हस्ताक्षर

नाम :

व्यवसाय :

पता :

स्वीकृति की तारीख :

मास्टर गेन 92 के सम्बन्ध में सभी पत्राचार रजिस्ट्रार के नाम जिसका पता नीचे अंकित है करें :–

मैसर्स डाटामेटिक्स लि० यूनिट : भा० यू० ट्रस्ट मास्टरगेन 92 प्लाट नं० ए. 16 और 17 एम० आई० डी०सी० पार्ट बी० क्रॉस लेन एम० आई० डी०सी० पोलीस स्टेशन के पीछे अंधेरी (पूर्व) बम्बई –400093

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत निगमित)

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टर गेन–92)

10,000 यूनिटों के प्रमाणपत्र का संलग्नक निम्नलिखित प्रमाण पत्रों / समेकित विभेदक संख्याओं के स्थान पर जारी किया गया

क्र०स०	पूर्व प्रमाण पत्र सं०	रजि० फोलियो सं० एम० जी० विभेदक सं०	यूनिटों की सं०	प्रथम धारक का नाम क्र० सं०	पूर्व प्रमाणपत्र सं०	यूनिट प्रमाणपत्र विभेदक सं०	क्रमांक यूनिटों की सं०

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्यालय न्यासी

दिनांक 18 जनवरी 1995

सं० यूटी/डी बी डी एम/723 ए/एस पी डी-84/94-95—भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गए यूनिट योजना 1995 के उपबंध जो 21 नवम्बर 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये और दिनांक 26 दिसम्बर 1994 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में संशोधित किए गए, इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

ए० के० दासगुप्ता,
संयुक्त महा प्रबन्धक
व्यवसाय विकास और विपणन

यूनिट योजना 1995

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना यूनिट योजना 1995 कहलाएगी।

(2) यह उस दिन से आरम्भ होगी जैसा यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा निश्चय किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री बही बंदी के अवधि को छोड़कर, जो वर्ष में 1[45] दिनों से अधिक नहीं होगी पूरे वर्ष के दौरान खुली रहेगी।

परन्तु यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष 2[शुद्ध, शेयर बाजारों में व्यापार में बाधा जैसी परिस्थितियों और अन्य समाज-आर्थिक कारणों से] अखबारों में 15 दिनों का नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति में जैसा यूनिट ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

1. 26-12-94 को '60' के स्थान पर शामिल किया गया।
2. 26-12-94 का जोड़ा गया।

2. **परिभाषाएं :**

इस योजना में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदक द्वारा ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के संदर्भ में "स्वीकृति तिथि" का अर्थ उस तिथि से है जब ट्रस्ट आवेदन-पत्र के सही होने से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार करता है।

(2) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963;

(3) "आवेदक" का अर्थ है योजना के अन्तर्गत आवेदक और जब मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट बेचे जाएं तो आवेदन-पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक इसमें शामिल होगा।

(4) "निगमित निकाय" में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति शामिल होगी, जब तक संदर्भ का अन्यथा अर्थ न हो ऐसी समिति को इसके बाद "समिति" कहा जाएगा।

(5) "पात्र ट्रस्ट" का वह अर्थ होगा जो विनियमनों के विनियमन 2 के खण्ड (ए ए ए) में समनुदेशित किया गया है।

(6) "मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ऐसे विकलांग हैं कि वह जीवन के सामान्य क्रियाकलाप करने में असमर्थ हैं और किसी पंजीकृत मैडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ऐसा प्रमाणित किया गया है।

(7) "निर्गत यूनिटों की संख्या" का अर्थ है बेचे गये और बकाया यूनिटों की संख्या।

(8) "पंजीकृत शेयर बाजार" का अर्थ है ऐसे शेयर बाजार से है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अधीन फिलहाल मान्यता-प्राप्त शेयर बाजार है।

(9) "विनियमावली" का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964।

(10) "सेबी" का अर्थ है, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 का 1992) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

(11) यूनिट का अर्थ है—इस योजना से संबंधित, यूनिट पूंजी में एक सौ रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर।

(12) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट है।

(13) सभी अन्य अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित की गई हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में समनुदेशित किए गए हैं।

3. **प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :**

योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य एक सौ रुपये होगा।

4. **यूनिटों के लिए आवेदन :**

(1) इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं।

(1) कोई भी व्यक्ति एकल या अन्य व्यक्ति के साथ उनमें से कोई नाबालिक न हो, संयुक्त/कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर।

(2) कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय।

(3) कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय किसी दूसरी कम्पनी के साथ या निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ, उनमें से कोई नाबालिग न हो।

(4) नाबालिग की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या विधिक अभिभावक।

(5) पात्रट्रस्ट विनियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार और विनियमों में दी गई सीमा तक।

(6) हिंदू अविभक्त परिवार (एच यू एफ)

(7) कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित के लिए जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है।

(8) कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या सरकार या न्यायालय के अधिकारी की क्षमता में आवेदन कर सकता है।

(9) अनिवासी भारतीय (एन आर आई), विदेशी कारपोरेट निकाय (ओ सी बी) अन्य विदेशी निगमित निकाय और कम्पनियां आवेदन कर सकती हैं।

अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित ऐसे आवेदक या आवेदकों की श्रेणियां भी आवेदन कर सकती हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) आवेदन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में किए जाएंगे।

(3) गैर-व्यक्तिनिवेशकों द्वारा यूनिटों के लिए आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे, जो निवेशकों को शामिल करने वाले स्थापना चार्टर, नियमों और अधिनियमों, स्थापना आदि के द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत हों।

(4) यूनिटों के लिए आवेदन ऐसे दस्तावेजों के साथ किया जाना चाहिए जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(5) एन आर आई ओ सी बी, अन्य विदेशी निगमित निकाय और कम्पनियों द्वारा किया गया कोई भी निवेश समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों द्वारा संचालित होगा ।

5. नाबालिग, निगमित निकाय आदि का पंजीकरण और उनके द्वारा आवेदन :

(1) निगमित निकाय यूनिट धारक के रूप में या संयुक्त यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ।

(2) नाबालिग की ओर से कोई वयस्क चाहे वे माता-पिता हों सौतेले माता-पिता हों या अन्य विधिक अभिभावक हों, अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (2 ए) के अनुसार और उसमें दी गई सीमा तक यूनिटों का धारण और व्यवहार करेंगे । ऐसे वयस्क ऐसी विनिर्दिष्ट पद्धति में, नाबालिग की आयु और नाबालिग की ओर से यूनिटों के धारण और व्यवहार की क्षमता का सबूत ट्रस्ट को देंगे ।

ट्रस्ट आवेदन पत्र में ऐसे वयस्क द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर बिना कोई अन्य साक्ष्य मांगे कार्य करने का हकदार होगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित के लिए आवेदन करता है, जो मानसिक रूप से विकलांग है तो ट्रस्ट उनके द्वारा दिए गए विवरणों और प्रमाण पत्रों के आधार पर काम करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट ऐसा कार्य सद्भावना में कर रहा है । ट्रस्ट केवल आवेदक के साथ व्यवहार करने का हकदार होगा और उसकी मृत्यु होने की स्थिति में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करने का हकदार होगा और उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के संबंध में कोई भी भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन समझा जाएगा ।

(4) कंपनी या अन्य निगमित निकायों द्वारा आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज होने चाहिए जो आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता दर्शाते हों, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, उपनियम, प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति, और आवश्यक मुख्तारनामें की प्रति ।

(5) फर्म या अन्य व्यक्तियों के संघ को (जो निगमित नहीं हैं) यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

(6) संयुक्त धारकों के रूप में दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति समझे नहीं होंगे ।

(7) अपनी अधिकाधिक क्षमता में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसके आधिकारिक नाम में यूनिट जारी किए जाएंगे ।

6. निवेश की न्यूनतम राशि

न्यूनतम निवेश एक लाख यूनिटों का और पचास हजार यूनिटों के गुणकों में होगा, और उसके बाद ट्रस्ट यथा आवश्यकता स्वविवेक से अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा ।

7. राशि जुटाने का न्यूनतम लक्ष्य

योजना शुरू होने के प्रारंभिक वर्ष में योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है । बाद के वर्षों के लिए लक्ष्य उन वर्षों के आरंभ में निर्धारित किया जाएगा । यदि योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री खुलने के 45 दिनों के भीतर उक्त लक्ष्य राशि का 60% अभिदत्त नहीं होता है तो ट्रस्ट आदाता खाता चेक/वापसी आदेश द्वारा, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री खुलने के 45 दिनों से 6 सप्ताहों के भीतर वसूल की गई पूरी राशि को वापस करेगा ।

[1][उक्त अनुबद्ध अवधि के अंदर राशि वापस न करने की स्थिति में, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री खुलने के 45 दिनों से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर, ट्रस्ट आवेदकों को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा] ।

8. खर्चों की सीमा :

प्रारम्भिक निर्गम खर्च योजना के अंतर्गत वसूल की गई निधियों के 6% से अधिक नहीं होगा । प्रारम्भिक निर्गम खर्चों को छोड़कर योजना का कुल खर्च, किसी भी लेखा वर्ष के दौरान बकाया शुद्ध आस्तियों के औसत के 3% से अधिक नहीं होगा ।

9. भुगतान विधि :

(1) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिट के लिए आवेदन पत्र के साथ चैक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा । यदि जहां आवेदन पत्र यूटीआई के शाखा कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाए तो आवेदन पत्र जमा करने वाली शाखा जिस शहर में हो, चैक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होना चाहिए ।

परन्तु यदि आवेदक किसी ऐसे स्थान से जहां पर यूटीआई का कार्यालय न हो आवेदन पत्र देय बैंक ड्राफ्ट प्रभार घटाकर भेज सकता है ।

(2) यदि भुगतान चैक द्वारा किया गया है तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्त करने की तिथि होगी, बशर्ते कि चैक की राशि की वसूली हो जाए ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट वसूली हो जाए । परन्तु यह भी कि, ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को आवेदन पत्र ऐसे समय के भीतर प्राप्त हो जाए जो ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए । यदि आवेदित यूनिटों के भुगतान के लिए अदा की गयी राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे जितने योजना के अन्तर्गत किए जा सकते हैं । तथा शेष राशि उसको उसके खर्च पर इस तरह वापस की जाएगी, जैसा ट्रस्ट सही समझे ।

---

[1] 26-12-94 को जोड़ा गया ।

(3) **आवेदन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार :**

योजना के अन्तर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा । योजना में आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) **अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे :**

यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और प्रक्रिया संबंधी औपचारिकता पूरी होने के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के, चाहे वह ब्याज के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा ।

(5) **यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अन्तर्गत अपेक्षा का अनुपालन करना होगा :**

योजना में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी । ट्रस्ट की संतुष्टि के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा । जो व्यक्ति गलत घोषणा कर यूनिट रखेगा वह सदस्यता निरस्त किए जाने का भागी होगा और उसका नाम सदस्य पंजी से काट दिया जाएगा । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह यूनिटों की पुनर्खरीद ऐसे मूल्य पर लें, जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किये गये आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर लें और शेष राशि वापस कर दें । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे ।

(6) कोई व्यक्ति किसी बैंकर या अन्य संस्था के साथ, उन्हें यह अधिकार देकर यह व्यवस्था कर सकता है कि विधि के अनुसार, वे समय-समय पर उसकी ओर से यूनिट ट्रस्ट से यूनिट खरीद सके ।

(10) **यूनिटों की बिक्री :**

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई मानी जाएगी । ट्रस्ट इसके बाद बेचे गए यूनिटों को दर्शाते हुए यूनिट प्रमाण पत्र, पंजीकृत डाक द्वारा, आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेजेगा । यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाण पत्र को यथाशीघ्र लेकिन आवेदन पत्र की स्वीकृति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा । 1[ ] यूनिट ट्रस्ट की ऐसे भेजे गये प्रमाण पत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या गलत सुपुर्दगी या गैर सुपुर्दगी के लिए कोई देयता नहीं होगी ।

ट्रस्ट द्वारा निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाण पत्र ऐसे निगमित निकाय के नाम पर बनाया जाएगा ।

11. **निवेश का उद्देश्य :**

50% से अनधिक निधि का ईक्विटी और ईक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष को ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा ।

12. **निवेश सीमा :**

1. सभी ऋण लिखतों जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनका निवेश दर्जे का निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा ।

परन्तु यदि ऋण लिखत का दर्जा निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

2. इस योजना द्वारा कोई मीयादी ऋण नहीं दिये जाएंगे ।

3. निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनुधृत ऋण लिखतों में निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा ।

4. किसी भी कंपनी के शेयरों में योजना की निधि के 5% से अधिक भाग का निवेश नहीं किया जाएगा ।

5. इस योजना की निधियों सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

6. इस योजना की निधियों सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों, और डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

परंतु उस योजना के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा जिसे एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों में निवेश के लिए शुरू किया गया हो और इस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गयी हो ।

7. 1[इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब —

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।]

8. ट्रस्ट की अन्य किसी योजना/प्लान में यह योजना निवेश नहीं करेगी या उसे उधार नहीं देगी ।

9. योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

---

1. 26-12-94 को निकाला गया, "या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के लिए सेबी के परामर्श से यूनिट ट्रस्ट द्वारा तय की जाए"।

13. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) कोई भी पुनर्खरीद [1][योजना आरंभ होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर] नहीं की जाएगी ।

(2) (1) यूनिट ट्रस्ट यूनिटों को एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद [2][योजना के आरंभ होने के 90 दिनों के बाद] करेगा । बशर्ते ट्रस्ट संतुष्ट हो कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गयी हैं । जैसा कि इसके खंड (3) में विशेष रूप से विवरण दिया गया है ।

बशर्ते कि ऐसी की गई पुनर्खरीद से यूनिट धारक की यूनिट धारिता पचास हजार यूनिटों के गुणक के अतिरिक्त किसी दूसरे रूप में न हो ।

(2) यूनिट धारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसे कि ऊपर उप-खण्ड 2(1) में दिया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसको धारण किया जा सकता है ।

(3) इसके उप-खण्डों में दिए गए प्रावधानों के अधीन, यूनिट ट्रस्ट यूनिट धारक द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध किए जाने पर, यूनिट प्रमाण पत्र में दिखाए गए यूनिटों के विनिर्दिष्ट भाग के यूनिटों की, जैसा भी मामला हो, पुनर्खरीद करेगा । ये यूनिट हमेशा पचास हजार के गुणकों में होने चाहिएं । इस तरह प्राप्त यूनिट प्रमाण पत्र ट्रस्ट द्वारा रद्द करने के लिए रख लिए जाएंगे । यूनिट प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट आंशिक यूनिटों की पुनर्खरीद करने पर यूनिट ट्रस्ट यूनिट धारक को शेष यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद के लिए संविदा समाप्त मानी जाएगी ।

(5) यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनः खरीदे गए यूनिटों के लिए स्वीकृति तिथि के बाद जितना जल्दी हो सके भुगतान किया जाएगा । भुगतान ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सूचित किया गया हो । आवेदक के देय राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं किया जाएगा और प्रेषण का खर्च (डाक खर्च सहित) या ट्रस्ट द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट या चैक की वसूली का खर्च, आवेदक द्वारा ही दिया जाएगा ।

14. यूनिटों की पुनर्खरीद और बिक्री पर प्रतिबन्ध :

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री/पुनर्खरीद के लिए—

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस न हों, और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित) के संबंध में यूनिट धारकों की पंजी बन्द हो, बाध्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य-दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो और/या (2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

15. स्वीकृति तिथि को बिक्री या पुनर्खरीद :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि पर उस दिन को प्रचलित मूल्य पर होगी ।

16. बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य :

(1) यूनिट ट्रस्ट द्वारा बेचे जाने वाले यूनिट का मूल्य (जिसे इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा जाएगा) और यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनः खरीदे गए यूनिट का मूल्य जिसे इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा । साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा । योजना की पहले माह के दौरान बिक्री सममूल्य पर होगी । दूसरे माह से बिक्री मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित होगा । पुनर्खरीद मूल्य [1][योजना आरम्भ होने के 90 दिनों के बाद घोषित किया जाएगा किंतु बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य में अंतर, बिक्री मूल्य के 7% से अधिक नहीं होगा] ।

(2) यूनिट का बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य यूनिट ट्रस्ट के पास उस दिन उपलब्ध सामग्री के आधार पर तय किया जाता है, जिस दिन बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य जैसा भी मामला हो, तय किया जाता है ।

(3) उप-खण्ड (1) और (2) में किसी भी प्रतिकूलता के होते हुए जब यूनिट ट्रस्ट संतुष्ट हो, कि यूनिट ट्रस्ट यूनिट धारक योजना जारी रहने और वृद्धि के हित में यह करना आवश्यक और व्यावहारिक हो तो यूनिट ट्रस्ट बिक्री मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या दोनों ऐसी दर पर निर्धारित करेगा, जो जरूरी नहीं की [2][शुद्ध, शेयर बाजारों के लेन-देन में बाधा और अन्य समाज-आर्थिक कारण जैसी परिस्थितियों में], जैसा भी मामला हो, उप-खण्ड (1) या (2) के अनुसार हो और ऐसा कोई निर्धारण यूनिट ट्रस्ट और यूनिट धारकों के हित में समझा जाएगा ।

(4) उप-खण्ड (1) से (3) में किसी प्रतिकूलता के होते हुए यदि ऐसा करना यूनिट ट्रस्ट और यूनिट धारक के हित में हो,

1. 26-12-94 को इससे बदला गया "ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार निवेशों का अंतरण इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में किया जाएगा" ।

–1. 26-12-94 को इससे बदला गया "प्रारंभिक पेशकश अवधि से आरंभ हो कर नब्बे दिन" ।

2. 26-12-94 को इससे बदला गया "प्रारंभिक पेशकश अवधि से आरंभ हो कर 90 दिन" ।

1. 26-12-94 को इसके स्थान पर "प्रारम्भिक पेशकश अवधि से शुरू होकर 90 दिन" ।

2. 26-12-94 को जोड़ा गया ।

तो यूनिट ट्रस्ट बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य साप्ताहिक आधार के बजाए किसी अन्य आधार पर निर्धारित करेगा और इसके द्वारा निर्धारित किसी भी मूल्य को ऐसी अवधि या अवधियों जिन्हें वह सही समझेगा के लिए प्रभावी समझेगा।

17. बिक्री मूल्य और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

ट्रस्ट बिक्री मूल्य और पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित करने के बाद जितना जल्दी संभव हो ऐसी यूनिटों के बिक्री मूल्य और पुनर्खरीद मूल्य को ऐसे ढंग से प्रकाशित करेगा जैसा ट्रस्ट सही समझेगा।

18. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा। जो प्रतिभूतियां बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हों उनकी मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूति का व्यापार नहीं किया गया हो तो प्रतिभूति का इस ढंग से मूल्यन किया जाएगा जो ट्रस्ट को सही लगे, ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य दर्शाया जा सके।

(ख) मुद्रा बाजार लिखतों तथा डिबेंचर सहित अन्य नियत आय वाली लिखतों का मूल्यांकन तुलनीय लिखतों वर्तमान आय और परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा उस तरीके से किया जाएगा जैसा ट्रस्ट उचित समझे।

(ग) उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य में, नियत आय वाली प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में प्रोद्भूत ब्याज और ईक्विटी शेयरों के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्य लाभांश तथा ट्रस्ट को ऐसी अन्य प्राप्तियां जो प्रोद्भूत हुई हों अथवा प्रोद्भूत होने योग्य हों, जोड़ी जाएंगी।

(घ) अन्य सभी आस्तियां जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाएगा और यदि वह उपलब्ध न हो तो ट्रस्ट द्वारा उचित समझी गई विधि से किया जाएगा।

(ङ.) जो प्रतिभूतियां सूचीबद्ध न हों बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से उनके मूल्यांकन की समीक्षा की जाएगी।

आस्तियों का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

19. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण :

योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी से उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की संख्या से भाग कर किया जाएगा। इस शुद्ध आस्ति मूल्य को कम-से-कम दो दैनिक अखबारों में एक सप्ताह से अनधिक अंतरालों में या सेबी द्वारा शुद्ध आस्ति मूल्य के लिए उनके प्रस्तावित दिशानिर्देशों में अनुमोदित अंतरालों में प्रकाशित किया जाएगा। शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशा निर्देशों के अधीन होगा।

20 यूनिट प्रमाण पत्र का फार्म .

यूनिट धारक को एक यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यूनिट प्रमाण पत्र इसके साथ अनुबद्ध फार्म ए में होगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाण पत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या, जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा यूनिट धारक का नाम होगा।

21. यूनिट प्रमाण पत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण पत्र उत्तीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाण पत्र इस रूप से हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण पत्र इस बात के होते हुए वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

परन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाण पत्र जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाण पत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाण पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण पत्र भी वैध होगा।

22. जब प्रमाण पत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाण पत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए, घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाण पत्र में हो। यूनिट प्रमाण पत्र के खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही :

(1) मूल यूनिट प्रमाण पत्र के कटे-फटे होने, फटा-पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किया हो;

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(3) (कट-फट जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित होने की स्थिति में वैसा यूनिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो, तथा

(4) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो।

इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाण पत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में स्टाम्प शुल्क, यदि हो, कर और ऐसे प्रमाण पत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करें।

23 यूनिट धारकों की पंजी :

यूनिट धारकों के पंजीकरण के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) यूनिट धारकों के नाम और पते;

(ख) यूनिट प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की विभेदक संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जिसको ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिट धारक के रूप में पंजीकरण के लिए ऐसे किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन पत्र में यूनिटों की संख्या पचास हजार के गुणक में नहीं होगी।

बशर्ते कि जहां, यूनिट धारक की मृत्यु होने पर अन्य कोई व्यक्ति ऐसे यूनिटों का हकदार हो जाता है जो पचास हजार के गुणक में नहीं है, ऐसे व्यक्ति का उक्त यूनिटों की संख्या के सम्बंध में यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

इसके आगे बशर्ते कि यूनिट ट्रस्ट, उचित फार्म में ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे न्यूनतम यूनिटों की संख्या जो यूनिटों को पचास हजार के गुणकों में बनाने के लिए आवश्यक हो, के लिए आवेदन करने पर उसे बिक्री या पुनर्खरीद कर सकता है। फिर भी, बशर्ते ऐसा व्यक्ति, पंजीकृत होने की तिथि से तीन महीनों के अंदर ऐसी संख्या में यूनिटों की खरीद या बिक्री करता है ताकि यूनिटों की संख्या पचास हजार के गुणक में हो सके।

(3) यूनिट धारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन किया जाएगा।

(4) इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार केवल पंजी-बंदी को छोड़कर, कार्य-समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) यूनिट धारक या यूनिट धारक का प्राधिकृत प्रतिनिधि के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(5) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 1[45] दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी, और यूनिट ट्रस्ट, बोर्ड के निर्देशक के अनुसार समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा।

(6) किसी यूनिट से संबंधित किसी व्यक्ति या यूनिट धारक के सिवाय कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी।

24 यूनिट ट्रस्ट के उन्मोचन के लिये यूनिट धारक द्वारा रसीद : रसीद :

यूनिट धारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी प्रमाण पत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

25. यूनिट का अंतरण :

इस योजना में जारी की गई यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय है।

प्रत्येक यूनिट धारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और वह अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। यूनिट बशर्ते कि कोई अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां यूनिटों की संख्या पचास हजार के गुणक में नहीं है।

बशर्ते कि केवल खण्ड 4 में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, कोई किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरण का प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(3) अंतरण का प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प किए जाएंगे (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाण पत्र/पत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार के संबंध में अथवा यूनिटों को अंतरित करने के उसके अधिकार

1. 26-12-94 को "60" के स्थान पर शामिल किया गया।

के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने से छुटकारा दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होतीं।

(4) जब यूनिट अधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो वे कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और वह उस तिथि को या से होगा जब दूसरा कार्यालय का कार्य-भार ग्रहण करता है।

(5) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा। जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा।

(6) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा रखे जाएंगे।

(7) जहां पर यूनिटों का अंतरण किया गया हो, ट्रस्ट अंतरिती के जिसका, नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। अंतरित यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा। जहां पर अंतरणकर्ता ने यूनिट प्रमाण पत्र में उल्लिखित यूनिटों के केवल एक अंश के यूनिटों का अंतरण किया है, तो ट्रस्ट उसके द्वारा अंतरित न किए गए यूनिटों के लिए एक नया यूनिट प्रमाण पत्र अंतरणकर्ता को जारी करेगा। कोई भी यूनिट प्रमाण पत्र जो अंतरिती को अंतरित यूनिटों को सूचित करता है को जारी करने से पहले, ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में देय करों या अन्य प्रभारों को शामिल करते हुए, अंतरिती को उस राशि का भुगतान करना होगा, जो ट्रस्ट की राय में पर्याप्त होगा।

[1][इसमें ऊपर उल्लिखित सावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाण पत्र और अंतरण संबंधी लिखत प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाण पत्र वापस करेगा]।

26. अटर्नी द्वारा आवेदन पत्र और अंतरण फार्म पर हस्ताक्षर :

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी विधिवत नोटरी-कृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करना चाहिए।

27. यूनिट धारक द्वारा नामांकन :

यूनिट धारक विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

किन्तु, अनिवासियों द्वारा किये जाने वाले नामांकन के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्मित नियमों द्वारा नामांकन संचालित किया जाएगा।

यदि यूनिट धारक माता-पिता अथवा नाबालिग का विधिक अभिभावक कोई पात्र न्यास, समितियों, कारपोरेट निकाय हो और आवेदक ने मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदन किया हो तो उस को कोई नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

28. यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालियापन :

(1) यूनिट प्रमाण पत्र के संयुक्त धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने के स्थिति में, उत्तरजीवी को यूनिट प्रमाण पत्रों में दर्शाये यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है। बशर्ते इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी अधिकार जिसे वह कथित यूनिटों के संबंध में ऐसे उत्तरजीवी के विरुद्ध रखता हो, प्रभावित नहीं होगा।

(2) यूनिट धारक की मृत्यु होने पर नामिती को यूनिटों के हकदार के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(3) यूनिट धारक द्वारा वैध नामांकन न होने की स्थिति में, मृत यूनिटधारक का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का धारक वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिट के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) यूनिट धारक की मृत्यु या कम्पनी या कारपोरेट निकाय के समापन या दिवालियापन के परिणाम स्वरूप यूनिटों का हकदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने हक का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जो ट्रस्ट की दृष्टि से संतोषजनक हो, दावे के संबंध में दावेदार द्वारा सारी औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के बाद मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों के या तो पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा अथवा उसे यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

(5) नामिती यूनिटों के धारण करने का पात्र होने की स्थिति में उक्त नामिति की इच्छा पर, नामिति मृत के खाते से बकाया यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बजाय उसे यूनिटधारक के रूप में यूनिटधारण की और यूनिट धारक के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी जाएगी और न्यूनतम धारण के सम्बन्ध में शर्तों के अधीन उसकी इच्छा के अनुसार यूनिटों को दर्शाते हुए उसे यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

यूनिट धारक की [1][योजना के आरम्भ की तिथि से] के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर ट्रस्ट दावे का निपटान करेगा और कानूनी उत्तराधिकारी या नामिती के प्रासंगिक खंड (खंडों) में दिए गए विवरणों के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा निश्चित किए गए अन्य किसी पद्धति के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

1 26-12-94 को शामिल किया गया।

1. "अवरुद्ध अवधि" के स्थान पर दि० 26-12-94 को शामिल किया गया।

29. आय वितरण :

(1) योजना के अन्तर्गत लाभांश का भुगतान किया जाएगा जो योजना के आय पर निर्भर होगा। लाभांश यदि कोई हो, प्रत्येक वर्ष 30 जून को वार्षिक लेखों की बंदी के बाद जितनी जल्दी हो सके घोषित किया जाएगा।

[1][आय वितरण की स्थिति में, वर्ष के दौरान इस योजना से प्राप्त आय का कम-से-कम 90% भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा।]

(2) यूनिटों के सम्बन्ध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गये हों तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रमाण पत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाएं उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देता।

स्पष्टीकरण—इस उपखण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी :—

(1) अंतरणकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आय के दावे को स्थापित करने के लिए ली गई वास्तविक अवधि के द्वारा,

(2) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरणकर्ता के नियंत्रण के बाद परिस्थिति में अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के द्वारा, और

(3) कोई प्रमाण पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को पोस्ट द्वारा देरी से पहुंचने के सम्बन्ध में हुए विलम्ब की वास्तविक अवधि के द्वारा।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिट धारकों में वितरित की जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा तथापि, ट्रस्ट, योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिट धारक द्वारा लाभांश के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिट धारक को मुआवजा देगा।

(5) यदि आय यूनिट धारकों में वितरित की जानी है तो उसे चैक या वारंट या किसी अन्य लिखत द्वारा जो (ट्रस्ट के बैंकरों के स्थान पर जहां उसके कार्यालय हों, आहरित हो) यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर द्वारा अदा किया जाएगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट या मनी आर्डर के प्रभार यूनिट धारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

[2][लाभांश की घोषणा के बयालीस दिन के भीतर लाभांश वारंट/चैक आदि प्रेषित कर दिए जाएंगे।]

30. अन्य यूनिटों में आय वितरण का पुनर्निवेश :

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिट धारक को यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय को अन्य यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में वितरण की जाने वाली पूर्ण आय खण्ड 29 में दी गई रीति से यूनिट धारक को भुगतान किए जाने के बजाय कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित मूल्य पर अन्य यूनिटों में पुनर्निवेश की जाएगी। लाभांश वितरण, कर कटौती, यदि कोई हो, और आबंटित यूनिटों के ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिट धारक को भेजी जाएगी। आबंटित यूनिटों के संबंध में किसी भी यूनिट धारक को यूनिट प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा। यूनिट धारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अंतिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खण्ड की शर्तों के अनुसार उसे तात्कालिक पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। यूनिट धारक जिन्होंने पुनर्निवेशित यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस खण्ड के अंतर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिटों, मूल यूनिटों को न्यूनतम धारण, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियंत्रित करने वाली शर्तें और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होगी।

31. यूनिट धारकों को यूनिटों की अधिमान्य पेशकश और अन्य लाभ :

ट्रस्ट [3][योजना के समग्र निष्पादन पर आधारित] अभिदान के लिए [4][ ] यूनिट धारकों को उक्त मूल्य/मूल्यों पर और उक्त शर्तों और उक्त रूप और रीति से इस हेतु जैसा ट्रस्ट द्वारा अनुबंधित किया जाए, यूनिटों की पेशकश कर सकता है। इसी प्रकार ट्रस्ट आय वितरण [4][ ] उक्त मूल्य/मूल्यों पर और शर्तों पर उक्त रीति और इस हेतु जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाए, का यूनिट धारकों को पेशकश कर सकता है।

32. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रथम वर्ष में एकत्र की गई निधि का 0.10% यूनिट ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.10% की दर से इसके बाद अंशदान किया जाएगा।

1. 26-12-94 को शामिल किया गया।

2. 26-12-94 को शामिल किया गया।

3. 26-12-94 को शामिल किया गया।

4. 26-12-94 को "लेने" हटा दिया जाएगा।

33. लेखे का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष के 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत रूप से लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियाँ और लाभ हानि लेखा बिना लेखा परीक्षा के अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो।

ट्रस्ट यूनिट धारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

34. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । यदि कोई संशोधन करना हो तो सेबी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । योजना के प्रावधानों के आधार पर 3 पेशकश दस्तावेज में संशोधन, कार्यकारिणी समिति और सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है ।

35 योजना की समाप्ति :

[1][(1) यदि पुनर्खरीद के बाद किसी भी समय बकाया कुल यूनिटों की संख्या मूलतः जारी यूनिटों की संख्या के 50% से कम होती है तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करेगा ।

(2) जहां पर उप खण्ड (1) के अनुसरण में योजना समाप्त की जाती है तो ट्रस्ट सेबी को उन परिस्थितियों की सूचना देगा जिसके कारण योजना समाप्त कर दी गयी है और योजना की समाप्ति प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले अखिल भारतीय स्तर के दो दैनिक समाचार पत्रों में हो और बम्बई के एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में भी सूचना देगा ।

(3) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से, ट्रस्ट—

(क) इस योजना से संबंधित कोई भी कारोबारिक क्रिया-कलाप नहीं करेगा ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को जारी करना और रद्द करना बंद करेगा ।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का परिशोधन भी बंद करेगा ।

(4) (क) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के हित में निपटाएगा ।

(ख) ऊपर दिए गए खण्ड (क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ली गई तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(5) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसे परिस्थितियां जिसके कारण योजना की समाप्ति से पूर्व आस्तियों की निधि के निपटान के लिए उठाए गए कदम समाप्ति के लिए की गई निधियों का व्यय यूनिट धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों का विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र होगा ।

(6) यूनिट प्रमाण पत्र और उसके पीछे दिए गए फार्म विधिवत भरे हुए ट्रस्ट को प्राप्त होने पर ट्रस्ट जल्द-से-जल्द पुनर्खरीद मूल्य प्रमाण पत्र और अन्य फार्म यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्द करने के लिए रखे जाएंगे ।]

1. 26-12-94 को निम्नलिखित के स्थान पर शामिल किया गया :

(1) यदि परिस्थितियां ऐसी हों जो ट्रस्ट अथवा सदस्यों के हित में न हों ट्रस्ट योजना को समाप्त करेगा या ट्रस्ट भारत में प्रसारित कम-से-कम चार अखबारों में इसकी सूचना देगा । ऐसे नोटिस में उस तिथि का भी उल्लेख होगा, जिस तिथि से समाप्ति प्रभावी होगी । कम-से-कम 3 महीनों के पूर्व ऐसी नोटिस प्रकाशित की जाएगी ।

(2) योजना से बाहर जाने वाले यूनिट धारकों को, समाप्ति की तिथि पर प्रचलित पुनर्खरीद मूल्य पर, यूनिटों का भुगतान किया जाएगा और इसके बाद उन्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा ।

(3) ट्रस्ट प्रमाण पत्र और उसके पीछे दिए गए फार्म विधिवत भरा हुआ प्राप्त करने पर जल्द-से-जल्द पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा । यूनिट प्रमाण पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, को रद्द करने के लिए रखा जाएगा ।

(4) यदि पुनर्खरीद के बाद किसी भी समय बकाया कुल यूनिटों की संख्या, मूलतः जारी किए गए यूनिटों से 50% से कम है तो ट्रस्ट योजना समाप्त करेगा ।

(5) ऊपर खण्ड (4) के अनुसरण में जब योजना समाप्त की जाती है, ट्रस्ट सेबी को उन परिस्थितियों के बारे में सूचना देगा जिसके कारण योजना समाप्त कर दी गयी और इसकी सूचना संपूर्ण भारत में प्रसारित 2 दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में प्रसारित एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में कम-से-कम समाप्ति प्रभावी होने के एक सप्ताह के पहले देगा ।

36. योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी :

योजना की प्रतिलिपि सभी संशोधनों सहित पूरे कार्य समय के दौरान ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और किसी भी व्यक्ति को उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

37. प्रावधानों के अर्थनिर्धारण का अधिकार :

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों के अर्थनिर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।

38. उपबंधों में ढील/परिवर्तन/संशोधन :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से और सहज संचालन के लिए योजना के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो [1][इसकी सूचना सेबी को भी देगा ।]

39. यूनिट धारकों के लिए योजना का बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तें के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिट धारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

1 26-12-94 को शामिल किया गया ।

फार्म 'क'

(प्रतीक)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत निगमित)

यूनिट योजना 1995

(खण्ड 20)

यूनिट प्रमाण-पत्र सं० — यूनिटों की सं०

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित व्यक्ति ——————————

यूनिटों का पंजीकृत धारक है जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य एक सौ रुपये है, और जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (63 का 52) उसके अन्तर्गत निर्मित विनियम और यूनिट योजना 1995 के प्रावधानों के अधीन है ।

नाम

——————————

——————————

स्थान : —————— कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

दिनांक : —————— ——————————

——————————

न्यासी अध्यक्ष

यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र

दिनांक : . . . .

प्रति

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

. . . .

. . . .

मैं/हम, ... भारतीय यूनिट ट्रस्ट के . . . . यूनिटों के पंजीकृत धारक हूँ/हैं और मैं/हम यूनिट ट्रस्ट को उक्त सभी . . . . यूनिटों को बेचने का इच्छुक हूँ/हैं ।

@—————— यूनिट जो कथित . . . . यूनिटों में से हैं और उन्हें तदनुसार इस आवेदन के संबंध में स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं ।

यूनिटों के मूल्य को हमारे खर्च पर हमें **चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा किया जाए ।

. . . .

साक्षी का हस्ताक्षर — पंजीकृत धारकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर

नाम :

व्यवसाय :

पता :

वर्तमान पता :

कार्यालय के उपयोग के लिए स्वीकृति तिथि

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)

8-बी, शंकर मार्केट,
कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001.

31 मार्च, 1994 (1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक) को समाप्त होने वाले वर्ष की वास्तुकला परिषद (वास्तुविद अधिनियम, 1992 के तहत निगमित की वार्षिक रिपोर्ट ।

@ 50,000 यूनिटों के गुणकों में होने चाहिए ।

** जो शब्द लागू नहीं हैं उन्हें काट दें ।

वास्तुकला परिषद् (वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निगमित 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखा-विवरण तथा अपने कार्यों को समीक्षा सहर्ष प्रस्तुत कर रही है ।

1. वास्तुकला परिषद्

परिषद् के पुनर्गठन में काफी समय लगने के कारण वास्तुकला परिषद् की दिल्ली में दिनांक 7 मार्च, 1994 को केवल एक बैठक हुई और उस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लिए :—

1. परिषद् के 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण का अनुमोदन ।
2. वर्ष 1994-95 के लिए रु० 15,80,000/- (आवर्ती) और रु० 8,50,000/ (अनावर्ती) की राशि के बजट आकलन का अनुमोदन ।
3. परिषद् के वर्ष 1993-94 के लेखों की परीक्षा करने के लिए रु० 4000/- के लेखापरीक्षा शुल्क पर सर्वश्री रवि के० टंडन, चार्टर्ड लेखाकार, 2327, धर्मपुरा, दिल्ली के श्री रवि टंडन की लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति ।
4. व्यावसायिक कदाचार के सम्बन्ध में पंजीकृत वास्तुविदों के विरुद्ध आम लोगों/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों पर विचार ।
5. परिषद् के विचारार्थ रिपोर्ट के लिए वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक उप-समिति का संगठन । इस उपसमिति के संयोजक के रूप में श्री एन० ए० बड़ेका को नियुक्त किया गया ।
6. अगले तीन वर्षों के लिए वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में श्री जे० आर० भल्ला का पुनर्निर्वाचन ।
7. अगले तीन वर्षों के लिए वास्तुकला परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में प्रो० एस० ए० तुंगारे का निर्वाचन ।
8. निम्नलिखित व्यक्तियों का कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के रूप में चुनाव :
   1. श्री वी० एन० शाह ।
   2. श्री एन० ए० बड़ेका ।
   3. श्री विजय कुमार माथुर ।
   4. श्री गुरुनाथ बी० वल्वी ।
   5. श्री एम० बी० सक्सेना ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ।

9. परिषद् की अनुशासनिक समिति का गठन । इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया :

1. श्री जे० आर० भल्ला, अध्यक्ष
2. श्री एन० ए० बड़ेका
3. श्री एम० बी० सक्सेना

10. सलाहकार समिति (अपील) का गठन : इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए :

1. प्रो० एस० ए० तुंगारे — अध्यक्ष
2. श्री एन० डी० पटेल
3. श्री आर० डी० देसाई

11. प्रवेश समिति का गठन । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

1. श्री प्रमेन्द्र राज मेहता
2. श्री पी० बी० कुम्भारे

12. सर्वश्री अशोक यादव, पंजीकार और विनोद कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा परिषद् के अन्य कर्मचारियों की, उनके द्वारा किए परिश्रम के लिए सराहना की तथा अध्यक्ष को उनके कार्य के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्राधिकृत किया।

2. कार्यकारिणी समिति :

परिषद् की कार्यकारिणी समिति की दिल्ली में 4 अगस्त, 1993, 10 दिसम्बर, 1993, 7 एवं 8 फरवरी, 1994 और 7 मार्च, 1994 को चार बैठकें हुई । इन बैठकों में नीचे दिए गए विभिन्न मामलों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और परिषद् ने अपने निर्णयों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सिफारिश भी की ।

1. परिषद् की आगामी बैठक के सामने प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा-विवरण का अनुमोदन किया ।
2. दो वर्ष की परीक्षिका अवधि पर रु० 950-20-1150- द० रो०-25-1500 के वेतनमान में श्री सुनील हुरिया को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया ।

3. आलोच्य वर्ष के दौरान भारत में जिन वास्तुकला स्कूलों का निरीक्षण किया गया था, उससे सम्बन्धित विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया।

4. इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में वास्तुकला परिषद् को आबंटित नए परिसर में आंतरिक सज्जा कार्य कराने के लिए तीन ठेकेदारों से संकल्पनात्मक योजना विवरण प्राप्त करने और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

5. रजिस्ट्रार पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया और प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर श्री सुधीर कुमार रंजन को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति देने के लिए चुना गया।

6. वर्ष 1994-95 के लिए परिषद् के बजट अनुमान के लिए रु० 15,80,000/- (आवर्ती) और रु० 8,50,000/— (अनावर्ती) की राशि की सिफारिश की।

7. श्री अशोक यादव को दिनांक 21 मार्च, 1994 (अपराह्न) से रजिस्ट्रार के कार्यभार से मुक्त करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया और यह निर्णय किया गया कि जब तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो तब तक श्री यादव का कार्यभार श्री विनोद कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया जाए।

3. अनुशासनिक समिति

सर जे० जे० कालेज आफ आर्कीटेक्चर, बम्बई में दिनांक 12 मार्च, 1994 को अनुशासनिक समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने विस्तृत जांच के लिए परिषद् द्वारा भेजे गए 9 मामलों पर समिति ने विचार किया। अनुशासनिक समिति ने ग्रेटर बम्बई की नगर निगम द्वारा श्री आर० एस० शेलाटकर के विरुद्ध दर्ज शिकायत/जांच सं० 39 कार्यवाही बंद कर दी क्योंकि शिकायतकर्ता ने यह बात कही कि निगम के पास इस शिकायत से सम्बन्धित कागजात नहीं हैं अतः शिकायतकर्ता अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। परिषद् की अनुशासनिक समिति शेष मामलों पर जांच/सुनवाई जारी रखेगी। समिति के सामने उपस्थित होने वाले कुछ वास्तुविदों ने कानूनी मुद्दे उठाए और स्थगन की मांग की। तदनुसार जांच स्थगित कर दी गई।

4. पंजीकरण

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् ने 1163 आवेदन प्राप्त किए। इनमें से 1144 आवेदन वास्तविद अधिनियम, 1972 की धारा 25(ए) और 19 आवेदन धारा 25(बी) के तहत पंजीकरण कराने के लिए थे। धारा 25(ए) के तहत 1130 और धारा 25(बी) के तहत तीन व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। 16 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए क्योंकि ये उम्मीदवार न तो वास्तविद अधिनियम, 1972 की धारा 25(ए) के तहत पंजीकरण के योग्य थे और न धारा 25(बी) के तहत। आलोच्य वर्ष के दौरान पंजीकृत कुल 1133 व्यक्तियों को मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। 31 मार्च, 1994 तक पंजीकृत वास्तविदों की कुल संख्या 17080 हो गई है।

5. नवीकरण/पुनःस्थापन

परिषद् के साथ पंजीकृत वास्तुविदों की ओर से अपने नाम वास्तविद पंजी में रखवाए जाने के लिए नवीकरण शुल्क के रूप में अच्छी वसूली हुई। परिषद् ने अपने साथ पंजीकृत कुछ वास्तुविदों से नवीकरण शुल्क पेशगी भी प्राप्त किया।

6 मैडम भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर

परिषद्/कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार मैडम भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में परिषद् के फ्लैट को बेचने के संबंध में बातचीत चल रही है और आशा है कि फ्लैट अच्छी कीमत पर बिक जाएगा।

7. भवन निधि

परिषद् ने अपने संसाधनों से अब तक रु० 57.50 लाख रुपए की भवन निधि तयार की। इस राशि में से रु० 16,46,776/— का भुगतान मैडम भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में व्यावसायिक फ्लैट सं० 1007 लेने के लिए डी० डी० ए० को और रु० 35.00 लाख का भुगतान लोदी रोड, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की कीमत के लिए इंडिया हेबीटेट सेंटर को किया गया।

8. देनदारी

परिषद् पर भारत सरकार के रु० 1,50,000/- के ब्याज मुक्त ऋण की देनदारी है।

9. मृत्यु के कारण नाम हटाना

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तुविदों के आकस्मिक निधन पर परिषद् गहरा दुःख व्यक्त करती है :—

क्र सं०	वास्तुविद का नाम	पंजीकरण सं०
1.	श्री होमी एन० दल्लस	सीए/75/996
2	श्री राजा एम० पोरेड्डी	सीए/75/1189
3.	श्री जे० राममूर्ति	सीए/77/3706
4	श्री एन० डी० छोकर	सीए/77/3933
5.	श्री ललित रे शाह	सीए/78/4660
6.	श्री एन० एस० माथुर	सीए/84/8147
7.	श्री गौतम सेन	सीए/89/11996

10. वास्तुविद् निर्देशिका

31 मार्च, 1994 तक वास्तुविद् निर्देशिका का द्वितीय अंक प्रकाशित करने का कार्य जोरो से चल रहा है। वास्तुविद् निर्देशिका के द्वितीय अक में केवल राज्य/नगरवार अकारादिक्रम में परिषद् के पजीकृत वास्तुविदो की सूची तथा उनके टेलीफोन नम्बर ही नही होगे अपितु उसमें वास्तुविद् अधिनियम, 1972 वास्तुकला शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम मानक के नियम, विनियम, वास्तुकला सम्बन्धी प्रतियोगिताओ के मार्गदर्शी सिद्धात, व्यावसायिक आचरण विनियमो आदि सहित परिषद् के प्रलेख भी शामिल होगे। परिषद् के सचिवालय न निर्माताओ, भवन निर्माण सामग्री पूर्तिकारो तथा भवन निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अन्य सगठनो से विज्ञापन लेने के पर्याप्त प्रयास किए। वास्तुविद् निर्देशिका का द्वितीय अक प्रकाशित करने के लिए प्रेस को सामग्री शीघ्र ही दे दी जाएगी। यहा यह कहना अनुचित न होगा कि इस निर्देशिका का प्रकाशन निर्माताओ, भवन निर्माण सामग्री पूर्तिकारो तथा भवन निर्माण से जुडे अन्य सगठनो के उदारतापूर्ण सहयोग से ही सभव हो पाएगा।

11 सी० ए० समाचार

महत्वपूर्ण गतिविधियो की जानकारी सदस्यो को देने और सम्बन्धित मामलो में उनके परस्पर विचार जानने की दृष्टि से आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् ने सी० ए० समाचार के तीन और अक प्रकाशित किए। परिषद् के सदस्यो, वास्तुकला विद्यालयो, [illegible] इस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट्स, इस्टीट्यूट आफ इजीनियर्स (इंडिया) जैसे व्यावसायिक निकायो तथा लगभग 17000 [illegible] एव परिषद् की गतिविधियो में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियो को तीनो अक भेजे गए। सी० ए० समाचार निकालने के परिषद् के प्रयासो की सराहना वास्तुविद् निरतर करते रहते है। वास्तुविदो की सूचनार्थ सी० ए० समाचार के एक वर्ष मे कम से कम 4 अक निकालने के प्रयास जारी है।

12. वास्तुकला विद्यालयो का निरीक्षण

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित सस्थानो का निरीक्षण किया। जिन सस्थानो की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उनकी रिपोर्ट सिफारिशो के अनुसार उपचारी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियो के पास भेज दी है। रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के सदस्यो के पास भी भेजी गई है।

क्रम स०	सस्थान का नाम	निरीक्षण की तारीख	विशेषज्ञो के नाम
1	2	3	4
1.	वास्तुकला विभाग, बगाल इजीनियरिंग कालेज, हावडा	6-9-93 7-9-93	1 प्रो० एस० दत्ता, (सयोजक) 2 श्री उत्तम सी० जैन 3. प्रो० जितेंद्र सिंह
2	वास्तुकला विभाग, पी डी ए कालेज आफ इजीनियरिंग गुलबर्गा	28-5-93	1 प्रो० एस० ए० तुगारे (सयोजक) 2 श्री सी० एन० राघवेन्द्रन
3	वास्तुकला विभाग, मलनद कालेज आफ इजीनियरिंग हासन	16-9-93 17-9-93	1 प्रो० गुरुनाथ दल्वी (सयोजक) 2 श्री प्रमोद एस० शिंदे 3 श्री सी० एन० राघवेंद्रन
4	वास्तुकला विभाग, कालेज, आफ इजीनियरिंग एड टेकनोलाजी, भुवनेश्वर	4-11-93 5-11-93	1 श्री ए० क० बिरूस्वाल 2 प्रो० एस० दत्ता
5	वास्तुकला विभाग, बी० बी० भूमरेडी कालेज, हुबली	29-11-93 30-11-93	1 प्रो० एस० ए० तुगारे (सयोजक) 2 श्री एस० वाई० मदान
6	वास्तुकला विभाग, एम० पी० इस्टीट्यूट आफ इजीनियरिंग एड टेक्नालोजी, गोदिया	28-1-94	1 प्रो० एस० ए० तगारे (सयोजक) 2 प्रो० बी० आर० सर-देसाई
7	एम०एम० एम० कालेज आफ आर्किटेकचर, पुणे	21-2-94	1 प्रो० एस० ए० तुगारे (सयोजक) 2 श्री कुलभषण जैन
8	वास्तुकला विभाग, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर	4-3-94 5-3-94	1 प्रो० आदित्य प्रकाश (सयोजक) 2 प्रो० एम० आर० अग्नि-होत्री
9	डी० भी० प[illegible] आफ [illegible]टेक्चर व[illegible] विद्यानगर	वही—	1 प्रो० एच० एस० वद्रेकर (सयोजक) 2 श्री कुलभूषण जैन
10	वास्तुकला विभाग, जी० एस० मडल मराठवाडा इस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी औरगाबाद	20-3-94	1 प्रो० एस० ए० तुगारे (सयोजक) 2. श्री कलभूषण जैन
11	वास्तुकला विभाग, डी० वाई० पाटिल कालेज आफ इजीनियरिंग एड टेक्नालोजी, कोल्हापुर	24-3-94	1 प्रो० एस० ए० तूगारे (सयोजक) 2 श्री एस० वाई० मदान
12	श्री प्रिंस मराठा, बोर्डिंग हाउस, कालेज आफ आर्किटेक्चर, कोल्हापुर	25-3-94	1 प्रो० एस० ए० तुगारे (सयोजक) 2 श्री एस० वाई० मदान
13	सुशात स्कूल आफ आर्ट एड आर्किटेक्चर, सुशात लोक गुड़गाव (हरियाणा)	—वही—	1 प्रो० सी० के० गोमास्ते (सयोजक) 2 प्रो० के० टी० रवीन्द्रन 3 प्रो० कुमुला वाके

13 सी० ओ० ए० और ए० आई० सी० टी० ई० के बीच एक समझौते के तहत स्थापित अखिल भारतीय वास्तुकला तथा नगर योजना अध्ययन मडल।

सी० ओ० ए० और ए० आई० सी० टी० ई० के बीच हुए समझौते के तहत गठित अखिल भारतीय वास्तुकला

तथा नगर योजना अध्ययन मंडल ने दिल्ली में दिनांक 4 अगस्त, 1993, 10 दिसम्बर, 1993, और 18 मार्च, 1994 को बैठकें आयोजित की और इन बैठकों में पूर्व-स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर वास्तुकला तथा सम्बद्ध विषयों में शिक्षा देने के उद्देश्य से नई संस्थाओं के शुरू किए जाने की परियोजना रिपोर्ट के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट पर व्यापक रूप से चर्चा की । मंडल ने ए० आई० सी० टी० ई० से निम्नलिखित संस्थानों में पूर्वस्नातक स्तर पर वास्तुकला शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए कहा :—

1. स्वर्गीय भौमाहेब हीरे एस० एस० ट्रस्ट कालेज आफ आर्कीटेक्चर, बांद्रा (पूर्व) बम्बई ;
2. कविकुलगुरु इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, रामटेक ;
3. प्रियदर्शनी कालेज आफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक अंचल, हिंगना रोड, नागपुर;
4. त्यागराजर कालेज आफ इंजीनियरिंग, मदुरई (तमिलनाडु) ;
5. आर० वी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, आर० वी० विद्यानिकेतन डाकघर, बेंगलौर ;
6. एम० एस० रमैया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, विद्या सौधा, गोकुल एक्सटेंशन डाकघर, बेंगलौर;
7. बेंगलौर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, के० आर० रोड, विश्वेश्वरपुरम, बैंगलौर ;
8. सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, टुमकर ;
9. बी० एल० डी० ई० एसोशिएशनस कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, बीजापुर ;
10. मलिक संदल इंस्टीट्यूट आफ आर्ट एण्ड आर्कीटेक्चर 12 नवबाग, बीजापुर , और
11. दयानंद सागर कालेज आफ इंजीनियरिंग, शिवाजी मालेश्वर हिल्स, कंकापुरा रोड, साउथ एण्ड आफ जयनगर, बैंगलौर ।

इसके अतिरिक्त परिषद् उन वर्तमान 38 संस्थानों को जारी रखने की भी सिफारिश की जो ए० आई० सी० टी० ई० अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्थापित किए गए थे और जो पूर्व स्नातक स्तर पर वास्तुकला की शिक्षा दे रहे हैं और जिनके स्नातक इन संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद वास्तुकला परिषद् में पहले से ही पंजीकरण करा रहे हैं ।

ए० आई० सी० टी० ई० मंडल का पुनर्गठन कर रही है । परिषद् के सचिवालय में कई ऐसे प्राधिकारियों से नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जो पूर्वस्नातक स्तर पर वास्तुकला की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं । यहां यह कहना संगत है कि परिषद् का सचिवालय अपने वर्तमान कर्मचारियों को इस अतिरिक्त कार्य के लिए कोई विशेष दिए बिना इस अतिरिक्त कार्य को तभी से करता आ रहा है जब से सी० ओ० ए० और ए० आई० सी० टी० ई० के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

14. विदेशी नागरिकों का पंजीकरण

अधिनियम के अनुसार योग्यता रखने वाले अनेक विदेशी नागरिकों ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 25(ए) के तहत पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किए हैं । अधिनियम के तहत इन विदेशी नागरिकों का पंजीकरण करने से पूर्व, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए परिषद् ने इन आवेदन पत्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भेजा है । शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है । ताकि अधिनियम के अनुसार योग्यता रखने वाले इन विदेशी नागरिकों को पंजीकृत किया जा सके ।

15. वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में संशोधन :

वास्तुकला परिषद ने दिल्ली में दिनांक 7 मार्च, 1994 को आयोजित अपनी 26वीं बैठक में वास्तुविद अधिनियम, 1972 के कुछ खंडों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर व्यापक रूप में चर्चा की और इस विचार-विमर्श के आधार पर परिषद् ने एक उपसमिति का गठन किया और श्री एम० ए० बडेका को समिति के संयोजक के रूप में और सर्व श्री प्रमेंद्र राज मेहता, एन० डी० पटेल, आर० डी० देसाई, मुजफ्फर अली खां को सदस्यों के रूप में उपसमिति में शामिल किया । उपसमिति से परिषद् के विचारार्थ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । उपसमिति की रिपोर्ट की प्रीक्षा की जा रही है ।

16. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा का न्यूनतम स्तर) के विनियम :

अखिल भारतीय वास्तुकला तथा नगर योजना अध्ययन मंडल के सहयोग से वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम स्तर सम्बन्धी प्रलेख संशोधित किया गया है और इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सुझाव शामिल कर लिए गए है । इसे ए० आई० सी० टी० ई० को भेजा गया है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वे केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेने के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित कर दें । केन्द्र सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद सरकारी गजट में अधिसूचना के लिए प्रलेख फरीदाबाद में सरकारी प्रेस भेजा जाएगा ताकि इसे वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की शर्तों के अनुसार लागू किया जा सके ।

17. मुकदमेबाजी

परिषद् के साथ निम्नलिखित मुकदमें चल रहे हैं :—

1. श्री एम० एस० तोमर ने 1993 में एक रिट याचिका सी० डब्ल्यू० पी० सं० 2745 उच्च न्यायालय में दाखिल कराई है ।

श्री तोमर ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 25(बी) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और पंजीकरण के पात्र न पाये जाने के कारण उनका आवेदन परिषद् के रजिस्ट्रार ने

अस्वीकार कर दिया था । रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध उनकी अपील भी परिषद् ने अस्वीकार कर दी थी । परिषद ने उपर्युक्त मुकदमे में बचाव के लिए श्री एस० रवींद्र भट, अधिवक्ता, नई दिल्ली को नियुक्त किया है । परिषद् के सचिवालय ने उक्त रिट याचिका का जवाब दावा दाखिल करने के लिए अधिवक्ता को सभी सूचनाएं एवं आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दिये हैं । मुकदमे की सुनवाई चल रही है ।

2. वास्तुविद् संघ आसाम ने गुवाहाटी में राज्य के राजधानी कम्पलेक्स के लिए डिजाइन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आसाम राज्य तथा अन्य के विरुद्ध 1993 का सिविल वाद सं० 1652 और 1993 का ही सिविल बाद सं० 1984 दायर किए हैं और उक्त मुकदमे में वास्तुकला परिषद् को भी प्रतिवादी बनाया गया है । इस मुकदमे में परिषद् ने बचाव के लिए गुवाहाटी में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी० एन० चौधरी को नियुक्त किया है । मुकदमे की सुनवाई चल रही है ।

3. श्री जी० नरेंद्रनाथ गुप्ता तथा अन्य व्यक्तियों तकनीकी शिक्षा आयुक्त एवं निदेशक, आंध्र प्रदेश हैदराबाद के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय रिट याचिका सं० 3994/94 दायर की है और उक्त रिट याचिका में वास्तुकला परिषद् तथा अखिल भारतीय वास्तुकला एवं नगर योजना अध्ययन मंडल को प्रतिवादी बनाया गया है । परिषद् की ओर से आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, हैदराबाद में केन्द्र सरकार के अधिवक्ता एवं अपर स्थाई काउंसेल श्री टी० रमुलु मुकदमे की पैरवई कर रहे हैं और उक्त मुकदमे में परिषद् तथा मंडल बचाव करने के लिए परिषद् सचिवालय ने उन्हें मामले से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध करा दिया है । मुकदमा विचाराधीन है ।

4. धारा 26 के तहत पंजीकरण न किए जाने के कारण वास्तुकला परिषद के विरूद्ध तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में सन् 1989 में श्री एस पी जैन द्वारा दायर मुकदमा सं० 414/89 अभी भी चल रहा है । इस मुकदमे में परिषद का बचाव अधिवक्ता श्री के० आर० चावला कर रहे ह ।

18. विविध

(i) वास्तुविदों की नियुक्ति, आबंध की शर्तों और शुद्ध मान आदि के बारे में गैर-सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों के ग्राहकों द्वारा की गई पूछताछ पर परिषद लगातार ध्यान देती रही है । वास्तुविदों से प्रतियोगिताओं के लिए डिजाइन अथवा मोहरबंद निविदाएं मांगते समय परिषद द्वारा वास्तुकला संबंधी प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संगठनों का ध्यान आकृष्ट करती रही है और इस संबंध में उनका पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करती रही है ।

(ii) स्थान तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के बावजूद गत बीस वर्षों से वास्तुकला परिषद का कार्यालय इंस्टीटयूट आफ आर्कीटेक्टस नदर्न चैप्टर के परिसर से ही कार्य करता रहा है । जबकि इस परिसर में पीने के पानी, शौचालय तथा उपयुक्त कार्यालय वातावरण जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था । इन कमियों की ओर अभ्यागत वास्तुविदों तथा परिसर में आने जाने अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी ध्यान दिलाया है । यहां यह कहना तर्क संगत है कि इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय परिसर अभी पूरा होने ही वाला है ।

(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं एफ 6-61/93 टी डी III दिनांक 29 अक्तूबर, 1994 के द्वारा भारत में उन वास्तुकला संस्थानों के अध्यक्षों में से परिषद् में प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच व्यक्तियों का नया चुनाव कराने के लिए वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो तीन वर्ष की अवधि की मान्यता प्राप्त योग्य लाभों के लिए पूर्णकालिक पाठयक्रम चला रहे हैं । परिषद के कर्मचारियों ने निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक सचिवालय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की ताकि वे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्विघ्न रूप से चुनाव करा सकें । उन्होंने चुनाव परिणाम की सूचना केन्द्र सरकार को भेज दी है ।

परिषद कार्य और परिषद की समितियों की बैठकों के आयोजन में दी गई सुविधाओं एवं सहयोग के लिए परिषद् निम्नलिखित संगठनों के प्रति आभार प्रकट करती है :—

1. हरियाणा सरकार ;
2. इंडियन इंस्टोटयूट ऑफ आर्कीटेक्टस, बम्बई ;
3. पी०ई०ए०टी०ए०, बम्बई ;
4. इंडियन इंस्टोटयूट आफ आर्कीटेक्टस नार्दन चेप्टर, नई दिल्ली ;
5. सर जे०जे० कालेज आफ आर्कीटेक्चर, बम्बई ;
6. मैसर्स स्टीन, दोशी भल्ला नई दिल्ली; और
7. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ।

आलोच्य वर्ष के दौरान निरीक्षित वास्तुकला विद्यालयों को निरीक्षण के दौरान दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए परिषद् धन्यवाद देती है ।

परिषद् निवृत्तमान अपने सदस्यों और अपनी समितियों/उपसमितियों तथा विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान परिषद के कारोबार में दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार प्रकट करती है।

परिषद् इंडियन इंस्टीटयूट आफ आर्किटेक्टस, नार्दन चेप्टर, नई दिल्ली को भी विशेष रूप से आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् को अपने परिसर से कार्य करते रहने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है।

परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली के प्रति वास्तुविद अधिनियम, 1972 को लागू करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

परिषद् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को वास्तुविद अधिनियम, 1972 को लागू करने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देती है।

परिषद् सर्वश्री रवि के० टंडन, चार्टर्ड लेखाकार, नई दिल्ली को भी आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् के लेखों की परीक्षा में दी गई सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

एस०के० रंजन
पंजिकार

रवि के० टंडन एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड लेखाकार
फोन: का० 3263066, 3263197
आ० 4622942

रवि के० टंडन
एफ सी०ए०ए०ए०आई०एम०ए०
दिनांक : 8 सितम्बर, 1994

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने सर्वश्री वास्तुकला परिषद् 8-बी० शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय तथा व्यय खाते तथा परिषद् द्वारा हमें दिखाई गई लेखा-बहियों एवं वाऊचरों की परीक्षा कर ली है। हम रिपोर्ट देते हैं कि :—

1. हमें वे सब सूचना एवं विवरण उपलब्ध कराए गए जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;
2. हमारे विचार में जैसा कि बही-खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, परिषद् द्वारा रखे जाने वाले बही-खाते नियमानुसार व उचित हैं ;
3. रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र और आय तथा व्यय खाते लेखा बहियों से मेल खाते हैं,
4. हमारे विचार तथा सूचना और हमें दिए गए विवरण के अनुसार उपर्युक्त खाते —
   (क) 31 मार्च, 1994 को परिषद के कारोबार का तुलन-पत्र ; और
   (ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष का व्यय से आय में संबंधित आय एवं व्यय का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं।

कृते रवि के टंडन एण्ड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०
(रवि के० टंडन)
स्वामी

कार्यालय : टंडन हाउस, 2327 धर्मपुरा, दिल्ली-110006
आवास : ए-56, निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली- 110013

रवि के० टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
फोन का० 3263066, 3263197
आ० 4622942

रवि के टंडन
एफ० सी० ए० ए० एन० आई० एम० ए०
दिनांक : 8 सितम्बर, 1994
सर्वश्री वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद अधिनियम 1972 के तहत निगमित)
8-बी० शंकर मार्केट, कनाट सर्कस
नई दिल्ली-110001

31 मार्च 1994 को लेखा विवरण के अंश के रूप में लेखा पर टिप्पणियां

1. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है ;
2. बही-खाते मुख्यतः प्राप्ति के आधार पर रखे गए हैं ;
3. आलोच्य वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व से रु० 6,00,000/- की राशि इंडियन हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली को भवन निधि में अंतरित की गई है। आज की तारीख तक कुल रु० 41,00,000/- की राशि अंतरित की गई है।

परिषद के लिए तथा उसकी ओर से

कृते रवि के टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार

ह०	ह०	ह०
(जे०आर० भल्ला)	(एस०के० रंजन)	(रवि के टंडन)
अध्यक्ष	रजिस्ट्रार	स्वामी

कार्यालय : टंडन हाउस, 2327 धर्मपुरा, दिल्ली- 110006
आवास : ए-56 निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली- 110013

रवि० के० टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
फोन : का० 3263066. 3263197
आ० 4622942

वास्तुकला परिषद
(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत निर्मित)
8–बी, शकर मार्केट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001
31 मार्च, 1994 का तुलन पत्र

गत वर्ष	देयताएं		राशि	गत वर्ष	परिसंपत्तियां		राशि
	सामान्य रिजर्व			1676068.38	नियत परिसम्पत्तियां		1670297.09
1339697.27	1–4–93 को शेष	1339697.27			निवेश		
	जोड़ें : व्यय से अधिक आय	1029978.01		2900000.00	आई० एच० सी० लोधी रोड, नई दिल्ली में भवन के लिए (आवंटित)	2900000.00	
		2369675.28			जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	600000.00	3500000.00
	घटाएं : आई० एच० सी० को अंतरित राशि	600000.00	1769675.28				
3433.00	सी० ए० समाचार पत्र (चन्दा) निधि			1653738.95	आवधिक जमा तथा प्राप्तियां		2153738.95
	रोकड़ जमा	3433.00		11331.19	ऋण तथा पेशगियां		99660.19
	जोड़ें : अभिवृद्धियां	22457.00	25890.00		रोकड़ तथा बैंक शेष		
	भवन निधियां			624519.27	(i) भा० स्टेट बैंक, मुख्य शाखा सी ए 22/65334	389842.82	
1650000.00	(i) मैडम भीकाजी कामा भवन		1650000.00	102033.46	(ii) सिंडीकेट बैंक, सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	77221.67	467064.49
3500000.00	(ii) इंडिया हैबीटेट सेंटर	3500000.00					
	जोड़ें : सामान्य रिजर्व से अंतरित	600000.00	4100000.00				
	ऋण						
150000.00	भारत सरकार से ऋण		150000.00				
	अन्य देयताएं						
10304.62	संगोष्ठी (अव्ययित) (गत वर्ष के अनुसार)		10304.62				
314256.33	अव्ययित मूल्यांकन फीस		184880.82				
6967691.25			7890750.72	6967691.27			7890750.72

दिनांक : 8 सितम्बर, 1994
स्थान : नई दिल्ली

ह०
(जे० एन० मल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(एस० के० रंजन)
रजिस्ट्रार

इस तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टंडन एंड के०
ह०
(रवि के० टंडन)
स्वामी

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1977 के तहत निर्गमित)

31 मार्च, 1994 को आवधिक जमा प्राप्तियों की अनुसूची

क्रम सं०	एफ० डी० आर० म०	बैंक का नाम	निर्गम/नवीकरण की तिथि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की दर	राशि	ब्याज	वर्ष के दौरान खरीद तथा नवीकरण	वर्ष के दौरान परिपक्व	31-3-94 को कुल राशि
1.	टीडी-ए/4-030615	भा० स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	24-4-91	24-4-94	12 प्रतिशत	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
2.	टीडी-ए/4-030616	-वही-	24-4-91	24-4-94	12 प्रतिशत	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
3.	टीडी-ए/4-030617	-वही-	24-4-91	24-4-94	12 प्रतिशत	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
4.	टीडी-ए/6-934135	-वही-	5-9-91	5-9-94	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
5.	टीडी-ए/6-934136	-वही-	5-9-91	5-9-94	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
6	टीडी-ए/6-934269	-वही-	26-9-91	26-9-94	13 प्रतिशत	51000.00	6630.00	—	—	51000.00
7.	टीडी-ए/6-934270	-वही-	26-9-91	26-9-94	13 प्रतिशत	51000.00	6630.00	—	—	51000.00
8.	टीडी-ए/6-934650	-वही-	6-12-91	6-12-94	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
9.	टीडी-ए/6-934651	-वही-	6-12-91	6-12-94	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
10.	टीडी-ए/14-936336	-वही-	7-3-92	7-3-95	13 प्रतिशत	100000.00	13000.00	—	—	100000.00
11.	टीडी-ए/14-936337	-वही-	7-3-92	7-3-95	13 प्रतिशत	100000.00	13000.00	—	—	100000.00
12.	टीडी-ए/14-936636	-वही-	24-4-92	24-4-95	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
13.	टीडी-ए/14-936637	-वही-	24-4-92	24-4-95	13 प्रतिशत	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
14.	एसडी-ए/13-175237	-वही-	18-3-93	18-3-95	11 प्रतिशत	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
15	एसडी-ए/13-175238	-वही-	18-3-93	18-3-95	11 प्रतिशत	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
16.	एसडी-ए/13-175238	-वही-	27-3-93	27-3-95	11 प्रतिशत	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
17.	एसडी-ए/13-175239	-वही-	27-3-93	27-3-95	11 प्रतिशत	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
18.	एसडी-ए/13-175290	-वही-	27-3-93	27-3-95	11 प्रतिशत	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
19	टीडी-ए/4-030559	-वही-	6-4-91	6-4-93	10 प्रतिशत	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
20.	टीडी-ए/4-030560	-वही-	6-4-91	6-4-93	10 प्रतिशत	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
21.	टीडी-ए/4-030561	-वही-	6-4-91	6-4-93	10 प्रतिशत	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
22	टीडी-ए/4-030562	-वही-	6-4-91	6-4-93	10 प्रतिशत	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
23	टीडी-ए/4-030563	-वही-	6-4-91	6-4-93	10 प्रतिशत	38683.79	3868.38	—	38683.79	—

24	टीडी-ए/4-030564	-वही-	8-4-91	8-4-93	10 प्रतिशत	83320.00	5332 00	—	83320.00	—
25	एसडी-ए/13-175370	-वही-	6-4-93	6-4-95	11 प्रतिशत	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
26	एसडी-ए/13-175371	-वही-	6-4-93	6-4-95	11 प्रतिशत	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
27	एसडी-ए/13-175372	-वही-	6-4-93	6-4-95	11 प्रतिशत	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
28	एसडी-ए/13-175373	-वही-	6-4-93	6-4-95	11 प्रतिशत	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
29	एसडी-ए/13-175374	-वही-	6-4-93	6-4-95	11 प्रतिशत	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
30.	एसडी-ए/13-175369	-वही-	8-4-93	8-4-95	11 प्रतिशत	58320.00	—	58320.00	—	58320.00
31.	टीडी-ए/19-238318	-वही-	25-8-94	25-8-95	11 प्रतिशत	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
32	टीडी-ए/19-238319	-वही-	25-8-94	25-8-95	11 प्रतिशत	100000.00	—	100000 00	—	100000 00
33.	टीडी-ए/19-238320	-वही-	25-8-94	25-8-95	11 प्रतिशत	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
34.	टीडी-ए/19-238321	-वही-	25-8-94	25-8-95	11 प्रतिशत	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
35	टीडी-ए/19-238322	-वही-	25-8-94	25-8-95	11 प्रतिशत	100000.00	—	100000 00	—	100000.00
जोड़						जोड 2105477.90	194433.90	751738.95	251738.95	2153738.95

परिषद के लिए तथा उसकी ओर से

दिनांक : 8 सितम्बर 1994
स्थान : नई दिल्ली

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(एस० के० रंजन)
रजिस्ट्रार

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)

31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय तथा व्यय खाता

गत वर्ष	विवरण		राशि	गत वर्ष	विवरण		राशि
614668.50	वेतन तथा स्थापना		685541.00	1739531.00	फीस प्राप्ति		
5618.00	उपदान प्रावधान		9664.00		पंजीकरण फीस (निवल)	240000.00	
48343.17	मुद्रण तथा स्टेशनरी		45126.76		नवीकरण फीस (निवल)	1346275.00	
—	अधिसूचना प्रभार		21520.00		पुन स्थापन फीस (निवल)	227440.00	
44453.85	डाक खर्च (निवल)		40667.25		डुप्लीकेट पंजीकरण		
67674.00	यात्रा भत्ता		64238.00		प्रमाणपत्र फीस	5360.00	
10747.30	सवारी किराया भत्ता		13549.00		अतिरिक्त योग्यता फीस	50.00	
47145.00	टेलीफोन व्यय (निवल)		67807.00		अन्य फीस	1085.00	1820210.00
371.15	सफाई का सामान		796.75				
6244.85	जलपान खर्च		5362.55	6370.00	प्रकाशनों की बिक्री		10405.00
6648.00	बिजली खर्च		6651.00	202185.90	एफ डी आर पर ब्याज (निवल)		194433.90
818.75	बिजली का सामान		909.60	1569.10	बैंक कमीशन (निवल)		1417.75
500.00	पानी का खर्च		—	—	वास्तुकला निर्देशिका (निवल)		63500.00
—	प्रकाशन खर्च		—	83805.00	वास्तुकला निर्देशिका की बिक्री		84440.00
4540.18	विविध खर्च (निवल)		745.24	—	छपाई एवं अग्रेषण प्रभार (निवल)		1306.20
20000.00	किराया		20000.00				
9900.00	अदालती खर्च		19575.00				
2000.00	लेखा परीक्षा फीस		2500.00				
4107.27	कार्यालय पुस्तकें पत्रिकाएं						
	समाचार पत्र व पत्रिकाएं	3716.90					
	कार्यालय पुस्तकें	1022.00	4738.90				
6619.87	मरम्मत एवं अनुरक्षण		5730.00				
—	स्वच्छता संबंधी सामान		497.00				
1905.60	संगोष्ठी खर्च एवं वास्तुकला शिक्षा पर कार्यशाला		—				
67509.00	आयकर वर्ष 1994-95		63585.00				
1100.00	परामर्श फीस		—				
60760.50	वास्तुकला निर्देशिका (निवल)		—				
1220.00	बीमा प्रीमियम		1220.00				

—	विज्ञापन खर्च		767.00
—	सी०ए० समाचार पत्र (निवल)		38873.50
7437.31	मूल्यह्रास . उपकरण	4735.10	
	फर्नीचर	1036.19	5771.29
993338.90	व्यय से अधिक आय से सामान्य रिजर्व में अंतरित		1029978.01
2033461.00			2155712.85

2033461.00	2155712.85

दिनांक : 8 सितम्बर, 1994
स्थान : नई दिल्ली

परिषद के लिए तथा उसकी ओर से
ह०
(जे० आर० मल्लात)
अध्यक्ष

ह०
(एस० के० रजन)
रजिस्ट्रार

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टंडन एंड क०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०
(रवि के० टंडन)

31 मार्च, 1994 को नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्रम सं०	विवरण	मात्रा	मूल्यह्रास की दर	31-3-1993 को डब्ल्यू० डी० वी०	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान विक्रय की गई	31-3-1994 को कुल मूल्य	31-3-1994 को मूल्यह्रास	31-3-1994 को डब्ल्यू० डी० वी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	भवन जोड़ 'ए'			1646766.00	—	—	1646766 00	—	1646766.00
II.	संयत्र व मशीनें (ब्लाक उपकरण)		25 प्रतिशत						
1.	टाइपराइटर	6		13705.12	—	—	13705 12	3426.28	10278.84
2.	डुप्लीकेटिंग मशीन	1		591.47	—	—	591 47	147 87	443.60
3.	पखे	2		116 26	—	—	116.26	29 07	87.19
4.	कूलिंग सिस्टम	1		443 22	—	—	443 22	110 81	332.41
5.	हीटर	1		6 03	—	—	6.03	1 51	4.52
6.	पोस्टल फ्रेंकिंग मशीन	1		770 43	—	—	770 43	192 61	577 82
7	पोस्टल तुलाई मशीन	1		23.87	—	—	23.87	5 97	17.90
8.	केलकुलेटर	3		507 03	—	—	507.03	126 76	380.27
9.	आग बुझाने के उपकरण	3		424 93	—	—	424.93	106 23	318.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	रफ्रिजेरेटर	1		1649.93	—	—	1649.93	412.48	1237.45
11.	वोल्टा स्टेबिलाइजर	1		143.63	—	—	143.63	35.90	107.73
12.	छड़ी	1		67.50	—	—	67.50	16.87	50.63
13.	वायु निकास पंखे	2		412.50	—	—	412.50	103.12	309.38
14.	अन्य	2		78.49	—	—	78.49	19.62	58.87
	जोड़ 'बी'			18940.41	—	—	18940.41	4735.10	14205.31
III.	फर्नीचर एवं फिक्सर ब्लाक :		10 प्रतिशत						
1.	स्टील की अलमारी	7		1750.09	—	—	1750.09	175.00	1575.09
2.	फाइल की पेटी	8		3060.14	—	—	3060.14	306.01	2754.13
3.	टबुलर टेबुल	8		1142.74	—	—	1142.74	114.27	1028.47
4.	कुर्सियां	11		189.01	—	—	189.01	18.90	170.11
5.	स्टील सेफ (बाक्स)	1		133.15	—	—	133.15	13.32	119.83
6.	स्टील रैक	10		2477.95	—	—	2477.95	247.80	2230.15
7.	कलेप्सीबिल गेट	2		586.87	—	—	586.87	58.69	528.18
8.	स्टील के स्टूल	1		45.10	—	—	45.10	4.51	40.59
9.	स्टील स्टेंड	1		162.60	—	—	162.60	16.26	146.34
10.	परदे			614.93	—	—	614.93	61.49	553.44
11.	अन्य			199.39	—	—	199.39	19.94	179.45
	जोड़ 'सी'			10361.97	—	—	10361.97	1036.19	9325.78
	कुल जोड़ ए+बी+सी			1676068.38	—	—	1676068.38	5771.29	1670297.09

दिनांक . 8-9-1994

कृते वास्तुकला परिषद्
ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(एस० के० रखन)
रजिस्ट्रार

कृते रवि के० टंडन एंड क०
चर्टर्ड लेखाकार
ह०
(रवि के० टंडन)
स्वामी

31-3-1994 को ऋण और पेशगी का विवरण

विवरण	राशि
डाक शुल्क पेशगी	3266 19
टेलीफोन जमा	9500 00
स्कूटर पेशगी	11881 00
मुद्रण प्रभार (पेशगी) (वास्तुकला निदेशिका)	75000 00
जोड	99650 19

ह०/-
8-9-1994
रजिस्ट्रार
मोहर

अखिल भारतीय वास्तुकला अध्ययन मंडल तथा नगर योजना

31 मार्च, 1994 को तुलन-पत्र

देयताएं	राशि	परिसम्पत्तियां	राशि (रु०)
सामान्य रिजर्व प्राप्ति तथा भुगतान खाते से अग्रेषित शेष	263944 82	सावधिक परिसम्पत्तियां (सूची 'ए' के अनुसार)	79064 00
		अव्ययित शेष वास्तुकला परिषद को अंतरित शेष	184880 82
	263944, 82		263944 82

ए० आई० बी० एस० आई० ए० एंड टी० पी० हमारी इसी तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

दिनांक 8 सितंबर, 1994
स्थान नई दिल्ली

ह०/-
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/-
(एम० के० रंजन)
मानद-सचिव

कृते रवि के० टंडन एंड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/-
(रवि के० टंडन)

अखिल भारतीय वास्तुकला तथा नगर योजना अध्ययन मंडल

31-3-1994 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रु० में)

गत वर्ष	विवरण	राशि	गत वर्ष	विवरण	राशि
40783.00	वेतन तथा स्थापना	55319.00	575000.00	अव्ययित मूल्यांकन फीस	314256.36
93600.00	मानदेय	102140.00		मूल्यांकन फीस	325000.00
49178.00	यात्रा भत्ता	108476.00			
24193.00	सवारी किराया भत्ता	26668.00			
13312.00	टेलीफोन खर्च	16611.25			
14585.60	मुद्रण एवं स्टेशनरी	16659.00			
6480.00	मरम्मत एवं अनुरक्षण	11018.00			
1886.50	जलपान प्रभार	13503.80			
395.00	डाक खर्च	393.00			
50.00	बैंक कमीशन	—			
41.50	विविध खर्च	174.80			
520.49	जनरेटर अनुरक्षण	319.24			
—	सेवा अनुरक्षण खर्च	10188.00			
—	बिजली खर्च	2361.00			
—	कार्यालय पुस्तक खर्च	325.00			
—	लेखा परीक्षा फीस खाता	750.00			
15000.00	मूल्यह्रास खाता	20405.45			
309972.91	सामान्य रिजर्व से अग्रेनीत शेष	263944.62			
575000.00		639256.36	575000.00		639256.36

ए० आई० बी० एम० आई० ए० एंड टी० पी०

दिनांक : 7 सितम्बर, 1994
स्थान : नई दिल्ली

ह०/-
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/-
(एस० के० रंजन)
सदस्य सचिव

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०/-
(रवि के० टंडन)
स्वामी

अखिलभारतीय वास्तुकला एवं नगर योजना अध्ययन मंडल
31 मार्च, 1994 को नियत परिसम्पतियों की अनुसूची

क्रम सं०	विवरण		स०	मूल्यह्रास दर	31-3-93 को डब्ल्यू० डी० वी०	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टाखाता/विक्रय किया गया	कुल मूल्य	31-3-94 को मूल्यह्रास	31-3-94 को डब्ल्यू० डी० वी०
	उपस्कर :									
1.	प्रिंटर	(8-7-1993)	1	25 प्रतिशत	—	17500.00	—	17500.00	4375.00	13125.00
2.	कमप्यूटर	(8-7-1993)	1	25 प्रतिशत	—	46800.00	—	46800.00	11700.00	35100.00
3	फेक्स मशीन	(1-12-1993)	1	12.5 प्रतिशत	—	33000.00	—	33000.00	4125.00	28875.00
	फर्नीचर एव फिक्सचर									
1.	स्टील स्टूल	(12-11-1993)	2	5 प्रतिशत	—	230.00	—	230.00	11.50	218.50
2.	पेडपखे तथा टेबुल लैंप	(22-6-1993)	2	10 प्रतिशत	—	1939.45	—	1939.45	193.95	1745.50
						जोड़ 99469.45	—	99469.45	20405.45	79064.00

दिनांक : 08-09-1994
स्थान : नई दिल्ली

अ०भा० वा० एवं न० यो० के लिए और उसकी ओर से

ह०/-
(के० आर० मल्ला)
अध्यक्ष

ह०/-
(एस० के० रजन)
सदस्य सचिव
मोहर

31 मार्च, 1991 को प्राप्ति तथा भुगतान

गत वर्ष	प्राप्तियां	राशि	गत वर्ष	भुगतान		राशि (रु०)
99283 45	रोकड़ जमा	3142[illegible]	110000 00	पूंजीगत		
575000 00	मूल्यांकन खर्च	32[illegible]0		उपस्कर तथा मशीनरी		
	(13 मध्यस्थ प्रकरण रु० 25000/—)			[illegible]	17500 00	
				कम्प्यूटर	[illegible] 00	
				[illegible]	23000 00	
				स्टील स्टूल	230 00	
				टेबुल लैम्प, पेडस्टल आदि	1939 45	99169.45
				मूल्यांकन खर्च		55319 00
			40783 00	वेतन तथा भत्ता		
			93600 00	मानदेय		102140 00
			24193 00	सवारी किराया भत्ता		26668 00
			49173 00	महंगाई भत्ता		108476.00
			14585 60	मुद्रण तथा स्टेशनरी		16659 00
			—	सेवा अनुरक्षण खर्च		10188.00
			6480 00	मरम्मत तथा [illegible]		11018 00
			395 00	डाक खर्च		393.00
			1888 50	जलपान खर्च		3503 80
			—	बिजली खर्च		2361.00
			—	कार्यालय पुस्तक खाता		325.00
			18312 00	टेलीफोन व्यय		16611.25
			520 49	जनरेटर अनुरक्षण		319 24
			—	लेखा परीक्षा फीस		750 00
			41 50	विविध व्यय		174 80
			50 00	बैंक कमीशन		—
			314256 36	अव्ययित शेष तुलन-पत्र में अग्रेनीत		184880 82
674283 45		639256 36	674283 45			639256 36

अ० भा० वा० एवं न० यो० अ० म० के लिए और उसकी ओर से

ह०/
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/
(ए० के० रजन)
सदस्य-सचिव

कृते रवि के० टंडन एंड क०
चार्टर्ड लेखाकार

ह०/
(रवि के० टंडन)
स्वामी

दिनांक 08-0[illegible]-1994
स्थान नई दिल्ली

31 मार्च, 1994 को वर्ष के दौरान प्राप्त मूल्यांकन फीस का विवरण

क्र० सं०	संप्रवर्तक का नाम	फीस प्राप्ति की तिथि	राशि (रु०)
1	दयानंद सागर कालेज आफ इंजीनियरिंग, बंगलोर	21.04.93	25000.00
2.	प्रियदर्शिनी कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर	21.04.93	25000.00
3.	श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान, कोल्हापुर	12.08.93	25000.00
4.	सरस्वती विद्या भवन, बंबई	06.09.93	25000 00
5.	त्यागराजर कालेज आफ इंजीनियरिंग, मदुराई	13 09.93	25000.00
6.	इंदौर एजूकेशन एंड सर्विस सोसायटी, इंदौर	09.02 94	25000.00
7.	भगिनि मंडला चोपड़ा जिला जलगांव (महाराष्ट्र)	11.01.94	25000.00
8.	सिविल इंजीनियरी विभाग, प्रौद्योगिकी संकाय, मीलिया जामिया नई दिल्ली	14.01.94	25000.00
9.	पेरियार मनियामाई कालेज आफ टेक्नोलाजी फार वमेन दक्षिण, तंयावुर, तमिलनाडु	02 02.94	25000.00
10	आर० वी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, बंगलोर	04.03.94	25000 00
11.	सिद्दागंगा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, तुमकुर	04.03.94	25000.00
12.	एम० एस० रमैया इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी सिद्या सौद्रा, बंगलौर	08-03-94	25000.00
13.	बंगलौर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, बंगलौर	25-03-94	25000.00
	जोड़		325000.00

ह०/—

रजिस्ट्रार,
वास्तुकला परिषद्,
8—बी, शकर मार्केट, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली

रवि के० टण्डन एण्ड कं०,
चार्टर्ड लेखाकार,
फोन : का० 3263066, 3263197
आ० 4622942

रवि के० टण्डन,
एफ० सी० ए० ए०, एम० आई० एम० ए०
दिनांक : 8 सितम्बर, 1994

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्" अंशदायी भविष्य निधि लेखा, 8—बी, शकर मार्किट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली—110001 के संलग्न तुलन—पत्र और हमे दिखाई गई लेखा—बहियों एवं वाउचरों की परीक्षा कर ली है, और रिपोर्ट देते है कि :—

1. हमें वे सब सूचना एव विवरण उपलब्ध कराए गए जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;

2. हमारे विचार में जैसा कि बही—खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है वास्तुकला परिषद् द्वारा रखा जाने वाला अंशदायी भविष्य निधि खाता नियमानुसार तथा उचित है ;

3. तुलन—पत्र परिषद् बही-खातो से मेल खाता है; और

4. हमारे विचार तथा सूचना और हमें दिए गए विवरण के अनुसार उपर्युक्त लेखा विवरण 31 मार्च, 1994 के तुलन—पत्र की दृष्टि से सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है।

कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०
चार्टर्ड लेखाकार

ह०/—
(रवि के० टण्डन)
स्वामी

कार्यालय : टण्डन हाउस, 2327 धरमपुरा, दिल्ली—110006
आवास : टण्डन हाउस, 23 दरियागंज, नई दिल्ली—110002

अंशदायी भविष्य निधि : 31 मार्च, 1994 को तुलन-पत्र

गत वर्ष	देयताएं		राशि	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां	राशि
	वास्तुकला परिषद्				निवेश :	
166892.00	अ० भ० नि० अंशदान :	166892.00		486645.00	सिंडीकेट बैंक में नियत जमा प्राप्तियां (संलग्न अनुसूची के अनुसार)	602157.00
	जोड़े : वर्ष के दौरान अंशदान	13437.00		9965.00	ऋण तथा पेशगी : अंशदायी भविष्य निधि पेशगी	2866.00
	जोड़े : अं० भ० नि० अंशदान पर ब्याज	20327.00	205656.00			
147573.00	अं० भ० नि० अभिदान :	147573.00		76269.71	रोकड़ तथा बैंक शेष : सिंडीकेट बैंक बचत खाता सं० 30554	86331.71
	जोड़े : वर्ष के दौरान अभिदान	18563.00				
	जोड़ें : अं० भ० नि० अभिदान पर ब्याज	18562.00				
	जोड़े : अ० भ० नि० पेशगी पर ब्याज	733.00	185731.00			
259014.71	रिजर्व निधि :					
	रोकड़ जमा	259014.71				
	जोड़ें : बचत खाते पर ब्याज	—				
	जोड़ें : नियत जमा पर ब्याज	60952.00	319966.71			
573473.71			711353.71	573473.71		711353.71

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

दिनांक : 8 सितम्बर, 1994
स्थान : नई दिल्ली

ह०/-
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/-
(सुधीर कुमार रंजन)
रजिस्ट्रार

कृते रवि के० टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०/-
(रवि के० टंडन)
स्वामी

31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का
अंशदायी भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान खाता

गत वर्ष	प्राप्तियां	राशि	गत वर्ष	भुगतान	राशि रु
	रोकड़ जमा			नियत जमा	
23148.51	सिंडीकेट बैंक में अंशदान	76969.71	244100.00	वर्ष के दौरान एवं नवीकृत	327812.00
13806.00	कर्मचारी का अभिदान	18858.00	12360.00	अ० भ० नि० पेशगियां	—
13394.00	परिषद् का अंशदान	18437.00		शेष	
5990.00	पेशगी की वसूली	7100.00	76969.71	सिंडीकेट बैंक खाता सं० 30554	86331.71
42701.20	नियत जमा (सकल) पर ब्याज	60952.00			
1348.00	बचत खाते पर ब्याज				
	अंशदायी भविष्य निधि	—			
920.00	पेशगी पर ब्याज	738.00			
	(वर्ष के दौरान परिपक्व हुई)				
201700.00	नियत जमा	192200.00			
	प्राप्त किया गया ब्याज				
13974.00	कर्मचारी का अभिदान	18562.00			
16448.00	परिषद् का अंशदान	20327.00			
333429.71		414143.71	333429.71		414143.71

दिनांक : 8 सितम्बर, 1994
स्थान : नई दिल्ली

परिषद् के लिए व उसकी ओर से

ह०/-
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/-
(सुधीर कुमार रंजन)
रजिस्ट्रार

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टंडन एंड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०/-
(रवि के० टंडन)
स्वामी

(अंशदायी भविष्य निधि)

क्रम सं० एफ० डी० आर० सं०	बैंक का नाम	निर्गम /नवीकरण की तिथि	परिपक्व होने की तिथि	राशि	ब्याज	वर्ष के दौरान खरीद एवं नवीकरण	वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली	31.3 94 को कुल राशि
1. डी–0705821/15298	सिंडीकेट बैंक. सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001	06–06–91	06–06–94	10000.00	—	—	—	10000 00
2. डी०–0705822/5299	—वही—	6–6–91	6–6–94	10000.00	—	—	—	10000 00
3. डी०–0705823/15390	—वही—	6–6–91	6–6–94	10000.00	—	—	—	10000 00
4. डी०–0968171/16597	—वही—	24–10–91	24–10–94	30245.00	—	—	—	20245 00
5. ई०–486195/17563	—वही—	11–4–92	11–4–95	36800.00	—	—	—	36800 00
6. ई०–486196/17564	—वही—	11–4–92	11–4–95	36800.00	—	—	—	36800 00
7. ई०–486194/17562	—वही—	12–4–92	12–4–95	51700.00	—	—	—	51700.00
8. ई०–493367/17932	—वही—	1–8–92	01–8–95	30000.00	—	—	—	30000.00
9. ई०–493368/17933	—वही—	1–8–92	01–8–95	30000.00	—	—	—	30000.00
10. ई०–521862/18222	—वही—	23–9–92	23–9–95	29400.00	—	—	—	29400.00
11. ई०–521863/13223	—वही—	23–9–92	23–9–95	29400.00	—	—	—	29400.00
12. ई०–448759/14999	—वही—	01–4–91	01–4–93	29400.00	6420.00	—	29400.00	—
13. 448460/15000	—वही—	01–4–91	01–4–93	29400.00	6420.00	—	29400.00	—
14. 448761/15001	—वही—	01–4–91	01–4–93	29400 00	6420.00	—	29400.00	—
15. 448722/15051	—वही—	13–4–91	13–4–93	29600.00	6465.00	—	29600.00	—
16. 448823/15052	—वही—	13–4–91	13–4–93	29600.00	6465.00	—	29600.00	—
17. 985580/7726	—वही—	15–4–91	15–4–93	10000.00	11375.00	—	10000.00	—
18. 985581/7727	—वही—	15–4–91	15–4–93	10000.00	11375.00	—	10000.00	—
19. 0726457/15459	—वही—	7–7–91	7–7–93	24800.00	6012.00	—	24800 00	—
20. एफ०–192509	—वही—	15–4–93	15–4–96	21300.00	—	21300.00	—	21300.00
21. एफ०–192510	—वही—	15–4–93	15–4–96	21300.00	—	21300.00	—	21300 00
22. एफ०–192512	—वही—	13–4–93	13–4–96	36000.00	—	36000.00	—	36000.00
23. एफ०–192513	—वही—	13–4–93	13–4–96	36000.00	—	36000.00	—	36000.00
24. एफ०–192514	—वही—	01–4–93	01–4–96	35800.00	—	35800.00	—	35800 00
25. एफ०–192515	—वही—	01–4–93	01–4–96	35800.00	—	35800.00	—	35800 00
26. एफ०–192516	—वही—	01–4–93	01–4 96	35800.00	—	35800.00	—	35800.00
27. एफ०–192599	—वही—	11–5–93	11–5–96	40000.00	—	40000.00	—	40000.00
28. एफ०–192600	—वही—	11–5–93	11–5–96	35000.00	—	35000.00	—	35000.00
29. एफ०–192645	—वही—	07–7–93	7–7–96	30812.00	—	30812.00	—	30812 00
			जोड़ :	814357.00	60952.00	327812.00	192290.00	602157 00

ह०/–
(ज० आर० मल्ला)
अध्यक्ष

ह०/–
(एस० के० रजन)
रजिस्ट्रार

दिनांक : 7 सितम्बर 1994
स्थान : नई दिल्ली

रवि के० टंडन एंड क०
चार्टर्ड लेखाकार
फोन : का० 3263066,3263197
आ० 4622942

रवि० के० टंडन
एफ० सी० ए० ए० एम० आई० एम० ए०
दिनांक : 8 सितम्बर,
1994 ।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद् 'उपदान निधि' ! 8–बी, शंकर मार्केट कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001 के संलग्न तुलन–पत्र तथा हमे दिखाए गए, लेखा वहियां एव वाउचरो की परीक्षा कर ली है तथा हम रिपोर्ट देते हैं ।

1. हमें वे सब सूचना एव विवरण उपलब्ध कराए गए जो हमारी जानकारी एव विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ,
2. हमारे विचार में जैसा कि बही–खातो की हमारी जांच से प्रतीत होता है परिषद् द्वारा रखा जाने वाला वास्तुकला परिषद् उपदान निधि खाता नियमानुसार एवं उचित है ,
3. रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र और प्राप्तिया भुगतान खाते लेखा वहियों से मेल खाते हैं ;
4. हमारे विचार तथा हमारी सूचना और हमें दिए विवरण के अनुसार उपर्युक्त लेखा विवरण 31 मार्च, 1994 के कारोबार के तुलन–पत्र की दृष्टि से वास्तविक एवं सही है ।

कृते रवि० के० टंडन एंड क०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०
(रवि० के० टंडन)
एफ सी

31 मार्च, 1994 को तुलन–पत्र
(उपदान निधि)

गत वर्ष	देयताएं		राशि	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां	राशि	
1	2		3	1	2	3	
	उपदान निधि			11073 50	सिंडीकेट बैंक मे एफ डी आर –		
	रोकड़ जमा	—			ए–985584/7728	10600.00	
	जोड़ें वर्ष के दौरान				डी–0968170/16596	6073 50	
	अभिवृद्धि	9664 00			192601/119453	6000 00	
		9664 00			192602/119454	6000.00	
	घटाए, वर्ष के दौरान आहरण	—					23673.50
			9664 00		रोकड तथा बैंक शेष		
				12217 17	सिंडीकेट बैंक खाता सं० 35584		10337.67

1	2	3		1	2	3
23290.67	रिजर्व निधि					
	रोकड़ जमा	23290.67				
	जोड़ें : एफ० डी० आर०					
	पर ब्याज	5687.50				
	जोड़ें : बचत खाते पर ब्याज	369.00				
			29347.17			
23290.67			39011.17		23290.67	39011.17

टिप्पणिया : एफ० डी० आर० पर ब्याज प्राप्ति आधार पर लगाया गया है ।

परिषद् के लिए तथा उनकी ओर से

ह० ह०

(जे० आर० मल्ला) (एम० के० रंजन)

अध्यक्ष रजिस्ट्रार

हमारी इसी तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते रवि के० टंडन एंड कं०

चार्टर्ड लेखाकार

ह०

(रवि के० टंडन)

स्वामी

दिनांक : 8 सितम्बर, 1994

स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष का

उपदान प्राप्ति तथा भुगतान खाता

गत वर्ष	प्राप्तियां	राशि	गत वर्ष	भुगतान	राशि
	रोकड़ जमा			एफ० डी० आर०	22600 00
			—	वर्ष के दौरान खरीदी व नवीकृत	
10884.77	सिंडीकेट बैंक	12217.17	11628.00	वर्ष के दौरान अदा किया गया उपदान	
1310 40	एफ० डी० आर० पर ब्याज	5687 50	40.00	एफ० डी० आर० ब्याज पर टी० डी० एस०	
			12217.17	रोकड़ बाकी	
72.00	बचत खाते पर ब्याज (वर्ष के दौरान परिपक्व हुई)	369.00		सिंडीकेट बैंक में	10337 67
6000.00	एफ० डी० आर०	5000.00			
5618.00	उपदान निधि				
	वर्ष के दौरान अधिवृद्धि	9664.00			
23885.17		32937.67	23885.17		32937.67

परिषद् के लिए तथा उसकी ओर से

दिनांक 8 सितम्बर 1994
स्थान : नई दिल्ली

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(एस० के० रंजन)
रजिस्ट्रार

हमारी इसी तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टंडन एण्ड कं०
चार्टर्ड लेखाकार
ह०
(रवि के० टंडन)
स्वामी

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 20th January 1995

No. 13-C(Exam.)/M/95—In pursuance of regulation 22 of the Chartered Acountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate (New Syllabus) and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

Foundation Examination :

6th, 8th, 9th and 10th May, 1995

Intermediate Examination : New Syllabus (As per para 2A of Schedule B of C.A. Regulations, 1988).

Group I : 2nd, 3rd and 4th May, 1995

Group II : 5th, 6th and 8th May, 1995

Final Examination :

Group I : 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 1995

Group II : 6th, 8th, 9th and 10th May, 1995

Centres :

01. Agra
02. Ahmedabad
03. Allahabad
04. Ambala
05. Bangalore
06. Baroda
07. Belgaum
08. Bhopal
09. Bombay
10. Calcutta
11. Calicut
12. Chandigarh
13. Coimbatore
14. Cuttack
15. Delhi-New Delhi
16. Ernakulam
17. Gauhati
18. Ghaziabad
19. Hyderabad
20. Indore
21. Jaipur
22. Jammu
23. Jodhpur
24. Kanpur
25. Kathmandu (Nepal)
26. Kottayam
27. Lucknow
28. Ludhiana
29. Madras
30. Madurai
31. Mangalore
32. Meerut
33. Muscat
34. Mysore
35. Nagpur
36. Nasik
37. Patna
38. Poona
39. Raipur
40. Rajkot
41. Salem
42. Surat
43. Tiruchirapalli
44. Trichur
45. Trivendrum
46. Udaipur
47. Vijayawada
48. Visakhapatnam
49. Yamuna Nagar.

Only Intermediate and Final Examinations will be held at Kathmandu (Nepal) and Muscat Centres.

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Drafts. The Demand Drafts may be of any nationalised bank and should be drawn in favour of the Secretary to the Institute payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Senior Deputy Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002, on payment of Rs. 5/- per application form.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Drafts of any nationalised bank may be sent so as to reach the Senior Deputy Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 3rd March, 1995. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 3rd March, 1995 upto 10th March, 1995 with late fee of Rs. 50/-. Applications received after 10th March, 1995 shall not be entertained Applications will also be received by hand delivery at the office of the Institute at New Delhi and at the Regional and Branch Offices of the Institute at Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Poona upto 3rd March, 1995.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examination are as under :—

Foundation Examination :

Fee	Rs. 250/-

Intermediate Examination :

For Both the Groups	Rs. 350/-
For One of the Group	Rs. 200/-
For *Unit 1	Rs. 200/-
For *Unit 2	Rs. 200/-
For *Unit 3	Rs. 150/-
For *Unit 4	Rs. 200/-

* The expression 'unit' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2A of Schedule 'B' of Chartered Accountants Regulations, 1988, are required to appear and pass.

Final Examination :

For One Group Only	Rs. 225/-
For Both Groups	Rs. 400/-
Special Category (Paper 4 or 5)	Rs. 100/-
Special Category (Paper 4 and 5)	Rs. 175/-

Candidates of Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Rs. 500/- or its equivalent relevant foreign currency, irrespective of whether the candidates appear in a Single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Candidates of the Intermediate and Final Examinations opting for Muscat centre are required to remit $30 and $40 respectively or its equivalent Indian currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Option to Answer Papers in Hindi :

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.

JAGDAMBA PRASAD,
Sr. Dy. Secy. (Exams.)

New Delhi-110 002, the 27th January 1995

(Chartered Accountant)

No. 1-CA(7)/28/95.—The following draft amendment of certain regulations to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with clause (j) of sub-section (2) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the approval of the Central Government is hereby published as required by sub-section (3) of Section 30 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of period of forty five days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the said Council.

Objections or suggestions if any, may be addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, Post Box No. 7100, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002.

DRAFT REGULATIONS

1. These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 1995.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988—

(1) In Regulation 48 for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) Every principal engaging an articled clerk shall pay to such clerk every month a minimum monthly stipend at the rates specified below depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated :—

Situation of the normal place of service of the articled clerk	During the first year of training	During the second year of training	During the remaining period of training
1	2	3	4
(a) Cities / towns with a population 20 lakhs and above	Rs. 300/-	Rs. 450/-	Rs. 600/-
(b) Cities / towns having a population of 3 lakhs and above but less than 20 lakhs.	Rs. 200/-	Rs. 300/-	Rs. 450/-
(c) Cities / towns having a population of less than 3 lakhs.	Rs. 150/-	Rs. 250/-	Rs. 350/-

Provided that an additional stipend of Rs. 200/- per month shall be paid to the article clerk on his passing the Intermediate examination under these regulations, from the first day of the month following the date of declaration of the result, irrespective of above classification of rates of stipend with reference to cities/towns :

Provided further that nothing contained in this regulation shall entitle an articled clerk to any stipend under this regulaiton for any excess leave taken.

Explanation I: For the purpose of determining the rates at which stipend is payable under this regulation, the period of articled training of the student under any previous principal or principals (not being any such period prior to 1st July, 1973) shall also be taken into account.

Explanation II : For the purpose of this regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India."

(2) In Regulation 68, for sub-regulation (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) A member shall be entitled to engage a person as an audit clerk only if such person had been in service as a salaried employee for a minimum period of one year either under him or in the firm of chartered accountants in practice wherein he is a partner, on a minimum monthly remuneration at the rates specified below, depending upon where the normal place of service of the audit clerk is situated :—

(a) Cities with a population of one million and above; Rs. 1000/- per month.

(b) Cities towns having a population of less than one million. Rs. 700/- per month.

Explanation For the purpose of this sub-regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India."

A. K. MAJUMDAR, Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bhubaneswar-751 007, the 4th January 1995

No. 44-V-34/12/36/89-Bft—Consequent on leaving service by Sri K. C. Das, Dy. Manager (Personnel) of M/s. East Coast Breweries and Distilleries Ltd., Paradeep and in acodrance with the fresh nomination made by the chairman, Regional Board, Orissa, it is hereby notified that the name of Sri Monoranjan Nayak, of the said employer has been substituted as a member of the Local Committee of Nau-

sira, Tirtol and Paradeep Area in place of the said Sri K.C. Das, member under Regulation 10-A(i) (d) of the ESI (Gen.) Regulations, 1950 against item 4(iii) of the Notification of even no. dated 22-7-94, published in the Gazette of India, Part-III, Page No. 3875, Edition dated 20-8-94. This Notification shall come into effect from the date of issue.

A. K. SINHA,
Regional Director

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110001, the 12th May 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/2099.—WHEREAS, the employers of the establishments mentoned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, K. S. SARMA, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, K. S. SARMA, hereby exempt each of the said establishment mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C., Goa from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Agva Fun Foods India, Dr. New Vaglo Bldg., Dr. Dada Vaidya Road, Panjim, Goa-403001.	Goa/10174	1-11-87 to 31-10-90 and 1-11-90 to 31-3-93	2/1/Goa/EDLI/94
2.	M/s. Indo Swiss Jewels Ltd. 1 & 1A Tivim Ind. Estate, Goa-403526.	Goa/10171	1-8-89 to 31-7-92 and 1-8-92 to 31-3-93	2/2/Goa/EDLI/94
3.	M/s. Vilman Packagings P. Ltd. Keni Bldg. Dr. Dada-Vaidya Road, Panaji, Goa-403001.	Goa/10246	1-2-92 to 31-3-93	2/3/Goa/EDLI/94
4.	M/s. Babatile Corp. Post Betim, Volant Goa, Goa-403101.	Goa/10126	1-9-91 to 31-3-93	2/4/Goa/EDLI/94
5.	M/s. Manik Tiles Pvt. Ltd. Post Betim, Volant, Goa-403101.	Goa/10304	1-9-91 to 31-3-93	2/5/Goa/EDLI/94
6.	M/s. Gamma Manganese Chemicals Ltd. Commerce Centre, 4th Floor, Dr. Rajendra Prasad Road, Near Cinevasco, Vasco-Da-Gama, Goa-403802.	Goa/10352	1-1-92 to 31-3-93	2/6/Goa/EDLI/94
7.	M/s. N. K. Naik & Associates Varde Valaulicar Road, P. B. No. 125, Margao, Goa-403601.	Goa/10127-A	1-1-88 to 31-12-90 & 1-1-91 to 31-3-93	2/7/EDLI/Goa/94
8.	M/s. Chawgule & Co. Ltd. Chowgule House, Mormugao, Harbour, Goa.	Goa/9729	1-12-87 to 30-11-90 & 1-12-90 to 31-3-93.	2/8/Goa/EDLI/94

1	2	3	4	5
9.	M/s. Geno Pharmaceuticals Ltd. . . Pharmaceutical Complex, Karaswada Mapusa, Goa-403507.	Goa/10038	1-7-90 to 31-3-93	2/9/Goa/EDLI/94
10.	M/s. Drogaria Salecte . . . Kare House, Near Metropole Cinema, P. B. No. 42, Margao, Goa-403601.	Goa/9778	1-1-88 to 31-12-90 & 1-1-91 to 31-3-93	2/11/Goa/EDLI/94
11.	M/s. Sociedate-de-Fomento Industries Ltd., P. B. No. 31, Margao, Goa.	Goa/9781	1-12-89 to 30-11-92 & 1-12-92 to 31-3-93	2/13/Goa/EDLI/94
12.	M/s. Aquarics Pvt. Ltd. . . . C/2-D, Kassambe Bldg., Swantantra Path, Vasco-da-Gama, Goa.	Goa/9992	1-12-89 to 30-11-92 and 1-12-92 to 31-3-93.	2/14/Goa/EDLI/94
13.	M/s. Toyo Laboratories Pvt. . . Ltd., Dadaji Mansion, Ist Floor, Main Road, Ponda, Goa-403401.	Goa/10275	1-1-91 to 31-3-93	2/4366/92/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporatoin of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. S. SARMA
Central Provident Fund Commissioner

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110 001, the 12th January 1995

No. E-III/10(15)/94/MH.—In exercise of the powers coferred by clause (a) of Sub-sec. (4) of Sec. 17 of the E.P.F. & M.P. Act, 1952 (19 of 1952), I K. S. SARMA, the Central Provident Fund Commissioner hereby rescinds with effect from 1-01-1995 the exemption granted to M/s. Elephinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd., Senapati Bapat Marg, Bombay-400 013 under clause (9) of Sub-Section (1) of Section 17 of the E.P.F. & M.P. Act, 1952 vide Notification No. SRO-3416 dated 17-10-1957 vide serial No. 122 thereof issued by the Central Provident Fund Commissioner published in the Gazette of India dated 26-10-1957.

K. S. SARMA,
Central Provident Fund Commissioner

CANTONMENT BOARD

Kanpur, the 10th January 1995

CORRIGENDUM

S.R.O. No. 53/4/C/DE|94—In the Schedule of Gazette of India notification appearing at Page 4759 of the Gazette No. 49 (Part III, Section 4) of 3rd December, 1994 :

For "From Rs. 20,000/- and above".

Read "From Rs. 20,001/- and above".

HARISH PRASAD,
Cantt Executive Officer

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay-400020, the 10th January 1995

No. UT/DBDM/680A/SPD/4C/94-95—The provisions of the Master Equity Plan 1995 formulated under Section 19 (1) (8) (C) of the Unit Trust of India Act and the Equity Linked Savings Unit Scheme 1995 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 21st November, 1994 and amended in the Meeting held on 19th December, 1994 are published herebelow.

S. K. DASGUPTA,
Jt. General Manager Business Dev. & Mktg.

EQUITY LINKED SAVINGS UNIT SCHEME-1995

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and Section 19 (1) (8) (c) of the said Act, the Board of the Unit Trust of India hereby makes the Equity Linked Savings Unit Scheme 1995 and the Master Equity Plan 1995 in relation to such Unit Scheme as per the following provisions :

PROVISIONS OF THE EQUITY LINKED SAVINGS UNIT SCHEME 1995

(ELSS 1995)

I. Short Title and commencement :

(1) The Scheme shall be called Equity Linked Savings Unit Scheme-1995 (Elss '95)

(2) It shall come into force on 26th December, 1994 and units under the scheme shall be on sale till 31st March, 1995.

Provided, however, the sale of units under the Scheme and the Plan made thereunder may be suspended 1[ ] at any time by giving prior notice of 7 days in leading newspapers or in such other manner as may be decided by the Trust.

(3) The scheme has been drawn up pursuant to the guidelines issued by the Central Government as mentioned in the Equity Linked Savings Scheme 1992 and Section 88 of the Income Tax Act. 1961. The Scheme shall be applicable to savers participating in the Master Equity Plan 1995 formulated under this Scheme.

1 The word extended deleted on 19-12-94.

II. Definitions :

In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order accepts the same;

(c) "Applicant" under the scheme shall mean and include all those classes of persons who have been particularly described in Clause II of the provisions of the Plan given hereunder;

(d) "Listed" means the listing of Units for the purpose of trading in Stock Exchanges which are for the time being recognised under Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956).

(e) "lock-in-period" shall be a period of 3 years from the date of allotment of units during which the applicant will be required to keep the units and not tender them for repurchase.

(f) "number of units to be issued" means the aggregate of the number of units sold and outstanding;

(g) "recognised stock exchange" means a stock exchange which is, for the time being recognised under The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(h) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(i) "Sale period" means the period during which the Trust in pursuance of sub-clause (2) of Clause I, sells units at the face value of Rs. 10/- (Rupees ten only) per unit;

(j) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(k) "Trading" means the dealing in, by buying or selling through any of the recognised Stock Exchanges.

(l) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital of this scheme;

(m) "Unit Certificate" evidences the membership of the investor in Master Equity Plan-1995 as well as the ownership of the number of units allotted to him under the scheme.

(n) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations/Plan, shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations/Plan.

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective principal Stock Exchanges. If the securities have not been traded for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Money Market instruments and other fixed income bearing instruments, including debentures, will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust

(c) To the value determined as above, shall be added the interest accured in the case of fixed income securities and debentures and the dividend declared but not received in respect of equity shares and such other receipts accrued or accruable to the Trust.

(d) All other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value and if that is not available, in a manner as may be considered fair by the Trust.

(e) Valuation of securities which are not listed shall be periodically reviewed by the Board.

Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

IV. Trust not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme and the Plan made thereunder :

The person who is registered as the member and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognize such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

V. Transfer of Units :

Transfer/pledge/assignment of units shall be allowed under the scheme after the lock in period of three years from the date of allotment of units. In the event of the division and/or disintegration of a unitholding pertaining to HUF, AOP, BOI during the lock-in-period or thereafter but before the termination of the Scheme, nothing contained hereinabove shall be a bar to the applicability for the relevant law with respect to the said division or disintegration except otherwise specifically agreed to or stated and which are not contrary to the said law, if any. The distribution of their income and the division of the unit among the members of HUF, AOP, BOI shall always be governed by the relevant law, if any, in force from time to time.

VI. Transfer of units subsequent to issue :

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after a period of 3 years from the date of allotment subject to the following terms :

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder is negotiable and can be transferred to the individuals and such other categories as are mentioned in Clause II of the provisions of the Plan. The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a member under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then, the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

1[(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.]

VII. Listing :

2[The units issued under the Scheme shall be listed on major recognised Stock Exchanges as may be decided by the Chairman, after the lock-in-period of 3 years from the date of allotment.]

VIII. Investment of the funds under the Scheme :

(a) The funds collected under the Scheme shall be invested in equities cumulative convertible preference shares and fully convertible debentures and bonds of companies. Investment may also be made in partly convertible issues of debentures and bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures so acquired or subscribed, shall be disinvested within a period of twelve months.

(b) It shall be ensured that funds of the Scheme shall remain invested to the extent of at least 80% in securities specified in clause (a). The Unit Trust of India shall strive to invest the funds in the manner stated above within a period of six months from the date of closure of sale of units. In exceptional circumstances, this requirement may be dispensed with by the Unit Trust in order that the interests of the members are protected.

(c) Pending investment of funds of the scheme in the above required manner, the Unit Trust of India shall invest the funds in short term money market instruments or other liquid instruments or both.

(d) After three years from the date of allotment of the units, the Unit Trust of India may hold upto 20% of net assets of the Scheme in short term money market instruments and other liquid instruments to enable them to repurchase units of those members who would seek to tender the units for repurchase.

IX. Investment Limits :

1. All debt instruments in which investments are made by the scheme shall be rated as investment grade by a credit rating agency :

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

1. Inserted on 19-12-94.

2. Substituted for "If special dispensation is not granted to the Unit Trust by SEBI, the units issued under the Scheme shall be listed on major recognised Stock Exchanges as may be decided by the Chairman, after the lock-in-period of 3 years from the date of allotment," on 19-12-94.

ii. No term loans will be advanced by this scheme.

iii. Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unquoted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the scheme.

iv. The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

v. Not more than 10% of the funds of all the schemes of the Unit Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

vi. Not more than 15% of the funds under all schemes of the Unit Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

vii. 1[Transfer of investments from this Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.]

viii. The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust.

ix. The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

X. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.25% of the capital may be collected as contribution towards the DRF of the Trust at the rate of 0.05% each year for first five years of the scheme. In addition, contribution may be at the rate of 0.05% of NAV per annum thereafter.

XI. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme and the plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to the SEBI or others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XII. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition, thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

Amendments to the offer document based on the provisions of the Scheme can be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.

1. Substituted for "Transfers of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust." on 19-12-94.

XIII. Termination of the Scheme :

(a) The Scheme shall be terminated on 31st March 2005 i.e. at the close of the tenth year from the year in which the allotment of units is made under the scheme.

(b) If 90% or more of the units under the Scheme are repurchased before completion of 10 years the Unit Trust may at its discretion terminate the Scheme even before the stipulated period of ten years and redeem outstanding units at the final repurchase price to be fixed by it.

Where the scheme is wound up in pursuannce of sub clause (b) above the Trust shall give notice thereof to SEBI and in two daily newspapers having all India circulation and in a vernacular newspaper in Bombay at least a week before the date of termination.

XIV. Copy of Scheme and plan made thereunder to be made available :

A copy of this Scheme and the plan made thereunder incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person.

XV. Power to construe provisions :

If any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made therunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the porvisions of the scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and plan made therunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XVI. Relaxation/variation/modification of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and plan made thereunder, relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme and plan made thereunder in case of any member of class of members upon such terms as may be deemed expedient.

XVII. Scheme and the plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the plan made thereunder including any amendments changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the plan made thereunder.

XVIII. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme and the plan made therunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the scheme and the plan made therunder till its closure.

PROVISIONS OF THE MASTER EQUITY PLAN-1995

The Plan shall be applicable to units issued under the Equity Linked Savings Unit Scheme - 1995.

Introduction :

In accordance with Section 88 of the Income Tax Act 1961 investment is made by an assessee being an individual, HUF or an AOP as specified in the said section in units of any Mutual Fund specified under Clause 23 (D) of section 10 of the Income Tax Act, 1961 or of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) under any Plan formulated in accordance with such scheme as the Central Government may be noti-

ficaion in the Official Gazette will qualify for tax rebate of 20% of the amount invested subject to a maximum of Rs. 10,000/-. In other words, 20% of the amount invested subject to maximum of Rs. 10,000/- will be deductible from the tax payable, if any, by the investor.

This Plan has been formulated pursuant to the provisions of Section 88 of the Income Tax Act, 1961 and in accordance with the Equity Linked Savings Unit Scheme, 1995 read with the Equity Linked Savings Scheme, 1992 specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in Scheme and Act/Regulations shall have their respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Eligibility for Participation :

(1) An assessee being—

(a) A resident adult individual singly. In case the units issued under the scheme are listed on Stock Exchanges upto three individuals on joint basis shall be allowed.

(b) a parent, step parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor.

(c) a Hindu undivided family, or

(d) an association of persons or a body of individuals consisting, in either case, only of hubsand and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

(e) an adult being a parent, step parent or other lawful guardian of the minor may apply for units and deal with them in accordance with and to the extent provided in subsection (2A) of Section 21 of the Act and in this Plan. Such adult while applying for the units shall furnish to the Trust in such manner as may be specified proof of age of the minor and his own capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

Provided that the Trust shall be entiled to act on the statement made by such adult in the application form without any further proof. Any assessee as described above or an applicant as defined under the scheme is hereinafter referred to as "member".

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

III. Face Value of each Unit :

The face value of each unit issued under the Scheme shall be ten rupees.

IV. Minimum amount of investment :

Application shall be made for a minimum of 50 units and thereafter in multiples of 50 units. There will be no maximum limit.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 100 crores is targeted to be raised under the Scheme. The Trust shall by A/C Payee Cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the Scheme if sixty per cent of the said targeted amount is not subscribed.

1[In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of fifteen per cent per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.]

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Total expenses charged to the scheme except the initial issue expenses shall not exceed 3% of the average NAV during any accounting year.

VII. Mode of Payment :

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its office may do so by sending the application to the office of the Trust alongwith the bank draft for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) Right of Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme and plan made thereunder shall be final.

Incomplete Application Liable or Rejection.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant bound to comply with requirements under the scheme and plan made therunder before being issued units :

Persons applying for units under the schemes and plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted fro mthe register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units :

The offer of units under the Scheme shall be open for a period of 96 days commencing from December 26th, 1994 to March 31, 1995 (both days inclusive).

Applications received after the close of business hours of 31st March, 1995 and subsequently at any of the offices of the Trust shall be deemed invalid and rejected.

1. Inserted on 19-12-94.

The Sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall, as soon thereafter as possible, issue to the applicant Unit Certificate evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent. The Trust shall endeavour to send the Unit Certificate not later than 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.1[ ]

IX Incentive for early investments :

Depending upon the date of joining the plan the investor will be paid incentive as given below :

26-12-1994 to 20-01-1995 --1 5%

21-01-1995 to 20-02-1995--1%

The incentive cheque will be sent alongwith the Unit certificate.

2[This incentive shall be paid partly from the corpus and partly from the income. It will be treated as an initial issue expense.]

X. Allotment of Units :

Units will be allotted as on 31st March 1995. There shall be a firm allotment of 2000 units (i.e. Rs. 20,000/-) in respect of all complete applications and hereafter allotment will be at the sole discretion of the Trust taking into account the overall subscription 3[and on such basis as may be considered fair and equitable by the Trust.]

XI. Lock in period :

The investment made by a member under the Plan will be required to be kept for a minimum period of 3 years from the date of allotment of units. This three year period is called the Lock-in-period. No repurchase of units will be allowed during this three year period. After the said period of three years, the member shall have an option to tender the units to the Unit Trust for repurchase. In the event of the death of the member the legal heir or the nominee registered in the books of the Trust under the Plan as the case may be shall be able to repurchase the units standing to the credit of the deceased only after the completion of one year from the date of allotment of units to the member or any time thereafter. After the said period of one year and on completion of all formalities in connection therewith the nominee/legal heir shall be paid the repurchase proceeds of the units standing to the credit of the deceased member at the repurchase price announced by the Trust.

XII. Repurchase price of units :

(1) The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units and thereafter on a half yearly basis.

(2) After lock-in-period of 3 years from the date of allotment of units when the repurchase of units shall commence, the Trust shall announce a repurchase price every month or as frequently as may be decided by it.

(3) The repurchase price at which a unit will be repurchased will be calculated on the basis of NAV declared from time to time while calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% per annum of the average net asset value of the plan.

1. or such extended time as may be decided by the Trust in consultation with SEBI' deleted on 19-12-94.
2. Inserted on 19-12-94.
3. Inserted on 19-12-94.

Explanation : The date of allotment referred to herein shall be 31st March 1995.

(6) The Trust shall, as early as possible after the determination of the repurchase/final repurchase price, publish in such manner as it may deem fit, the repurchase price of units.

XIII. Repurchase of Units :

Where an application by an applicant for repurchase of units from him alongwith the unit certificate has been accepted by the Trust, the Trust shall as soon thereafter as possible send an acknowledgement thereof and the contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date after the applicant complies with all required procedural formalities in this regard. Repurchase of units will be at the repurchase price prevailing on the acceptance date. Payment for the units repurchased by the Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in his application. No interest on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance and realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

XIV. Restrictions on offer for sale and repurchase of units :

Notwithstanding anything contained hereinabove the Trust shall not be under any obligation to sell or repurchase units :—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of members is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation : For the purpose of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other states where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as day on which the office of the Trust will be closed.

XV. Publication of final repurchase price :

Upon termination of the scheme and plan made thereunder in the manner provided in Clause XIII of the provisions of the scheme, the Trust shall as early as possible after determining the final repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

XVI. Determination of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset value of the plan shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Plan by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV shall be published atleast in two daily newspapers at intervals not exceeding one month or at such intervals as may be approved by SEBI. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XVII. Duration of Plan :

The provisions of this plan not specifically excepted shall be deemed to have come into force on 26th December, 1994 and shall be in operation for a period of 10 years from the date of closure of sales of units i.e. till 31st March, 2005.

XVIII. Tax laws applicability :

Under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 investment made in the units of MEP-95 will qualify for tax rebate of 20% of the amount invested (subject to a maximum of Rs. 10,000/-). In other words, 20% of the amount invested (subject to maximum of Rs. 10,000/-) will be deductible from the tax payable, if any, by the investor. Any other in-

come or capital gain from the units will be chargeable too tax as per prevalent tax laws.

Value of investment in the scheme is fully exempt from Wealth Tax. In case of any dividend payout by the Trust, there will be no deduction of tax at source in respect of individual members.

XIX. Form of unit certificate :

Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto or in such form as may be approved by the Trust for smooth operation of the scheme. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the member.

XX. Manner of preparation of unit certificate :

The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided further that should the unit certificate so prepared contains the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate; the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XXI. Exchange of Unit Certificate and procedure when the certificate is mutilated, defaced, lost etc.

(1) Subject to the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, every member shall be entitled to exchange any or all the of his unit certificates for one or more certificates of such denominations as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the member shall surrender to the Trust the unit certificate or certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable thereunder) in respect of the issue of the new unit certificate or certificates.

(2) In case any unit certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issued to the person entitled a new certificate in lieu thereof. No such new certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) Furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement loss, theft or destruction of the original unit certificate.

(ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts.

(iii) In case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust and mutilated or worn out or defaced unit certificate; and

(iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the unit certificate to pay a fee of Rupee one per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate. Provided that no fee, stamp duty or postal registration charges shall be payable in respect of such issue of unit certificate in the following cases, viz.

(i) When a unit certificate issued to an applicant or issued to a transferee is tendered for the first time for sub-division.

(ii) When consolidation of unit certificate is suggested by the Trust and such a suggestion is accepted by the member.

XXII. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members :—

(1) A register of members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register :

(a) the name and addresses of the members;

(b) the distinctive number of the unit certificates and the number of units held by every such person; and

(c) he date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) (a) No application for registration as a member shall be entertained unless the application relates to a number of units being a multiple of fifty;

Provided that where, on the death of a member any other person becomes entitled to a number of units not being a multiple of fifty, such person may subject to the provision of the Plan be registered as a member in respect of such number of units :

(3) Any change of name or address or the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(4) Except when the register is clossed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(5) The register will be closed at such times and for period as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than [1][45] days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspaper as the Board may direct.

(6) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any units.

XXIII. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

XXIV. Distribution of income :

The Trust may declare and pay dividend under the Scheme if the income from the assets of the Scheme after meeting expenses is sufficient to declare a reasonable dividend.

XXV. Nomination by members :

(a) The Member being an individual may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations. This facility will however not be available to the transferee in the event of transfer of a unit.

Provided further that Hindu Undivided Families and Association of Persons or the said Body of Individuals shall have no right to make a nomination.

1. Substituted for '60' days on 19-12-94.

(b) The Registrars subject to such directions and provisions of the Scheme may from time to time issue and subject to sub clause (a) hereinabove, shall accept a nomination in the forms prescribed and register the same. They may also subject to such directions permit the variation, modification or changes in such nominations and have them registered.

XXVI. Death of the member :

(a) In the event of the death of the member under the Plan, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of the units standing to the credit of the deceased member.

(b) In the absence of a valid nomination, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian succession ct, 1925 (39 of 1925) shall be the only person recognised by the Trust as having any title to the units.

(c) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death of the members may producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all the units standing to the credit of the deceased (after 1 year from the date of allotment of units) at the repurchase price ruling on the date on which all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

FORM-A

—EMBLEM—

UNIT TRUST OF INDIA

MASTER EQUITY PLAN—1995

UNIT CERTIFICATE

(Clause XIX)

This is to certify that the person named in this Certificate is a member of Master Equity Plan—1995 and is the Registered Holder of within mentioned Units, each of the face value of Rupees Ten, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder, the Equity Linked Savings Unit Scheme 1995 and the Master Equity Plan-1995 (MEP-95) formulated under section 88 of Income Tax Act, 1961.

Unit Certificate No.

No. of Units (Face Value of Rs. 10/- per unit)

Name of the member

For UNIT TRUST OF INDIA
Chairman Trustee

Place :————

Date :————

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS MASTER EQUITY PLAN 1995

Date————

To,
The Unit Trust of India

————

————

————

I———— am the registered member/nominee/legal heir of deceased member of———— units of Master Equity Plan—1995 and desirous of selling to the Trust for repurchase at the repurchase price on the Acceptance date.

(i) all the units comprised in the certificate.

(ii) *———— units out of ———— comprised in the certificate and issue a new unit certificate in multiples of 50 units for the balance units, if any.

The price of the units may be paid to me by **cheque/bank draft.

Signature of witness ———— Signature of member/nominee/legal heir ————

Name : ———— Adress :————

————

————

Address :————

————

————

Acceptance Date

For the use of the office

*In multiples of 50 units

**Delete inapplicable words

No. UT. DBDM/680A/SPD-185/93-94.—The amendments to the provisions of the Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS 1992) made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 19th December 1994 are published here below.

S. K. DASGUPTA
Jt. General Manager
(Business Dev. and Marketing)

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME 1992 (CGUS) 1992

Clause 8 on "Sale of Units" has been amended as

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its agent, as the case may be, shall, as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement therefor. As soon as possible thereafter, the Trust shall issue to the applicant certificates in marketable lot of 100 units upto a maximum of 20 certificates and for investment beyond this one consolidated certificate representing the balance units sold to him. This consolidated certificate will be split once free of cost on request from the unitholder.

However on request in writing from the unitholder the Trust shall at its discretion and on compliance with requisite operational and procedural formalities consolidate the certificates so issued in marketable lots into denominations of 10,000 units each. The balance units shall be issued in lots of 100 units each. The unit certificates issued in denominations of 10,000 units shall be split once in multiples of 100 units, free of cost, on request from a unit holder. For the purposes of repurchase/transfer/transmission/buy back of the units comprised in the Jumbo Certificate the Trust/Unitholder shall comply with such procedural/operational formalites as may be required.

Clause 18 on "Form of Unit Certificate" has been amended as

Unit Certificates issued in marketable lots of 100 units shall be as per Form A annexed herewith and Certificates issued in denominations of 10,000 units shall be as per Form B annexed herewith. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number(s), the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder."

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963).

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME-1992 (MASTERGAIN-92)

This is to certify that the person/s named in this Certificate is/are the Registered Holder/s of within mentioned Units each of the face value of Rupees Ten subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the regulations framed thereunder and the Capital Growth Unit Scheme-1992 (MASTERGAIN-92).

Reg. Folio No. MG— Unit Certificate No

Name(s) of Holder(s)

No. of Units : **Ten Thousand only** (***10,000)

Distinctive No.(s) : As per Annexure (The Annexure is an Integral part of the Certificate).

CONSOLIDATED STAMP DUTY PAID

For UNIT TRUST OF INDIA

Given on this

Place : Executive Trustee Chairman

MEMORANDUM OF TRANSFER OF UNITS UNDER MASTERGAIN-92 MENTIONED OVERLEAF

DATE	TRANSFER NO.	REGD. FOLIO NO.	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	INITIALS	AUTHORISED SIGNATORY

FORM OF REPURCHASE OF ALL UNITS UNDER MASTERGAON-92

Date—————

To

The Unit Trust of India

I/We————————————————————————

offer to the Trust for repurchase of the repurchase price on the acceptance date all units under MASTER-GAIN-92 comprised in the certificate. The repurchase proceeds may be paid to me/us by cheque/bank draft at my/our cost.

Signature(s) of holder(s)

1. ————————————

2. ————————————

3. ————————————

————————————

Signature of Witness

Name :

Occupation :

Address :

———————————— Acceptance Date ————

All correspondence regarding MASTERGAIN-92 may be addressed to the Registrars whose address is mentioned below :

M/s. Datamatics Ltd., Unit UTI MASTERGAIN-92, Plot No. A 16 and 17, MIDC, Part B, X Lane, Behind MIDC Police Station, Andheri (E), Bombay-400093.

Annexure to Certificate for 10,000 Units. Issue in Lieu of following Certificate/Distinctive Nos. consolidated ***

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963).

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME—1992 (MASTERGAIN-92).

Reg. Folio No. MG— Name of First Holder

Sl.	Old Cert. No.	Distinctive Nos.	No. of Units	Sr. No.	Old Cert. No.	Unit Certificate of Distinctive Nos.	No. of Units

For UNIT TRUST OF INDIA

Executive Trustee

Chairman

Bombay, the 18th January 1995

No. UT/DBDM/723-A/SPD-84/94-95.—The provisions of the Unit Scheme 1995 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 21st November 1994 and amended in the Executive Committee meeting held on 26th December 1994 are published herebelow.

S. K. DASGUPTA,
Jt. General Manager
(Business Dev. and Marketing)

UNIT SCHEME 1995

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of Trustees of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme :

I. *Short title and commencement*

(i) This Scheme shall be called Unit Scheme 1995.

(ii) It shall come into force on such date as may be decided by the Chairman of the Unit Trust.

Sales of Units under the Scheme shall be open throughout the year except during book closure not exceeding 1[45] days in a year.

Provided, however that the Executive Committee of the Board of Trustees of the U[illegible]/Chairman may suspend the sale of units under the [illegible] 2[in circumstances like war, disruption [illegible]ck Exchanges and other socio-economic factors] after giving 15 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. *Definitions*

In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

(1) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(2) the "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(3) "Applicant" means an applicant under the Scheme and shall include an alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped persons.

(4) "Body Corporate" includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860, unless the context otherwise admits, such society being hereinafter referred to as "a society".

(5) "Eligible Trust" shall have the meaning assigned to it under Clause (aaa) of Regulation 2 of the Regulations.

(6) "Mentally handicapped persons" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life and is so certified by any Registered Medical Practitioner.

(7) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding;

(8) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being, recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(9) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(10) "SEBI means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(11) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees One Hundred in the unit capital pertaining to this Scheme;

(12) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(13) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

III. *Face value of each unit* :

The face value of each unit issued under the scheme shall be one hundred rupees.

IV. *Application for units* :

(1) Applications for units under this Scheme may be made by the following classes of persons :

(i) An individual either singly or with another individual none of whom is a minor, on joint/either or survivor basis.

(ii) A company or other body corporate.

(iii) A company or other body corporate alongwith another company or body corporate or an individual or individuals, none of whom is a minor.

(iv) A parent, step parent or other lawful guardian on behalf of a minor,

1. Substituted for '60' on 26-12-94.

2. Inserted on 26-12-94.

[1](v) An eligible trust as defined in the Regulations in accordance with and to the extent provided in the Regulations.

(vi) Hindu Undivided Family (HUF).

(vii) An individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(viii) An individual may make an application in his personal capacity or in his capacity of an Officer of a Government or of a Court.

(ix) Application may be made by Non-Resident Indians (NRIs) Overseas Corporate Bodies (OCBs), Other Foreign Body Corporates and Companies. Applications may also be made by such other applicant or categories of applicants as may be approved by the Chairman.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(3) Applications for units by non-individual investors shall be made by such persons as are duly authorised in this behalf by the charter of establishment, rules and regulations, etc., governing the investors.

(4) Applications for units shall be accompanied by such documents as the Unit Trust may prescribe in this behalf.

(5) Any investment to be made by NRIs, OCBs, other foreign Body Corporates and Companies will be governed by such rules, regulations and guidelines formulated by the Reserve Bank of India from time to time.

V. *Application by and registration of bodies corporate, minors etc.*

(1) A body corporate may be registered as a unit holder or one of joint unit holders.

(2) An adult, being a parent, step parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult shall furnish to the Trust in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements and the certificates furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be good discharge to the Trust.

(4) Applications by companies or other corporate bodies shall be accompanied by the relevant documents showing the applicants competence to invest in units, such as Memorandum and Articles, Bye laws etc., an authorised copy of the resolution by the managing body, and a copy of the requisite power of attorney.

(5) A firm or other association of persons (not being incorporated) as such, shall not be registered as a unit holder

(6) Not more than two persons may be joint holders.

(7) An individual applying for units in his official capacity shall be issued units in his official name.

VI. *Minimum amount of Investment*

Minimum investment shall be Hundred thousand units and in multiples of Fifty thousand units, above that a maximum limit may be fixed by the Trust at its discretion as and when required.

VII. *Minimum target amount to be raised*

Amount of Rs. 50 crores is targeted to be raised under the Scheme in the initial year of launch. The target for the subsequent years may be fixed in the beginning of the said years. The Trust shall be A/C Payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from 45 days of the opening of the sale of units under the Scheme the entire amount collected under the Scheme if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed within 45 days of the opening of sale of units under the Scheme.

[1][*In the event of failure to refund the amount within* the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from 45 days of the opening of sale of units under the scheme.]

VIII. *Limitation on Expenses*

Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the scheme. Total expenses charged to the scheme except the initial issue expenses shall not exceed 3% of the average net assets outstanding during any accounting year.

IX. *Mode of payment*

(1) All payments for units applied for shall be made by the applicant alongwith the application by way of cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office may do so by sending the application to the branch office of the Unit Trust alongwith the bank draft for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft.

(2) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(3) *Right of Trust to accept or reject application*

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme shall be final.

(4) *Incomplete Application Liable for Rejection*

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(5) *Applicant bound to comply with requirements under the scheme before being issued units*

Persons applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the satisfaction of

1. Inserted on 26-12-94.

—459 GI/94

the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of unitholders. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the unit at such price as may be decided by the Trust and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

(6) Any person may make arrangements with a banker or any other institution, empowering it, in accordance with law, to purchase units from the Unit Trust on his behalf, from time to time.

X. *Sale of Units*

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

The Trust shall thereafter send a unit certificate representing the units sold, by registered post to the address given by the applicant. The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of acceptance of the application. 1[ ] The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent,

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Body Corporate shall be made out in the name of such Body Corporate.

XI. *Investment Objective*

Not exceeding 50% of the funds shall be invested in equity and equity related instruments and balance in debt and money market instruments.

XII. *Investment Limits*

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme shall be rated as investment grade by credit rating agency :

Provided that if the debt instrument is not rated the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unquoted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(iv) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(v) Not more than 10% of the funds of all the schemes of the Unit Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(vi) No more than 15% of the funds under all schemes of the Unit Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any of one industry :

Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

(vii) 2[Transfer of investments from this Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis

(b) the securities so transfered are in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.]

(viii) The scheme shall not invest in or lend to another UTI scheme/plan.

(ix) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

XIII. *Repurchase of Units*

(1) No repurchase shall be made within 1[ninety days from the date of launch of the Scheme.]

(2) (i) After 2[ninety days from the date of launch of the Scheme], the Unit Trust shall repurchase the units at NAV based repurchase price subject however to the fact that the Trust is fully satisfied that all formalities in that regard have been completed as in more particularly detailed in sub clause (3) hereto.

Provided that no repurchase so made should result in the unit holder holding units other than in multiples of fifty thousand units.

(ii) The unit holder shall be under no obligation to offer his units for repurchase as provided in sub clause 2 (i) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme.

(3) Subject to the provisions of sub-clauses hereof, the Unit Trust shall, on request by the unit holder for repurchase, repurchase specified part of the units indicated in the unit certificate, as the case may be, being always a multiple of fifty thousand, the unit certificate so received shall be retained by the Unit Trust for cancellation. The Unit Trust shall, in the case of repurchase of a part of the units indicated in the unit certificate, issue a new unit certificate for the balance of units held by the unitholder.

(4) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(5) Payments for unit repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the applications. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

XIV. *Restrictions on sale and repurchase of units*

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units —

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period when the register of unitholders is closed in connection with (as notified by the Unit Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation : for the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Unit Trust will be closed.

XV. *Sale or repruchase to be as on the acceptance date* :

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XVI. *Sale and repurchase price*

(1) The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price") and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be

---

1 "or such extended time as may be decided by the Unit Trust in consultation with SEBI" deleted on 26-12-94

2 Substituted for "Transfer of investments from this scheme to another scheme/pian of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trust" 26-12-94.

1 Substituted for "ninety days starting from the initial offer period" on 26/12/94

2. Substituted for "90 days starting from the initial offer period" on 26/12/94.

declared on a weekly basis. Sales during the first month of the scheme will be at par. From the second month onward s sale price shall NAV based. The repurchase price will be announced after 1[90 days from the date of launch of the Scheme. The difference between the sale and repurchase price, however, will not exceed 7% of the sale price.

(2) The sale price or the repurchase price of a unit shall be arrived at on the basis of the material available with the Unit Trust on the day on which the sale price, or the repurchase price, as the case may be, is arrived at.

(3) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-caluses (1) and (2) when the Unit Trust is satisfied that in the interest of the Unit Trust, the unitholders and of the continuance and growth of the Scheme, it is necessary or expedient to do so, the Unit Trust may determine the sale price or repurchase price or both at a rate which may not necessarily be in accordance with the provisions of sub-caluse (1) or sub-clause (2), as the case may be 2[in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other social economic factors] and any such determination shall be deemed to be in the interest of the Unit Trust and the unitholders.

(4) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-clause (1) to (3), if it is in the interest of the Unit Trust and the unit holders to do so, the Unit Trust may determine the sale and repurchase prices other than on a weekly basis and may deem any price fixed by it effective for such period or periods as it deems fit.

XVII. *Publication of sale price and repurchase price* :

The Unit Trust shall, as early as possible after the determination of the sale and repurchase prices, publish in such manner as it may deem fit, the sale price and the repurchase price of units.

XVIII. *Valuation of assets pertaining to this Scheme* :

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective Principal Stock Exchanges. If the securities have not been traded for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Money Market instruments and other fixed income bearing instruments, including debentures, will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust

(c) To the value determined as above, shall be added the interest accrued in the case of fixed income securities and debentures and the dividend declared but not received in respect of equity shares and such other receipts accrued or accruable to the Trust.

(d) All other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value and if that is not available, in a manner as may be considered fair by the Trust.

(e) Valuation of securities which are not listed shall be periodically reviewed by the Board.

Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XIX. *Determination of Net Asset Value (NAV)* :

The Net Asset Value of the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV shall be published atleast in two daily newspapers at intervals not exceeding one week or at such intervals as may be approved by SEBI in their proposed guidelines on NAV. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

1. Substituted for "90 days starting from the initial offer period" on 26-12-94.

2. Instead on 26-12-94.

XX. *Form of unit certificate* :

A unit certificate will be issued to the unit holder. A Unit certificate shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of unit-holder.

XXI. *Manner of preparation of unit certificate* :

The unit certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine, and shall be signed on behalf of the Unit Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a machanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The unit certificate so issued shall also be valid.

XXII. *Procedure when Unit certificate is mutilated, defaced, lost etc.* :

(1) In case any unit certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such new unit certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced unit certificate and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Unit Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the unit certificate to pay a fee of Rupee five per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue despatch of such certificate.

XXIII. *Register of unit holders* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unit holders :—

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register :

(a) the names and addresses of the unit holders;

(b) the distinctive number of the unit certificate or certificates and the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which it became the holder of the units standing in his name.

(2) No application for registration as a unit holder shall be entertained unless the application relates to a number of units being a multiple of fifty thousand.

Provided that where, on the death of a unit holder, any other person becomes entitled to a number of units not being a multiple of fifty thousand, such person may be registered as a unit holder in respect of such number of units :

Provided further that the Unit Trust may, on application by such person in the appropriate form, sell to or repurchase from such person, such minimum number of units as be necessary to make the units held by him a multiple of fifty thousand.

Provided however that such person shall, within three months from the date of his being so registered, purchase or sell units so as to make the number of units held by him a multiple of fifty thousand.

(3) Any change of name or address on the part of any unit holder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(4) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by the unit holder or any authorised representative of the unitholder, without charge.

(5) The register will be closed at such times and for such periods as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 1[45] days in any one year; and the Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

(6) No notice of any trust expressed, implied or constructive, shall be entered on the register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXIV. *Receipt by unit older to discharge unit Trust* :

The receipt of the unit holder for any money paid to it in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

XXV. *Transfer of Units* :

(1) Units issued under the scheme may be transferred/pledged/assigned.

Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a number of units not being a multiple of fifty thousand.

Provided that no thansfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

1. Substituted for "60" on 26-12-94.

(3) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative Unit Certificate or Certificates and such other evidence as the Trust may require in support of the title of the transferor or his right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificates which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(4) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(5) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and the name of the office.

(6) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust.

(7) Where units have been transferred the Trust shall issue to the transferee, whose name has been entered in the register, a fresh unit certificate in respect of the units transferred to him; where the transferor has transferred only a portion of the units covered by a Unit Certificate, the Trust shall issue to the transferor a fresh unit certificate for the units not transferred by him. Before issuing any unit certificate indicating the units transferred to the transferee, the Trust may require the transferee to pay a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover other charges or taxes that may be payable in connection with the issue of such a Certificate. 1[Subject to the provision contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the Transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.]

XXVI. *Application and transfer forms signed by attorneys*

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXVII. *Nomination by Unit holders* :

Unit holders may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

However, in case of nomination by NRIs, the nomination will be governed by the rules to be formulated by the Reserve Bank of India from time to time.

Unit holders being parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible trust, societies, bodies corporate, and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

XXVIII. *Death or bankruptcy of a unit holder* :

(1) In case of death of any one of the joint holders of a unit certificate, the survivor shall be the only person recognised by the Unit Trust as having any title to or interest in the units represented by the unit certificate.

Provided that nothing herein contain shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

1. Inserted on 26/12/94.

(2) In the event of death of a sole unit holder, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by the unit holder, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of a unit holder or liquidation of a Company or body corporate, may upon producing such evidence to his title as the Trust shall consider sufficient, either be paid the repurchase value of all units to the credit of the person or be registered as a unit holder after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the decesed shall be permitted to hold the units as a unit holder and continue to remain registered as a unit holder and shall be issued a unit certificate in his name representing units so desired to be held subjec to the conditions regarding minimum holdings.

In the event of death of unit holder during [1][90 days from the date of launch of the Scheme,] the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XXIX. *Income Distribution* :

(1) Depending on the income of the Scheme, dividend may be paid under the scheme. Divident if any, shall be declared as soon as may be after the closing of the annual accounts, as on the 30th June of each year.

[2][In that event of income distribution not less than 90% of the income earned during the year in respect of the Scheme shall be distributed by way of dividend.]

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which he is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in his name.

Explanation : The period specified in this subclause shall be extended—

(i) in case of death of the transferee, by the actual period taken by his legal representative to establish his claim to the income;

(ii) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(iii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall effect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which he is such a holder.

1. Substituted for "the lock-in-period" on 26/12/94.

2. Inserted on 26/12/94.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserve built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder.

(5) The income if distributed among the unit holders shall be paid by cheque or warrant or any other instrument drawn on the Trusts bankers at the places where its Offices are situated or, at the option of the unit holder, by a bank draft or money order, the charges for such bank draft or money order, being borne by the unit holder. 1[The dividend warrants/cheque etc. shall be despatched within forty-two days of the declaration of the dividend.]

XXX. *Reinvestment of income distribution in further units* :

The unit holder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income that may be distributed instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXIX hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at a price as may be decided by the Unit Trust. A statement detailing the dividend distributed, tax deducted, if any, and the units allotted in lieu thereof shall be forwarded to the unit holder. No unit holder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unit holder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued by permitted to have the units to his credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unit holder who has repurchased the reinvested units may continue to avail the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subejct to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding, repurchase and other matters.

XXXI. *Preferential Offer of units and other benefits to unitholders* :

The Trust [1][based on overall preference of the Scheme,] may offer units for subscription to 2[ ] the unit holders at such price/prices and on such terms and conditions and in such form and manner as may be stipulated by the Trust for the purpose. Likewise the Trust may offer income distribution to 2[ ] the unit holders at such price/prices and on such terms and conditions and in such form and manner as may be decided by the Trust for the purpose.

XXXII. *Development Reserve Fund (DRF) contribution* :

0.10% of the funds collected in the first year may be set aside as contribution to the DRF of the Unit Trust. In addition, contribution may be at the rate of 0.10% of the NAV per annum thereafter.

XXXIII. *Publication of Accounts* :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods.

1. Inserted on 26-12-94.

2. "Such of" deleted on 26-12-94.

The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XXXIV. *Additions and Amendments to the Scheme* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

Amendments to the offer document based on the provisions of the Scheme can be effected with prior approval of the Executive Committee and of SEBI.

XXXV. *Termination of the scheme* :

1[(1) The Trust may wind up the Scheme if the total number of units outstanding after repurchases at any point of time falls below fifty per cent of the originally issued number of units.

(2) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (1) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.

(3) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall —

(a) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(b) cease to create and cancel units in the Scheme.

(c) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(4) (a) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme concerned in the best interest of the unit holders of the Scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of clause (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unit holders in proportion to their respective interest in the assets of the Sscheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(5) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unit holders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the fund before winding up, expenses of the fund for winding up, net assets available for distribution to the unitholdtrs and a certificate from the auditors of the Scheme.

(6) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.]

1. Substituted on 26/12/94 for the following :

(1) The Unit Trust may terminate this scheme if circumstances so prevail not being in the interest of the members or the Trust by publishing a notice in not less than four newspapers circulating in India. Such notice shall also specify the date, from which the termination shall take effect. Such notice shall be published at least three months prior to the date of termination.

(2) The out-going unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price ruling on the date of termination and thereafter no further benefit shall accrue to them.

(3) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(4) The Trust may wind up the scheme if the total number of units outstanding after re-purchases at any point of time falls below fifty percent of the originally issued number of units.

(5) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (4) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay atleast before a week the termination is effected.

XXXVI. *Copy of Scheme to be made available* :

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Unit Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Unit Trust to any person.

XXXVII. *Power to construe provisions* :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have the powers to construe the provisions of the Scheme, in so far as such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final, conclusive and binding.

XXXVIII. *Relaxation/Variation/Modification of provisions*

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient 1[under intimation to SEBI.]

XXXIX. *Scheme to be binding on unit holders* :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the scheme.

FORM-A

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)

UNIT SCHEME 1995

(Clause XX)

Unit Certificate No. ______

No. of Units ______

This is to certify that the person named in this Certificate is the Registered Holder of ——————units, each of the face value of Rupees One Hundred, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder and the Unit Scheme 1995.

Name ______

Place :——————

Date :——————

For UNIT TRUST OF INDIA

Trustee Chairman

1. Inserted on 26/12/94.

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS

To, Date ——————

The Unit Trust of India

——————

——————

I/We —— —— —— —— —— —— —— —— —— are the registered holder(s) of ——————— units of the Unit Trust of India and are desirous of selling to the Unit Trust all the said ——————— units.

@ —— —— —— — units out of the said —— —— —— units and accordingly offer the same for repurchase by the Unit Trust at the repurchase price on the Acceptance Day in respect of this application.

The price of the units may be paid to us by *cheque/bank draft at our cost.

——————

Signature of Witness

——————

——————

Signature of Registered holders/ authorised persons

Name :
Occupation :
Address :

Present Address :
Acceptance Date

For the use of the office

@should be in multiples of 50,000 units
*Delete inapplicable words

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated Under the Architects Act, 1972)

8-B, Shankar Market
Connaught Circus
New Delhi-110001

ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL OF ARCHITECTURE (INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972) FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 1994 (01-04-1993 TO 31-03-1994)

The Council of Architecture (Incorporated under the Architects Act, 1972) has pleasure in presenting herewith its Annual Report together with the Audited Statement of Accounts, reviewing the progress for the year ending 31st March, 1994.

1. COUNCIL OF ARCHITECTURE

The Council of Architecture met only once on March 7, 1994 at New Delhi as the reconstitution of the Council took consideration time and deliberated/took decision on the following important matters :

1. Approved the Annual Report and the Audited Statement of Accounts of te Council for the period ending March 31, 1993.
2. Approved the Budget estimates for the year 1994-95 amounting to Rs. 15,80,000/- (recurring) and Rs. 8,50,000/- (non recurring).
3. Appointed Shri Ravi K. Tandon of M/s. Ravi K. Tandon, Chartered Accountants, 2327 Dharmpura, Delhi as Auditors for auditing the accounts of the Council for the year 1993-94 on audit fee of Rs. 4,000/-.
4. Considered the complaints received from general public/Govt. agencies against the registered architects for alleged professional misconduct.
5. Constituted a Sub-Committee with Shri N A Badheka as Convenor for preapring a comprehensive proposal for amendments to the Architects Act, 1972 for a report for the consideration of the Council.
6. Re-elected Shri J R Bhalla as President of the Council of Architecture for a further term of three years.
7. Elected Prof. S A Tungare as Vice-President of the Council of Architecture for a term of three years.
8. Elected members of the Executive Committee as follows :

S/Shri

1. V N Shah
2. N A Badheka
3. Vijay Kumar Mathur
4. Gurunath V. Dalvi
5. M B Saxena

President and Vice-President being ex-officio Chairman and Vice-Chairman of the Executive Committee.

9. Constituted Disciplinary Committee of the Council with the membership as follow :
   1. Shri J R Bhalla—Chairman
   2. Shri N A. Badheka
   3. Shri M B Saxena
10. Constituted Advisory Committee (Appeals) with the following membership :
    1. Prof. S A Tungare—Chairman
    2. Shri N D Patel
    3. Shri R D Desai
11. Constituted Admission Committee with the following membership :
    1. Shri Premendra Raj Mehta
    2. Shri P B Kumbhare
12. Appreciated the work of S/Shri Ashok Yadav, Registrar and Vinod Kumar, Assistant Administrative Officer and the other staff of the Council for their hard work put in by them and authorised the President to give sympathetic consideration/appreciation to their work.

II. EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee of the Council met four times, on August 1, 1993., December 10, 1993, 7th and 8th February, 1994 and March 7, 1994 at New Delhi. The Committee discussed in detail on various matters as listed below and also made recommendations wherever necessary to the Council for its decisions :

1. Approved the Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the period ending 31st March, 1993 for placing before the Council at its next meeting.
2. Appointed Shri Sunil Huria as Lower Division Clerk in the pay-scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 on probation for a period of two years.
3. Considered reports of the Committees of Experts on the inspection of Schools of Architecture in India undertaken during the year under report.
4. Authorised the Chairman to get conceptual plans details and invite tenders from three contractors for undertaking interior decoration work at the new premises allotted to the Council of Architecture at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003.
5. Interviewed candidates for the post of Registrar and selected Shri Sudhir Kumar Ranjan for appointment as Registrar on deputation initially for a period of one year.

6. Recommended the Budget estimates to the Council for the year 1994-95 amounting to Rs. 15,80,000/- (recurring) and Rs. 8.50,000/- (non-recurring).

7. Authorised the Chairman to relieve Shri Ashok Yadav from the duties of Registrar w.e.f. March 21, 1994 A. N.) and decided that Shri Vinod Kumar, Assistant Administrative Officer took over Shri Yadav's duties till final arrangements for the appointment of Registrar are made.

III. DISCIPLINARY COMMITTEE

The Disciplinary Committee met once on March 12, 1994 at Sir J. J. College of Architecture, Bombay. At this meeting, the Committee considered 9 cases referred by the Council for detailed investigation. The Disciplinary Committee dropped the Enquiry No. 39 filed by Municipal Corporation of Greater Bombay, Bombay against one Shri R. S. Shelatkar as the Complaint stated that the Corporation does not have relevant papers pertaining to this complaint and as such no other facts could be complied with the complaint. The Disciplinary Committee of the Council would continue the investigations/hearings on the remaining cases. During the course of the hearings, some architects appearing before the Committee raised points of legal issues and sought adjournments and hence the enquiries were postponed.

IV. REGISTRATION

The Council received 1163 applications during the year under report. Out of which 1144 applications were for registration under section 25(a) and 19 applications under section 25(b) of the Architects Act, 1972. Under section 25(a) 1130 persons and under section 25(b) 3 persons have been registered. 16 applications were rejected as these applicants were not found eligible for registration either under section 25(a) or under section 25(b) of the Architects Act, 1972. The remaining applications are in various stages of scrutiny. The Original Certificates of Registration were issued to all the 1133 persons registered during the year under report. The total number of architects registered as on 31-03-1994 are 17080.

V. RENEWAL/RESTORATION

There was good response for collection of renewal fee from architects registered with the Council for retention of their names in the Register of Architects. The Council also received renewal fee in advance in some cases from architects registered with the Council.

VI. OFFICE PREMISES AT MADAM BHIKAJI CAMA BHAWAN, NEW DELHI

In accordance with the decision of the Council/Executive Committee, negotiations are being held for disposal of the flat owned by the Council at Madam Bhikaiji Cama Bhawan New Delhi and it is hoped that the flat will be disposed of at a good price.

VII. BUILDING FUND

The Council was able to build-up a building fund of Rs. 57.50 lakhs so far from out of its own resources. Out of this, a sum of Rs. 16,46,766/- had been paid to DDA for acquiring Commercial Flat No. 1007 at Madam Bhikaji Cama Bhawan, New Delhi and a sum of Rs. 35.00 lakhs to India Habitat Centre towards cost of office accommodation at Lodhi Road, New Delhi.

VIII. LIABILITY

The Council as a liability of Rs. 1.50,000/- in the repayment of the interest free loan to the Government of India.

IX. REMOVAL OF NAMES DUE TO DEATH

The Council regrets to record the sad demise of the following architects during the year under report :

Sl. No.	Name of the Architect	Registration No.
	S/Shri	
1.	Homi N. Dallas	CA/75/996
2.	Raja S. Poredi	CA/75/1189
3.	J. Ramamurthy	CA/77/3706
4.	N. D. Chaphekar	CA/77/3933
5.	Lalitray Shah	CA/78/4660
6.	N. S. Mathur	CA/84/8147
7.	Goutam Sen	CA/89/11996

X. DIRECTORY OF ARCHITECTS

The work relating to publication of the second edition of the Directory of Architects as on 31-03-1994 is in full swing. The second edition of the Directory of Architects will contain not only list of architects alongwith their telephone numbers registered with the Council in an alphabetic manner, State/citywise but also documents of the Council including the Architects Act, 1972, Rules, Regulations of Minimum Standards of Architectural Education, Guidelines for Architectural Competitions, Professional Conducts Regulations etc The secretariat of the Council had made empahtic effort to procure advertisements from the manufacturers, building materials suppliers and other organisations associated with the built environment. The material for he same will be shortly handed over to the press for bringing out the second edition of the Directory of Architects. It is not out of place to mention here that the publication of this Directory will be possible by the generous assistance given by the manufacturers, building material suppliers and other institutes concerned with built environment.

XI. CA NEWS

The Council of Architecture published three more issues of CA News during the period under report with a view to keep members informed of the important activities and seek their interaction as to the issues involved. All the three issues were sent to the members of the Council, Schools of Architecture, Professional Bodies like Indian Institute of Architects, Institution of Engineers (India) and all the registered architects numbering around 17,000 and others interested in the activities of the Council. Architects continue to appreciate the efforts of the Council in bringing out "CA News". Efforts are continuing to publish regular issues of CA News atleast 4 a year for the information of the architects.

XII. INSPECTION OF SCHOOLS OF ARCHITECTURE

The Committees of Experts appointed by the Executive Committee of the Council inspected the following institutions during the year under report. The inspection reports of these institutions wherever received have been forwarded to the concerned authorities for taking remedial action on the recommendations. The reports have also been sent to the members of the Executive Committee.

Sl. No.	Name of the Institution	Date of Inspection	Name of Experts
1	2	3	4
1.	Deptt. of Architecture, Bengal Engg. College Howrah	06-09-1993 07-09-1993	1. Prof. S. Datta (Convenor) 2. Shri Uttam C. Jain 3. Prof. Jitendra Singh
2.	Deptt. of Architecture, PDA College of Engg. Gulbarga	28-05-1993	1. Prof. S. A. Tungare (Convenor) 2. Shri C.N. Raghavendran
3.	Deptt. of Architecture, Maland College of Engg. Hassan	16-09-1993 17-09-1993	1. Prof. Gunnath Dalvi (Convenor) 2. Shri Pramod S Shinde 3. Shri C. N. Raghavendran
4.	Deptt. of Architecture, College of Engg. & Tech. Bhubaneswar	04-11-1993 05-11-1993	1. Shri A. K. Biswal (Convenor) 2. Prof. S. Datta
5.	Deptt. of Architecture, B. V. Bhoomraddi College, Hubli	29-11-1993 30-11-1993	1. Prof. S. A. Tungare (Convenor 2. Shri S. Y. Madan
6.	Deptt. of Architecture, M P Institute of Engg. & Technology, Gondia	28-01-1994	1. Prof. S.A. Tungare (Convenor) 2. Prof. V. R. Sardesai
7.	M. M. M. College of Arch. Pune	21-02-1994	1. Prof. S. A. Tungare (Convenor) 2. Shri Kulbhushan Jain
8.	Deptt. of Architecture, Guru Nanak Dev University, Amritsar	04-03-1994 05-03-1994	1. Prof Aditya Prakash (Convenor) 2. Prof. M. R Agnihotri
9.	D. C. Patel School of Architecture, Vallabh Vidyanagar	—do—	1. Prof. S. P. Vandekar (Convenor) 2. Shri Kulbhushan Jain
10.	Deptt. of Architecture, G. S. Mandal's Marathwada Institute of Techonology, Aurangabad	20-03-1994	1. Prof. S. A. Tungare (Convenor) 2. Shri Kulbhushan Jain
11.	Deptt. of Architectue, D Y Patil College ot Engg. & Tecnhnology, Kolhapur	24-03-1994	1. Prof. S A Tungare (Convenor) 2. Shri S. Y. Madan
12.	Shri Prince Maratha Boarding Houses College, of Architecture, Kolhapur	25-03-1994	—do—
13.	Sushant School of Art & Architecture, Sushant Lok Gurgaon. (Haryana)	—do—	1. Prof. C. K. Gumaste (Convenor) 2. Prof K. T. Ravindran 3. Prof. Kurula Varkey

XIII. ALL INDIA BOARD OF STUDIES IN ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING CREATED UNDER MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN COA AND AICTE

Under the Memorandum of Understanding signed between the COA and AICTE, the All India Board of Studies in Architecture and Town Planning met in New Delhi on 4th August, 1993; 10th December, 1993 and 18th March 1994 and discussed in detail the evaluation reports alongwith project reports for starting new instiutions in architectural education and allied subjects at undergraduate/post-graduate level. The Board has recommended the following institutions for starting architectural education at undergraduate level to the AICTE ;

1. Lale Bhausaheb Hiray S S Trust's College of Architecture, Bandra(E), Bombay;
2. Kavikulguru Institute of Technology, Ramtek;
3. Priyadarshini College of Engineering, Eelectronic Zone, MIDC, Hingna Road, Nagpur;
4. Thiagarajar College of Engineering, Madurai (T.N.)
5. R V College of Engineering, R V Vidyaniketan P. O, Bangalore;
6. M S Ramaiah Institute of Technology, Vidya Soudha, Gokula Extension Post, Bangalore;
7. Bangalore Institute of Technology, K R Road, Visveswarapuram, Bangalore;
8. Siddaganga Institute of Technology, Tumkur;
9. BLDE Association's College of Engineering & Technology, Bijapur;
10. Malik Sandal Institute of Art & Architecture, 12, Nawbag, Bijapur; and
11. Dayananda Sagar College of Engineering, Shavige Malleswara Hills, Kankapura Road, South-end of Jayanagar, Bangalore.

In addition, the Council has recommended the continuation of approval to the existing 38 institutions which were established prior to AICTE Act came into force and imparting architectural education at undergraduate level whose graduates are already taking registration of the Council of Architecture under the Architects Act, 1972 on obtaining the recognised qualifications from these institutions.

The AICTE is in the process of re-constituting the Board. The secretariat of the Council continued to receive fresh proposals from various authorities wishing to start courses at undergraduate level in architecture. It is pertinent to mention that the secretariat of the Council has been shouldering this extra responsibility ever since the signing of the Memorandum of Understanding between the COA and AICTE without sanctioning of any special pay to the existing staff for shouldering this additional work.

XIV. REGISTRATION OF FOREIGN NATIONALS

A number of foreign nationals having qualifications recognised under the Act have applied for registration under section 25(a) of the Architects Act, 1972. The Council has referred these applications to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, New Delhi for obtaining a "No Objection" before these foreign nationals are registered under the Act. The matter is being pursued with the Ministry for obtaining early clearance so that these foreign nationals having recognised qualifications under the Act could be registered.

XV. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972

The Council of Architecture at its 26th meeting held on 7th March, 1994 at New Delhi discussed in details the proposal for amendments of certain clauses of the Architects Act, 1972 and on the basis of discussion, the Council constituted a Sub-Committee with Shri N A Badheka as Convenor and S/Shri Premendra Raj Mehta, N D Patel, R D Desai, Muzaffar Ali Khan as other members to submit a comprehensive proposal for the consideration of the Council. The report of the Sub-Committee is awaited.

XVI. COUNCIL OF ARCHITECTURE (MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION) REGULATIONS

The document on the Minimum Standards of Architectural Education has been revised with the assistance of All India Board of Studies in Architecture and Town Planning and also incorporated the suggestions of the All India Council for Technical Education ,have been forwarded to the AICTE with a request to forward the same to the Union Ministry of Human Resource Development, for obtaining the approval of the Central Government. On receipt of approval of the Central Govt., the document will be sent to the Govt. of India Press, Faridabad for its notification in the Official Gazette for its enforcement as required under the provisions of the Architects Act, 1972.

XVII. LITIGATION

The Council is involved in the following litigations:

1. A Writ Petition C.W.P. 2745 of 1993 has been filed in the Delhi High Court, New Delhi by one Shri M. S. Tomar who had applied for registration under section 25(b) of the Architects Act, 1972 and as he was not found eligible, his application was rejected by the Registrar of the Council. His appeal against the decision of the Registrar was also rejected by the Council. The Council has appointed one Shri S. Ravindra Bhat, Advocate, New Delhi to defend the Council in the above mentioned case. The secretariat of the Council has provided all the information and relevant papers to the Advocate for enabling him to file counter reply to the said Writ Petition. The hearing in the case is in progress.
2. Association of Architects Assam has filed a Civil Rule No. 1652 of 1993 and Civil Rule No. 1984 of 1993 against the State of Assam and others in the Guwahati High Court regarding Design Competition for State Capital Complex at Guwahati in which the Council of Architecture has also been made one of the Respondents in the said case. The Council has appointed Shri D. N. Choudhury, Senior Advocate, Guwahati to defend the Council in the said case. The case is in progress.
3. Shri G. Narendranath Gupta, Nizamabad and others have filed Writ Petition No. 3994/94 in the High Court of Andhra Pradesh against Commissioner and Director of Technical education, Andhra Pradesh, Hyderabad and the Council of Architecture and All India Board of Studies in Architecture and Town Planning has been made a party in the said Writ Petition. The Council has been represented by Shri T. Ramulu, Advocate and Addl. Standing Counsel for Central Government High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad and all relevant details have been provided by the secretariat of the Council to him to defend the Council and Board in the said case. The case is in progress.
4. A Case No. 414/89 filed by Shri S. P. Jain in 1989 at Tis Hazari Court, Delhi against the Council of Architecture for non-registration of his name under section 26 is still in progress. The Council is being defended by advocate Shri K. R. Chawla.

XVIII. MISCELLANEOUS

(i) The Council continues to attend to a large number of enquiries made by the clients from Private, Government and Semi-Government Organisations with regard to the appointments of architects, conditions of engagement and scale of fees etc. The Council continues to draw the attention of Public Undertakings and other Organisations and have sought their full cooperation, whenever architects are called upon to submit designs in competitions or submit tenders in sealed covers requesting them to follow the guidelines for architectural competition laid down by the Council of Architecture.

(ii) In spite of the constrains of space and other facilities, the office of the Council of Architecture continues to function from the premises of the Northern Chapter, Indian Institute of Architects for the last 20 years though the premises lack basic amenities such as water, toilet and congenial office atmosphere which have been pointed out by the visiting architects and other dignitaries who visit the premises. It is pertinent to mention that the office space at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi is still under final stages of completion.

(iii) The Central Government in the Ministry of Human Resource Development had appointed vide letter No. F.6-61/93 T.D.III dated 29th October, 1993, the Registrar, Council of Architecture as the Returning Officer for the purpose of conducting fresh election of five persons to be represented on the Council from amongst the Heads of Architectural Institutions in India imparting full-time instructions for recognised qualifications for a term of three years. The staff of the Council has rendered necessary secretarial and

other assistance to the Returning Officer for facilitating him to smoothly conduct the election as per schedule prepared by him and the result of the elections have been intimated to the Central Government.

The Council is grateful to the following organisations for extending their facilities in connection with the work of the Council and also for holding the meeting of the Council Committees of the Council:

1. Government of Haryana;
2. Indian Institute of Architects, Bombay;
3. PEATA, Bombay;
4. Indian Institute of Architects, Northen Chapter, New Delhi;
5. Sir J. J. College of Architecture, Bombay;
6. M/s. Stein, Doshi, Bhalla, New Delhi; and
7. School of Planning & Architecture, New Delhi.

The Council is thankful to all the Schools of Architecture inspected during the year under report for their alround co-operation during the course of inspection. The Council is also thankful to the experts who have inspected the Schools of Architecture during the year under report.

The Council records its thanks to the retiring members of the Council and its Committees/Sub-Committees as well as special invitees for their valuable contribution and assistance in the affairs of the Council during their tenure.

The Council would further like to record its thanks to the Northern Chapter of the Indian Institute of Architects, New Delhi in particular, for kindly permitting the Council to continue to function from their premises during the year under report.

The Council would further like to record its thanks to the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi for their cooperation in the enforcement of the Architects Act, 1972.

The Council would like to record its thanks to the authorities of the All India Council for Technical Education for their cooperation in the enforcement of the Architects Act, 1972.

The Council would also like to place on record its appreciation to M/s. Ravi K. Tandon, Chartered Accountants, New Delhi for assisting the Council in the audit of its accounts for the year under report.

S. K. RANJAN
Registrar

RAVI K. TANDON & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

Dated 8 September, 1994

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of M/s. COUNCIL OF ARCHITECTURE, 8-B, Shanker Market, Connaught Circus, New Delhi as on 31st March, 1994 and also Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 1994, with the books of account and vouchers as produced to us, we do hereby report as follows:—

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the council so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with report are in agreement with the books of account;
4. In our opinion and to the best of our information according to the explanations given to us the said statement of accounts give a true and fair view:—
   (a) in case of Balance Sheet of the state of affairs of the council as at 31st March, 1994, and
   (b) in the case of Income & Expenditure Account of the excess of Income Over Expenditure for the year ended on that date.

For RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAVI K. TANDON)
PROP.

Office: Tandon House, 2327, Dharam Pura, Delhi-110006
Resi: A-56, Nizamuddin East, New Delhi-110013.

RAVI K. TANDON & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

Dated 8 September, 1994

M/s. COUNCIL OF ARCHITECTURE

(INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

8-B, SHANKER MARKET, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI-110 001

NOTES ON ACCOUNTS FORMING PART OF THE STATEMENT OF ACCOUNTS AS ON 31ST MARCH, 1994

1. Figures of previous year have been regrouped and rearranged wherever necessary;
2. Books of accounts have been maintained mainly on receipt basis;
3. A sum of Rs. 6,00,000/- has been transferred to Building Fund, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi from General Reserve during the year under consideration the total amount transferred till date is Rs. 41,00,000/-.

For RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
RAVI K. TANDON
PROP

FOR & ON BEHALF OF COUNCIL

J. R. BHALLA (S.K. RANJAN)
President Registrar

Office: Tandon House, 2327, Dharam Pura, Delhi-110006
Resi: A-56, Nizamuddin East, New Delhi-110013.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated Under the Architects Act, 1972)

3-B, Sarkar Market Connaught Circus, New Delhi-110001

Balance Sheets as on 31st March, 1994

Previous Year	LIABILITIES		Amount
1339697 27	**General Reserve**		
	Balance as on 1-4-93	1339697 27	
	Add Excess of Income over Expenditure	1029978 01	
		2389675 28	
	Less Amt tfd to IHC	600000 00	1769675 28
3433 00	C A NEWS LETTER (Subscription) FUND		
	Opening Balance	3433 00	
	Add Additions	22457 00	25890 00
	Building Funds :		
1650000 00	(i) Madam Bhikaji Cama Bhawan		1650000 00
3500000 00	(ii) India Habitat Centre	3500000 00	
	Add tfd from G Reserve	600000 00	400030 00
	LOANS		
150000 00	Loan from Govt. of India		150000 00
	OTHER LIABILITIES		
10304 62	SEMINAR (Unspent) (As per last year)		10304 62
314256 36	UNSPENT EVALUTION FEES		184880 82
			7890750 72

Previous Year	Assets		Amounts
1676068 38	**Fixed Assets**		1670297 09
	Investments		
2900000 00	BUILDING (Allotted) at I H C. Lodi Road, New Delhi	2900000 00	
	Add Addition during the year	600000 00	3500000 00
1663738 95	**Fixed Deposit Receipts**		2153738 00
11331 19	**Loans & Advances**		99660 19
	Cash & Bank Balances		
624519 27	(i) S B I, Main Branch C/o 22/66334	389842 82	
102033 46	(ii) Syndicate Bank, Super Bazar Building, Connaught Circus, New Delhi	77221 67	467064 49
6967691 25			7890750 72

for and on behalf of Council

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

Dated 8 Sept 1994

Place : New Delhi

for **Ravi K Tandon & Co**
Chartered Accountants

(J R BHALLA)
President

(S K RANJAN)
Registrar

(RAVI K TANDAN)
Prop

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED AS ON 31-3-1994

Previous Year	PARTICULARS		Amount
614668 50	To Pay & Establishment		685541.00
5618 00	To Gratuity Provision		96640 0
48343.17	To Printing & Stationery		45125.76
—	To Notification Charges		21520.00
44453 85	To Postage (Net) .		40667.25
67674 00	To Travelling Allowance		64238.00
10747 30	To Conveyance Hire Charges		13549.00
47145 00	To Telephone Exp. (Net)		67807.00
371 15	To Cleaning Materials		796.75
6244.85	To Refreshment Charges		5362.55
6548 00	To Electricity Charges		6551.00
818.75	To Electrical goods		909.60
500 00	To Water Charges		—
—	To Publication Charges		—
4540 18	To Misc. Exp (Net)		745.21
20000 00	To Rent .		20000.00
9900 00	To Legal Exp		19575.00
2000 00	To Audit Fee		2500 00
4107.27	To Office Books & Periodicals		
	Newspapers & Periodicals	3716 90	
	Office Books	1022.00	4738.90
6619.67	To Repair & Maintenance		5730.00
—	To Sanitation Goods		497.00
1905.60	To Seminar Exp. Work-shop on Architectual Education .		—
67509 00	To Income Tax A. Y. 1994-95		63583.00
1100 00	To Consultation Fee		
60760.50	To Directory of Architects (Net)		—
1220.00	To Insurance Premium		1220.00
—	To Advertisement Charges		767 00
—	To C. A. News letter (Net)		38873.50
7437.31	To Depreciation : Eqipment	4735.10	
	Furniture	1036.19	5771 29
993338.90	To Excess of Income over Expenditure tfd. to General Reserve		1029978.31
2033461.00			2155712.85

Previous Year	PARTICULARS		Amount
1739531 00	By Fees Receivesd :—		
	Registration Fees (Net)	240000 00	
	Renewal Fee (Net).	1346275 00	
	Registration Fee (Net)	227440.00	
	Duplicate Registration Certificate Fee (Net)	5360.00	
	Additional Qualification Fee .	50 00	
	Other Fee	1085.00	1820210.00
6370 00	By Sale of Publications		10405.00
202185.90	By Interest on F.D.R. (Gross		194433.90
1569 10	By Bank Commission (Net)		1417.75
—	By Directory of Architects (Net)		63500.00
83805 00	By Sale of Directory of Architects		64440.00
—	By Packing & Forwarding Charges (Net)		1306.20
2033461.00			2155712.85

for and On Behalf of Council

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

Dated : 8 Sept 1994

Place : NEW DELHI.

for **Ravi K. Tandan & Co.**
Chartered Accountants

(J. R. BHALLA)
President

(S. K. TANDON)
Registrar

(RAVI K. TANDON)
Prop.

SCHEDULE OF FIXED DEPOSIT RECEIPTS AS ON 31st MARCH, 1994

S. No.	F. D. R. No.	Name of the Bank	Date of Issue/ Renewal	Date of Maturity	Rate of Intt.	Amount	Intt.	Purchaes and Renewal during the year	Matured during the year	Total Amount as on 31-3-1994
1.	TD-A/4-030615	S. B. I., Main Branch Parliament Street, New Delhi-110001	24-4-91	24-4-94	12%	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
2.	TD-A/4-030616	—do—	24-4-91	24-4-94	12%	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
3.	TD-A/4-030617	—do—	24-4-91	24-4-94	12%	100000.00	12000.00	—	—	100000.00
4.	TD-A/6-934135	—do—	5-9-91	5-9-94	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
5.	TD-A/6-934136	—do—	5-9-91	5-9-94	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
6.	TD-A/6-934269	—do—	26-9-91	26-9-94	13%	51000.00	6630.00	—	—	51000.00
7.	TD-A/6-934270	—do—	26-9-91	26-9-94	13%	5100.00	6630.00	—	—	51000.00
8.	TD-A/6-934660	—do—	6-12-91	6-12-94	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
9.	TD-A/6-934661	—do—	6-12-91	6-12-94	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
10.	TD-A/14-936336	—do—	7-3-92	7-3-95	13%	100000.00	13000.00	—	—	100000.00
11.	TD-A/14-936337	—do—	7-3-92	7-3-95	13%	100000.00	13000.00	—	—	100000.00
12.	TD-A/14-936636	—do—	24-4-92	24-4-95	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
13.	TD-A/14-936637	—do—	24-4-92	24-4-95	13%	50000.00	6500.00	—	—	50000.00
14.	SD-A/13-175237	—do—	18-3-93	18-3-95	11%	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
15.	SD-A/13-175233	—do—	13-3-93	18-3-95	11%	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
16.	SD-A13 175238	—do—	27-3-93	27-3-95	11%	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
17.	SD-A/13-175289	—do—	27-3-93	27-3-95	11%	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
18.	SD-A/13-175290	—do—	27-3-93	27-3-95	11%	100000.00	11000.00	—	—	100000.00
19.	TD-A/4-030559	—do—	6-4-91	6-4-93	10%	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
20	TD-A/5-030560	—do—	6-4-91	6-4-93	10%	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
21.	TD-A/4-030561	—do—	6-4-91	6-4-93	10%	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
22.	TD-A/4-030562	—do—	6-4-91	6-4-93	10%	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
23.	TD-A/4-030563	—do—	6-4-91	6-4-93	10%	38683.79	3868.38	—	38683.79	—
24.	TD-A/4-030564	—do—	6-4-91	8-4-93	10%	58320.00	5832.00	—	58320.00	—
25.	SD-A/13-175370	—do—	6-4-93	6-4-95	11%	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
26.	SD-A/13-175371	—do—	6-4-93	6-4-95	11%	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
27.	SD-A/13-175372	—do—	6-4-93	6-4-95	11%	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
28.	SD-A/13-175373	—do—	6-4-93	6-4-95	11%	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
29.	SD-A/13-175374	—do—	6-4-93	6-4-95	11%	38683.79	—	38683.79	—	38683.79
30.	SD-A/13-175369	—do—	8-4-93	8-4-95	11%	58320.00	—	58320.00	—	58320.00
31.	TD-A/19-238318	—do—	25-8-93	25-8-95	11%	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
32.	TD-A19-238319	—do—	25-8-93	25-8-95	11%	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
33.	TD-A/19-238320	—do—	25-8-93	25-8-95	11%	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
34.	TD-A/19-238321	—do—	25-8-93	25-8-95	11%	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
35.	TD-A/19-238322	—do—	25-8-93	25-8-95	11%	100000.00	—	100000.00	—	100000.00
—	—	—	—	—	Totals:	2405477.90	194433.90	751738.95	251738.95	2153738.95

for and on Behalf of Council

Dated : 8 Sept., 1994

Place : New Delhi

(J. R. BHALLA)
President

(S. K. RANJAN)
Registrar

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 1994

S. No.	PARTICULARS	Qty..	Rate of Dep. %	W.D.V. as on 31-03-1993	Addi. during the year	Sold during the year	Total Value as on 31-3-94	Dep. as on 31-03-94	W. D. V. as on 31-03-94
I.	BUILDING TOTAL 'A'			1646766.00	—	—	1646766.00	—	1646766 00
II.	Plant & Maihinery (Block Equipment)		25%						
1.	Typewriters	6		13705.12	—	—	13705·12	3426.28	10278.94
2.	Duplicating Machine	1		591.47	—	—	591.47	147.87	443 60
3.	Fans	2		116.26	—	—	116.26	29·07	87.19
4.	Cooling System	1		443.22	—	—	443.22	110.81	332 41
5.	Heater	1		6.03	—	—	6.03	1·51	4.52
6.	Postel Franking Machine	1		770.43	—	—	770.43	192 61	577.82
7.	Postal Weighting Machine	1		23·87	—	—	23.87	5 97	17 90
8.	Calculators .	3		507.03	—	—	507.03	126.76	380 27
9.	Fire Extinguishers	3		424 93	—	—	424·93	106.23	318·70
10.	Refrigerator	1		1649 93	—	—	1649 93	412·48	1237 45
11.	Voltas Stabilizer	1		143.63	—		143·63	85 90	107.73
12.	Clock	1		67 50	—	—	67.50	16.87	50 63
13.	Exhaust Fans	2		412.50	—	—	412.50	103·12	309.38
14.	Others			78.49	—	—	78.49	19·62	58.87
	TOTAL 'B'			18940 41	—	—	18940.41	4735.10	14205 31
III.	FURNITURE & FIXTURE BLOCK :		10%		—	—	—	—	—
1.	Steel Almirah	7		1750.09	—	—	1750.09	175.00	1575 09
2.	Filing Cabinet	8		3060.14	—	—	3060.14	306.01	2254.13
3.	Tabulor Tables	8		1142 74	—	—	1142.74	114.27	1028.47
4.	Chairs . .	11		189.01	—	—	189.01	18.90	170.11
5.	Steel Safe (Box)	1		133.15	—	—	133.15	13.32	119.83
6.	Steel Racks .	10		2477.95	—	—	2477.95	247 80	2230.15
7.	Collapsible Gate	2		586 87	—	—	586.87	58.69	528.18
8.	Steel Stool	1		45.10	—	—	45.10	4 51	40.59
9.	Steel Stand	1		162 60	—	—	162.60	16.26	146.34
10.	Curtains			614 93	—	—	614.93	61.49	553.44
11.	Others			199.39	—	—	199.39	19.94	179 45
	TOTAL 'C'			10361 97	—	—	10361.97	1036.19	9325.78
	GRAND TOTAL 'A+B+C'			1676068.38	—	—	1676068.38	5771.29	1670297.09

For and on behalf of Council of Architecture

Date: 8 Sept., 1994

Place: New Delhi

(J. R. BHALLA)
President

(S. K. RANJAN)
Registrar

For RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAVI K. TANDON) PROP.

DETAILS OF LOANS AND ADVANCES AS ON 31-3-1994

PARTIULARS	AMOUNT
Postage Advance	3266.19
Telephone Deposit	9500.00
Scooter Advance	11884.00
Printing charges (Advance). . . (Directory of Architects)	75000.00
Total :	99650.19

Registrar,
Council of Architecture,
8-B,Shankar Market
Con. Circus, New Delhi-110001

ALL INDIA BOARD OF STUDIES IN ARCHITECTURE & TOWN PLANNING
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1994

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT (Rs-)
GENENAL RESERVE		**FIXED ASSETS**	
Balance B/F from Receipt & Payment A/c	263944.82	(As per List 'A')	79064.00
		UNSPENT BALANCE	
		Balance tfd. to Council of Architecture .	184880.82
	263944.82		263944.82

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for and on behalf of A.I.B.S.I.A. & T.P.

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Dated : 8 SEP. 1994
Place : New Delhi

(RAVI K. TANDON)
PROP

(J R BHALLA)
CHAIRMAN

(S. K. RANJAN)
MEMBER-SECRETARY

RECEIPT & PAYMENT A/c AS ON 31-3-1994

Previous Year	PARTICULARS	Amount (Rs.)	Previous Year	PARTICULARS	Amount (Rs.)
45783.00	To Pay & Establishment	55319.00		By Unspent Evaluation Fee	314256.36
93600.00	To Honorarium	102140.00	575000.00	By Evaluation Fee	325000.00
49178.00	To Travelling Allowance	108476.00			
24193.00	To Conveyance Hire charges	26668.00			
18312.00	To Telephone Exp	16611.25			
14585.60	To Printing & Stationery	16669.00			
6480.00	To Repair & Maintenance	11018.00			
1888.50	To Refreshment charges	3503.80			
395.00	To Postage	393.00			
50.00	To Bank Commission	—			
41.50	To Misc. Exp.	174.80			
520.49	To Generator Maintenance	319.24			
—	To Service Maintenance charges	10188.00			
—	To Electricity charges	2361.00			
—	To Office Books A/c	325.00			
—	To Audit Fee A/c	750.00			
15000.00	To Depreciation A/c	20405.45			
309972.91	To Balance c/f to General Reserve	263944.82			
575000.00		639256.36	575000.00		639256.36

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

for and on behalf of A.I.N.B.S.I.A.&T.P.

Dated : 8 SEP 1994
Place : New Delhi

(J. R. BHALLA) Chairman

(S. K. RANJAN) Member-Secretary

(RAVI K. TANDON) Prop.

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31st MARCH 1994

Sl. No.	PARTICULARS	No.	Dep.	W.D.V. as on 31-3-93	Addition during the year	Written off/sold during the year	Total Value	Dep. as on 31-3-1994	W. D. V. as on 31-3-1994
							——Rs. ——		
	EQUIPMENT :								
1.	Printer (08-07-1993)	1	25%	—	17500.00	—	17500.00	4375.00	13125.00
2.	Computer (08-07-1993)	1	25%	—	46800.00	—	46800.00	11700.00	35100.00
3.	Fax Machine (01-12-1993)	1	12.5%	—	33000.00	—	33000.00	4125.00	28875.00
	FURNITURE & FIXTURE								
1.	Steel Stool (12-11-93)	2	5%	—	230.00	—	230.00	11.50	218.50
2.	Ped Fan & Table Lamp (22-6-93)	2	10%	—	1939.45	—	1939.45	193.95	1745.50
				TOTAL :	99469.45	—	99469.45	20405.45	79064.00

FOR AND ON BEHALF OF A. I. B. S. I. A & T. P.

Dated : 08-09-1994
Place : New Delhi.

(J. R. BHALLA)
Chairman

(S. K. RANJAN)
Member-Secretary

RECEIPTS & PAYMENTS AS ON 31st MARCH 1994

Previous Year	RECEIPTS	Amount	Previous Year	PAYMENTS		Amount Rs.
99283.45	To Opening Balance	314256.36	110000.00	By Capital Expenditure		
575000.00	To Evaluation Expenses (13 *Institutions* Rs. 25000/- each)	325000.00		Equipment & Furniture :		
				Printer .	17500.00	
			40783.00	Computer	46800.00	
			93600.00	Fax .	33000 00	
			24193.00	Steel Stool	230 00	
			49178.00	Table Lamp, Ped Fan etc.	1939.45	
			14585.00			99469.45
			—	By Evaluation Expenses :		
			6480 00			
			395 00	Pay & Establishment		55319 00
			1888.50	Honorarium . .		102140.00
			—	Conveyance Hire Charges		26668 00
			—	Travelling Allowance		108476 00
			18312.00	Printing & Stationery		16659 00
			520.49	Service Maintenance Charges		10188 00
			—	Repair & Maintenance Charges		11018.00
			41.50	Postage		393 00
			50.00	Refreshment Charges		3503.80
			314256.36	Electricity Charges		2361 00
				Office Book A/c		325 00
				Telephone Exp.		16611.25
				Generator Maintenance		319 24
				Audit Fee		750.00
				Misc. Exp.		174.80
				Bank Commission		—
				Unspent Bal. C/F to Balance Sheet		134880 82
674283 45		639256.36	674283.45			639256 36

FOR AND ON BEHALF OF A.I.B.S.I.A. & T.P.

Dated : 08-09-1994
Place : New Delhi

(J. R. BHALLA)
Chairman

(S. K. RANJAN)
Member Secretary

For RAVI K. TANDON & Co.
Chartered Accountants

(RAVI K. TANDON)
Prop.

STATEMENT OF EVALUATION FEE RECEIVED DURING THE YEAR AS ON 31ST MARCH, 1994

S. No.	NAME OF THE PROMOTOR	Date of Fee Received	Amount (Rs.)
1.	Dayanand Sagar College of Engg. Bangalore.	21-04-93	25000.00
2.	Priyadarshini College of Engg. Nagpur.	21-04-93	25000.00
3.	Shri Swami Vivekanand Shikshan Sansthan,. Kohlapur.	12-08-93	25000.00
4.	Saraswati Vidya Bhawan Bombay.	06-09-93	25000.00
5.	Thiagaraja College of Engg. Madurai.	13-09 93	25000.00
6.	Indore Education & Services Society Indore.	09-12-93	25000.00
7.	Bhagini Mandal Chopda Distt. Jalgaon (Maharashtra)	11-01-94	25000.00
8.	Dept. of Civil Engineering Faculty of Technology, Jamia Milia Islamia, New Delhi.	14-01-94	25000.00
9.	Periyar Maniammai College of Tech. for Women Valkim, Thaiyavur Tamil Nadu	02-02-94	25000.00
10.	R. V. College of Engineering Bangalore.	04-03-94	25000.00
11.	Siddaganga Institute of Tech. Tumkur.	04-03-94	25000.00
12.	M. S. Ramaiah Institute of Tech. Cidya Soudha. Bangalore.	08-02-94	25000.00
13.	Bangalore Institute of Tech. Bangalore.	25-03-94	25000.00
	TOTAL ;		325000.00

SUDHIR KUMAR RAJAN
Registrar,
Council of Architecture,
8-B, Shankar Market
Connaught Circus, New Delhi.

CHARTERED ACCOUNTANTS

RAVI K. TANDON & CO

Dated 8 September, 1994

AUDITOR S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of "COUNCIL of ARCHITECTURE" CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNT, 8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110 001 with the books of account and vouchers produced to us and we report as follows :—

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audi ;
2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the council of Architecture, Contributory Provident Fund Account so far as appears from our examination of such books ;
3. The Balance Sheet is agreement with the books of accounts ; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said statement of accounts give a true and fair view, in the case of Balance Sheet of the state of affairs as 31st March, 1994.

For RAVI K. TANDON & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

RAVI K. TANDON
Proprietor

Office . Tandon House, 2327, Dharam Pura, Delhi-110006
Resi . A-56, Nizamuddin East, New Delhi-110013.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTURE ACT, 1972
8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-1

Contributory Provident Fund, Balance Sheet as on 31st March, 1994

Previous Year	LIABILITIES	Amount		Previous Year	ASSETS	Amount
	Council of Architecture				INVESTMENT	
166892.00	C. P. F. Contricution :—	166892 00		485545.00	Fixed Deposits Receipts with Syndicate Bank (As per Schedule attached)	602157.00
	Add : Contrbution during the year	13437.00				
	Add : Int. on C P. F. Contribution	20527 00	205666 00	9965.00	**Loans & Advances**	
					C. P. F. Advance	2866.00
147573.00	C. P. F. Subscription :—	147573.00		76269.71	**Cash & Bank Balances**	
	Add : Subscription during the year	18853.00			Syndicate Bank S. B. A/c. No. 30554	86331.71
	Add : Int. on C. P. F. Subscription	18562 00				
	Add : Int. on C. P. F. Advance	733 00	185731.00			
258014.71	**Resercve Fund**					
	Opening Balance	259014.71				
	Add : Int. on S. B. A/c	—				
	Add : Int. on Fixed Deposit	60962.84				
			319966.71			
573473.71			711353.71	673479.71		711353.71

For and On Behalf of Council

Dated : 8 Sept. 1994

Place : NEW DELHI

(J. R. BHALLA)
President

(SUDHIR KUMAR RANJAN)
Registrar

For Ravi K. Tandon & Co.
(Chartered Accountants)

(RAVI K. TANDON)
Prop.

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RECEIPTS & PAYMENTS
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING ON 31-3-1994.

Previous Year	RECEIPTS	Amount	Previous Year	PAYMENTS	Amount
	OPENING BALANCE			FIXED DEPOSIT	
23148.51	With Syndicate Bank	76969.71			
	CONTRIBUTION				
13806.00	Employee's Subscription	18358.00	244100.00	Purchased & Renewed during the year	327812.00
13394.00	Council's contribution	18437.00	12360.00	C. P. F. Advances	—
5990.00	Recovery of Advance	7100.00			
42701.00	Interest on Fixed Deposit (Gross)	60952 00		BALANCES	
1348.00	Interest on Saving Bank A/c.	—			
920.00	Interest on C. P. F. Advance	738.00	76969.71	With Syndicate Bank A/c No. 30554	86331.71
201700.00	Fixed Deposit (Matured during the Year)	192200.00			
	INTEREST RECEIVED ON				
13974.00	Employee's Subscription	18562.00			
16448.00	Council's Contiribution	20327.00			
333429.71		414143.71	333429.71		414143.71

For and on Behalf on Council

Dated : 8 Sept., 1994

Place : New Delhi

(J. R. BHALLA)
President

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

For **Ravi K. Tandon & Co.**
(Chartered Accountant)

(SUDHIR KUMAR RANJAN)
Registrar

(RAVI K. TANDON)
Prop.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated Under the Architects Act, 1972)
8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001.
(CONTRIBUTORY PROVIDEND FUND)

Sl. No.	F. D R. No	Name of the Bank	Date of Issue / Renewal	Date of Maturity	Amount	Interest	Purchases & Renewal during the year	Matured during the yeat	Total Amout as on 31-3-94
1.	D—0705821/15298	Syndicate Bank, Super Bazar, Connaught Circus. New Delhi-110001	6-6-1991	6-6-1994	10000.00	—	—	—	10000.00
2.	D—0705822/5209	—do—	6-6-1991	6-6-1994	10000 00	—	—	—	10000.00
3.	D—0705823/15300	—do—	6-6-1991	6-6-1994	10000.00	—	—	—	10000.00
4.	D—0968171/16697	—do—	24-10-1991	24-10-1994	30245 00	—	—	—	20245.00
5.	E—486195/17563	—do—	11-4-1992	11-4-1995	36800. 0	—	—	—	36800.00
6.	E—486196/17564	—do—	11-4-1992	11-4-1995	36800.00	—	—	—	36800.00
7	E—486194/17562	—do—	12-4-1992	12-4-1995	51700 00	—		—	51700.00
8.	E—493367/17932	—do—	01-8-1992	01-8-1995	30000.00	—	—	—	30000 00
9	E—493368/17933	—do—	01-8-1992	01-8-1995	30000 00	—	—	—	30000.004
10.	E—521862/18222	—do—	23-2-1992	23-8-1995	20400 00	—	—	—	29400 00
11.	E—521863/14223	—do—	23-9-1992	23-9-1995	29400 00	—	—	—	29400.00
12.	E—448759/14999	—do—	01-4-1991	01-4-1993	29400 00	6420 00	—	29400.00	—
13.	448460/15000	—do—	01-4-1991	01-4-1993	29400.00	6420.00	—	29400 00	—
14.	448761/15001	—do—	01-4-1991	01-4-1993	29400.00	6420.00	—	29400.00	—
15.	448722/15051	—do—	13-4-1991	13-4-1993	29600 00	6466.00	—	29600.00	—
16.	448823/15052	—do—	13-4-1991	13-4-1993	29600 00	6465 00	—	29600.00	—
17.	085580/7726	—do—	15-4-1996	15-4-1993	10000 00	11375.00	—	10000.00	
18.	985581/7727	—do—	15-4-1996	15-4-1993	10000.00	11375 00	—	10000.00	—
19.	0726457/15459	—do—	07-7-1991	07-7-1993	24800.00	6012 00	—	24800.00	
20.	F—192509	—do—	15-4-1993	15-4-1996	21300 00	—	21300.00	—	21300 00
21.	F—192510	—do—	15-4-1993	15-4-1996	21300 00	—	21300.00		21300 00
22.	F—192512	—do—	13-4-1993	13-4-1995	30000.00	—	36000.00	—	36000 00
23.	F—192513	—do—	13-4-1993	13-4-1996	30000.00	—	36000.00		36000.00
24.	F—192514	—do—	01-4-1993	01-4-1996	35800.00	—	35800.00		35800.00
25.	F—192515	—do—	01-4-1993	01-4-1996	35800.00	—	35800 00	—	35800.00
26.	F—192516	—do—	01-4-1993	01-4-1996	35800.00	—	36800 00	—	35800.00
27	F—192699	—do—	11-5-1993	11-5-1996	40000.00	—	40000.00	—	40000.00
28.	F—192600	—do—	11-5-1993	11-5-1996	35000.00	—	35000.00	—	35000.00
29.	F—192945	—do—	07-7-1993	07-7-1996	30812.00	—	30812.00	—	30812.00
				TOTAL	814357.00	60952.00	327812.00	192200.00	622157.00

For and On Behalf of Council

Dated: 8 Sept., 1994
Place : NEW DELHI.

(J. R. BHALLA)
President

(S. K. RANJAN)
Registrar

RAVI K. TANDON & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

Dated 8 September, 1994

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE" 'GRATUITY FUND', 8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001 with the books of accounts and vouchers produced to us and we report as follows :—

1. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit ;
2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Council of Architecture Gratuity Fund so far as appears from our examination of such books ;
3. The Balance Sheet and Receipts & Payments account dealt with report are in agreement with the books of account ;
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said statement of account gives a true and fair view in the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 1994.

For RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
RAVI K. TANDON
PROP.

Office : Tandon House, 2327, Dharam Pura, Delhi-110006
Resi : Tandon House, 23 Darya Ganj, New Delhi-110002.

RAVI K TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Ph. Off. 3263066,3263197, Res. ; 4622942

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated Under the Architects Act, 1972)
8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-1
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1994
(GRATUITY FUND)

Previous Year	LIABILITIES		Amount	Previous Year	ASSETS		Amount
	GRATUITY FUND :			11073 50	INVESTMENT		
	Opening Balance						
	Add : Addition during the year	9664 00			F. D. R. with Syndicate Bank :		
					A—985584/7728	10600 00	
		9664.00			D—0968170/16596	6073.50	
					192601/119453	6000 00	
	Less : Drawing during the year		9664.00		192602/1/119454	6000 00	28673.50
23290.67	RESERVE FUND						
	Opening Balance	23290.67		12217.17	CASH & BANK BALANCES		
	Add : Intt. on F. D. R.	5687 50					
	Add : Intt. on S. B A/c	369 00	29347.17		Syndicate Bank A/c No. 35584 .		10337 67
23290.67			39011 17	23290.67			39011.17

NOTES : Interest on F.D.R. has been taken on receipt basis.

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for and on Behalf of Council.

for Ravi K. Tandon & Co.
Chartered Accountants

Dated : 8 Sept., 1994
Place : NEW DELHI

(J. R. BHALLA)
President

(S. K. RANJAN)
Registrar

RAVI K. TANDON
Prop.

RAVI K TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Ph Off.: 3263066 3263197 Res ; 4622942

M/s. COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated Under the Architects Act, 1972)

8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001

GRATUITY FUND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING ON 31st MARCH, 1994

Previous Year	RECEIPTS	Amount	Previous Year	PAYMENTS	Amount
	OPENING BALANCE :			F.D.R.	22000.00
10884.77	With Syndicate Bank	12217 17	—	Purchased & Renewed during the year	—
1310.40	Interest on F.D.R.	5687.00	11628.00	Gratuity Paid during the year	
72.00	Interest on Saving A/c	369 00	40 00	T. D. S. on F. D. R. Interest	—
6000 00	F. D. R. (Matured during the year)	5000.00			
			12217.17	CLOSING BALANCES	
5618.00	GRATUITY FUND			With Syndicate Bank	10337 67
	Addition during the year	9664.00			
23885 17		32937.67	23885.17		32337 67

Dated : 8 Sept., 1994

Place : NEW DELHI

for and on Behalf of Council.

(J R. BHALLA)
President

IN TERMS OF OUR SEPERATE REPORT OF EVEN DATE.

(S. K. RANJAN)
Registrar

for Ravi K. Tandan & Co.
Chartered Accountants

(RAVI K. TANDON)
Prop

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI,